खण्ड-246, अंक-1
शुक्रवार, 2 फाल्गुन, शक संवत् 1885
(21 फरवरी, 1964 ई0)

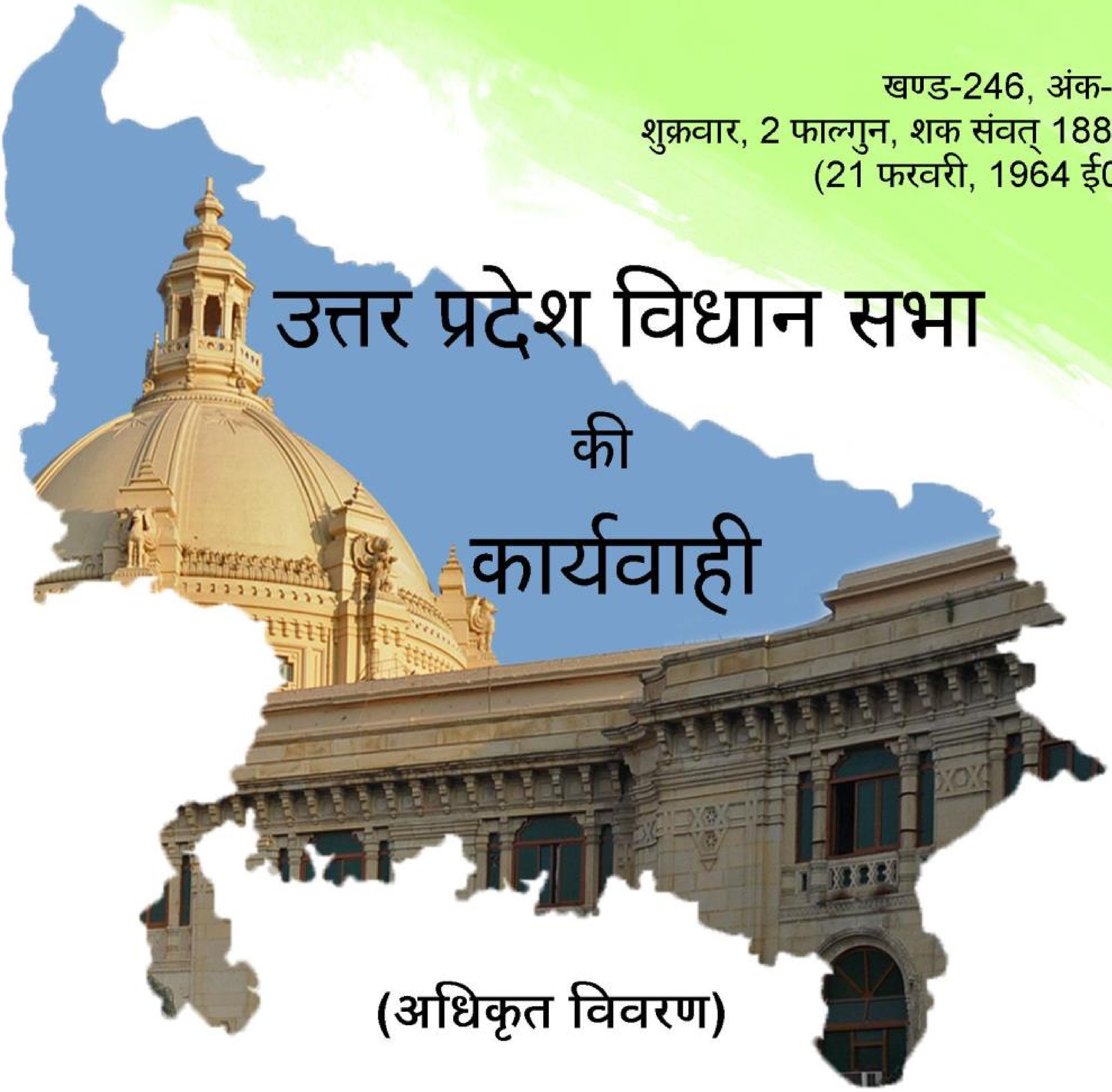

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 246 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–४०
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६४ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	४१
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	४१–४२
सरकार के आदेश के विरुद्ध श्री नैनसिंह को देर से कारागार से मुक्त करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	४२–४३
राजस्व मंत्री के कथित असत्य कथन पर अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	४३–४४
प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई के विरुद्ध हो रहे अनुशासन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	४४–४९
१९६४–६५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	४९–९२
नत्थियां	९३–९६

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

RA 4052

शुक्रवार, २१ फरवरी, १९६४

132683

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६२

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीलाल, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम , श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथ सिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपाल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधो प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मुकन्दी लाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुन्नू सिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल आचार्य, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री

राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपाल सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर

सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैन राम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २१ फरवरी, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

फर्रुखाबाद जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें

**१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गयी हैं, लेकिन गल्ला अभी तक नहीं पहुंचा है ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

फर्रुखाबाद जिले में खोली गई सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों के लिये गल्ले का स्टाक उपलब्ध किया गया है और किया जा रहा है ।

**२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

अगर हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में तत्काल उचित व्यवस्था करेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में देहाती क्षेत्र में कितनी दूकानें खुली हैं और उनको खुले हुये कितने दिन हो गये ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

देहाती क्षेत्रों में १६८ और शहरी क्षेत्रों में ६५ ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन दूकानों के कितने दूकानदारों ने गल्ला उठा लिया है ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि रामगंगा और गंगा के बीच राजेपुर में भी कोई दूकान खोली गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हर स्थान की सूचना अलग-अलग इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि देहाती क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में कितनी आबादी पर एक दूकान खोली जाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस वक्त ये आदेश दिये गये हैं कि हर अदालती पंचायती क्षेत्र में एक दूकान खोल दी जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

बहुत-सी अदालती पंचायतों की आबादी २०–२५ हजार है और बहुत-सी की ४-५ हजार, तो मैं जानना चाहता हूं कि आबादी का क्या दृष्टिकोण है ? कितनी आबादी पर एक दूकान होती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अभी तो आबादी का कोई अनुपात नहीं है लेकिन खाद्य समितियां जहां जितनी दूकानें खोलना चाहेंगी, वहां खोल दी जायेंगी ।

शिबली नेशनल डिग्री कालेज, आजमगढ़ के छात्रों की हड़ताल

**३—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के शिबली नेशनल डिग्री कालेज के छात्र हड़ताल कर रहे हैं जिससे नगर में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण हैं और इसके सुलझाने के लिये अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

विद्यार्थियों ने ४ फरवरी, १९६४ को हड़ताल शुरू की थी किन्तु अब हड़ताल समाप्त हो गई है अतः अब तनाव की स्थिति नहीं है ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि शिबली नेशनल कालेज के छात्र किन-किन मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं ? जब उनकी हड़ताल समाप्त करायी गयी तो उनकी कौन-कौन-सी मांगें पूरी की गयीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

हड़ताल जिन विद्यार्थियों ने शुरू की थी वे प्रिंसिपल से यूनियन के लिये कुछ खर्चा चाहते थे । प्रिंसिपल ने यह कहा कि खर्चे का ऐस्टीमेट और उसका एक-एक पैसे का हिसाब मिलना चाहिये लेकिन वह प्रेसीडेंट दे नहीं पाये । इसलिये उन्होंने हड़ताल कर दी ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि वास्तविकता यह है कि पिछले ४-५ साल से शिबली नेशनल डिग्री कालेज के छात्र विधिवत् चुनाव के जरिये अपनी यूनियन बनाते हैं लेकिन उनकी यूनियन को विधिवत् काम नहीं करने दिया जाता है और अवैधानिक तरीके से वहां के प्रिंसिपल या अधिकारी यूनियन के पदाधिकारियों को बरख्वास्त कर देते हैं जिससे यूनियन का काम नहीं चलता, इसलिये विद्यार्थियों में गहरा असंतोष है ? यदि हां, तो वहां के छात्रों की यूनियन विधिवत् चुनी जाकर छात्रों के हित का काम कर सके, इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसके बारे में तो मुझे जानकारी है नहीं। किन्तु यह मैं जरूर समझता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से विद्यालयों में विद्यार्थियों की जो यूनियन बने वह वहां के प्रिंसिपल के अनुशासन में न रह कर कार्य करे तो विद्यार्थियों को भी कठिनाई हो सकती है। इसलिये जो माननीय सदस्य ने कहा है, उनकी सूचना सही होगी और उन्हीं से मैं निवेदन करता हूं कि यदि ऐसी यूनियनें विद्यालयों के प्रिंसिपलों की देख-रेख में काम नहीं करना चाहें तो शिक्षा की दृष्टि से वह बहुत हितकर नहीं हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हड़ताल का यह भी एक कारण था कि एक अध्यापक को निकाल दिया गया जिसके कारण विद्यार्थियों ने हड़ताल की और जब समझौता करा दिया गया तब विद्यार्थियों ने हड़ताल समाप्त की ?

श्री कैलाश प्रकाश—

इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी तो नहीं है किन्तु मेरे पास जो सूचना है उससे यह प्रतीत होता है कि एक अध्यापक थे जिनकी नियुक्ति टेम्पोरेरी रूप में की गयी थी और उसमें यह शर्त थी जैसा कि होता है कि वायस-चान्सलर की अनुमति से यह नियुक्ति रहेगी। उन अध्यापक महोदय को कुछ असंतोष रहा। कहा यह जाता है कि वे जो असंतुष्ट अध्यापक महोदय थे उनका भी कुछ सिलसिला इन विद्यार्थियों से जम गया और इस रूप में वह इसके कारण बने।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यूनियन प्रिंसिपल के अन्तर्गत ही क्यों न हो लेकिन जब यूनियन विद्यार्थियों की बननी है तो उसक बनाने में वे सहयोग करें जहां विद्यार्थी देश विदेश की तमाम चीजों पर डिस्कस कर सकें ?

श्री कैलाश प्रकाश—

पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त विद्यार्थियों को दूसरे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेना ही चाहिये और इसीलिये साधारणतया विद्यार्थियों के एसोसियेशन के नाम पर, पार्लियामेंट के नाम पर या यूनियन के नाम पर विद्यालयों में यूनियनें बनाई जाती हैं, किन्तु ये जो यूनियन या एसोसिएशन्स बनाये जाते हैं वे अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिये बनाये जाते हैं। उनको इस तरह के अधिकार देना मुनासिब भी नहीं है जिससे कि विद्यालयों के अनुशासन या प्रशासन पर कोई दोष पड़े। सरकार इस बात से बिलकुल सहमत है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों के ऐसे कार्यक्रम चलें जिस से उनके ज्ञान में वृद्धि हो, जिससे तमाम चीजों के विकसित होने में भी वे सहायक हों।

श्री चन्द्रजीत यादव—

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी एक सिद्धान्त का प्रश्न उठाया है अपने उत्तर में, तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जब छात्रों के संगठन और यूनियनें बनीं हैं और उनको बनाने का विधान है और मुख्य रूप से वह वहां की सांस्कृतिक और शैक्षिक स्तर को ऊंचा करने के लिये

अपनी मांगें और कठिनाइयां और दिक्कतें चाहें वे फीस की, वजीफे की, किताबों की समस्याओं को लेकर हों उन सब के लिये यूनियनें संगठित हैं और वे अपना काम चलाती हैं लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक कि वे प्रिंसिपल के अधीन काम न करें तब तक नहीं चल सकतीं तो मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं कि उनका क्या मतलब है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मेरा मंशा यह है कि कोई यूनियन विद्यार्थियों की या उसके कार्यक्रम प्रिंसिपल के प्रशासकीय अधिकार के अतिरिक्त होना मुनासिब नहीं है। यह बिलकुल सही बात है कि हर विद्यार्थी को अगर उनका कोई संगठन है तो उनको अधिकार है कि वे प्रिंसिपल के सामने अपनी दिक्कतें रखें और प्रिंसिपल उनको सुनें और दूर करने की चेष्टा करें इसमें कोई मतभेद या प्रश्न नहीं है। यही मंशा है जो मैंने कहा कि वह प्रिंसिपल के अधीन प्रशासकीय अधीनता में रहकर काम करें जिससे विद्यालय का अनुशासन भंग न हो।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

तरबगंज तहसील में लगान वसूली

*१—श्री विष्णुप्रतापसिंह (जिला गोंडा), श्री बब्बनसिंह (जिला गोंडा), श्री शीतला प्रसाद (जिला गोंडा), श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या राजस्व मंत्री तुरन्त इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९६३ में लगान वसूली में तहसील तरबगंज, जिला गोंडा में कोई प्राइवेट गाड़ी प्रयोग में लाई गई है ? यदि हां, तो इसका खर्चा कहां से दिया गया है ?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

जी हां, प्रयोग में लाई गई गाड़ी का खर्चा तहसीलदार के उचित टी० ए० के धन से दिया।

*२—श्री विष्णुप्रतापसिंह, श्री बब्बनसिंह, श्री शीतलप्रसाद, श्री ईश्वरशरण तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मंत्री जी इस बात की भी जांच करायेंगे कि कितने कलेक्शन अमीनों ने तहसील तरबगंज, जिला गोंडा के १९६३–६४ में लगान वसूली का धन अपने पास दस दिन से अधिक रक्खा और मौके से अधिकारी ने उस पर क्या कार्यवाही की तथा १० दिन से अधिक अपने पास रखने का क्या कारण है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी हां, जिन ६ अमीनों ने वसूली की अत्यन्त व्यस्तता के कारण धन १० दिन से अधिक अपने पास रक्खा था उनमें से १ को जो कि अस्थायी पद पर था उसको पद की अवधि समाप्त होने पर हटा दिया गया तथा अन्य ५ अमीनों को कड़ी चेतावनी दी गई।

श्री विष्णुप्रतापसिंह—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि प्राइवेट गाड़ी कुल कितने दिन इस्तेमाल हुई और उस पर कितना धन व्यय हुआ और उस अवधि में तहसीलदार का टी० ए० कितना बना ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

२२० रुपया खर्च हुआ और २२१ रुपया तहसीलदार का टी० ए० बना।

श्री सुरेन्द्रविक्रम--

क्या यह सच है कि कलेक्शन नायब तहसीलदार ने अमीनों से रुपया वसूल करके अपनी लड़की की शादी में खर्च किया और इसी कारण से रुपया समय से दाखिल नहीं हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इसकी हमें कोई सूचना नहीं है ।

श्री शीतलाप्रसाद--

क्या मंत्री जी इसको सूचना मानकर कि १९६२-६३ में कलेक्शन विभाग के अमीनों के आतंक से एक आदमी ने खुदकुशी की और १९६३-६४ में एक आदमी की हत्या भी हुई जिसका की केस चल रहा है और इस सख्ती के बावजूद तरबगंज तहसील में २२ लाख रुपया रेवेन्यू का और ६ लाख कन्सालिडेशन के खर्च का बाकी है और इस के अलावा कन्सालिडेशन में जो खाते दुरुस्त किये गये हैं उनका ४० लाख के करीब दस साल का लगान बांधा जा रहा है, उसको वह समाप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

तरबगंज के लोग नादिहन्द मालूम होते हैं ।

श्री शीतलाप्रसाद--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नादिहन्दी का कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

उनका मन ।

नायब तहसीलदार कलेक्शन, तरबगंज के खिलाफ शिकायतें

*३--श्री विष्णुप्रताप सिंह, श्री बब्बनसिंह, श्री शीतलाप्रसाद, श्री ईश्वरशरण तथा श्रीसुरेन्द्र विक्रम--

क्या मंत्री इस बात की भी तुरन्त जांच कराने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में कितनी दरख्वास्तें नायब तहसीलदार, कलेक्शन, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा के खिलाफ गुजरी और उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री सुरेन्द्रविक्रम--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जल्द ।

पी० डब्ल्यु० डी० रिसर्च इन्स्टीट्यूट के साइन्सदानों पर पाबन्दी

*४--श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया सार्वजनिक निर्माण विभाग के जी० ओ० ३६९७/ई०वी०आर०, दिनांक २८ फरवरी, १९५९ तथा जी० ओ० ए-२९११, दिनांक २ दिसम्बर, १९५७ की नक्लें सदन की मेज पर रक्खेगी और बतलायेगी कि इन दोनों जी० ओज० में इतना अन्तर क्यों है कि एक दूसरे को मन्सूख करता है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--

दिनांक २८ फरवरी, १९५९ तथा २ दिसम्बर, १९५७ के दोनों सरकारी आदेशों की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। जी नहीं, यह दोनों सरकारी आदेश एक दूसरे को मंसूख नहीं करते हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९३-९४ पर)

*५--श्री हलीमुद्दीन (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि पी० डब्लू० डी० रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदानों पर जो पाबन्दी दिनांक २८ फरवरी, १९५९ के उपरोक्त जी० ओ० से लगाई गई है वह किसी दूसरे मुहकमें के रिसर्च इंस्टीट्यूट पर नहीं लगी हुई है ? यदि हां, तो सरकार इस इम्तियाज को कब तक और किस तरह खतम कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

अन्य सरकारी विभाग भी, गवर्नमेंट सरवेन्ट्स अप्लीकेशन्स फार पोस्ट्स (यू० पी० प्रावीन्शियल, स्पेशलिस्ट ऐण्ड सबार्डिनेट सर्विसेज) रूल्स, १९३४ के नियम ३ के अन्तर्गत, अपने कर्मचारियों की अर्जियां, सार्वजनिक सेवा के हित में रोक लेते हैं।

चकबन्दी कर्मचारी

*६--श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबंदी योजना के अन्तर्गत कितना स्टाफ गजटेड और नान-गजटेड आफिसर रैंकों में पांच साल से काम कर रहा है ? सरकार ने कितने उक्त आफिसर रैंकों के व्यक्तियों को पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने भेजा है ? यदि नहीं भेजा, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मैंने यह प्रश्न ६-७ महीने पहले किया था। लैप्स होते ही मैंने फिर प्रश्न किया अर्थात् इसको रिवाइज (पुनर्जीवित) किया तो आश्चर्य है कि इतने समय के पश्चात् भी यह सूचना अभी तक एकत्रित नहीं की जा सकी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

लैप्स हो जाने पर हम भी गाफिल हो गये। अब फिर सवाल किया तो हम भी सूचना एकत्रित कर रहे हैं।

[२१ फरवरी, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

चकबन्दी विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*१--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग में जो ९ वर्षों से चल रहा है एक भी व्यक्ति को अब तक परमानेंट न करने का क्या कारण है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

चकबन्दी विभाग ही अस्थायी है। अतएव इस विभाग के किसी कर्मचारी को स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जब ये लोग नौकरी से हटाये जायेंगे तो उनको अन्य नौकरियों में प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हम ऐसा सोच रहे हैं कि जिनके रिकार्ड अच्छे होंगे उनको दूसरी जगह एबजार्ब करने की कोशिश करें ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिनके रिकार्डस् अच्छे होंगे उनको दूसरी जगहों में लेने की कोशिश करेंगे, पर जिनके रिकार्ड अच्छे नहीं होंगे क्या सरकार उनको किसी उद्योग का लाइसेंस देने की कोशिश करेगी जिससे वे अपनी जीविका चला सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वे अपने घर जायेंगे ।

बोर्ड परीक्षाफल रद्द करना

*२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बोर्ड आफ हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा की १९६३ की परीक्षा में भाग लेते समय नकल करने तथा अन्य अनियमित कार्य करने वाले कितने परीक्षार्थियों को पकड़ा गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

१९६३ की परिषद् की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं के क्रमशः १,८०३ तथा ७८४ परीक्षार्थियों के परीक्षाफल नकल करने तथा अन्य अनियमित कार्य करने के कारण अग्रिम जाँच हेतु रोक लिये गये थे । रोके गये परीक्षार्थियों के संबंध में लिये गये निर्णय का विवरण निम्नवत् है :

परीक्षा का नाम	रोके गये परीक्षार्थियों की संख्या	संदेह का लाभ देकर परीक्षाफल घोषित	परीक्षाफल रद्द करने के साथ साथ परिषद् की आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से भी वंचित	परीक्षा फल रद्द
हाई स्कूल	१,८०३	४१०	८२३	२७३
इंटरमीडिएट ..	७८४	७९	४९१	८५
योग ..	२,५८७	४८९	१,३१४	३५८

*३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ऐसे केस अभी विचाराधीन हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

इंटरमीडिएट व हाई स्कूल परीक्षा के क्रमशः १२९ तथा २९७ परीक्षार्थियों के विषय अभी विचाराधीन है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६३ में परीक्षा होने के बाद जिन ४२६ विद्यार्थियों के मामले विचाराधीन हैं उन लोगों के भविष्य के बारे में कितनी और देर लगेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

इसमें इतनी देर लगती है इससे मैं भी चिंतित हूं किन्तु परेशानी कुछ कानूनी है । विद्यार्थियों को सजा देने के लिये भी कुछ कानूनी बातें करनी पड़ती हैं जो हाई कोर्ट के फैसलों के कारण पैदा हुई हैं और वह सब कार्यवाही करने में देरी हो जाती है । प्रयास इस बात का किया जाता है कि शीघ्रातिशीघ्र कम से कम समय लेकर परीक्षा का फल घोषित किया जाय ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

इस बात को देखते हुये कि उन विद्यार्थियों के अब दो वर्ष खराब होने जा रहे हैं तो उनके संबंध में सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है कि जिनके परीक्षाफल विचाराधीन रह जाते हैं उनकी घोषणा अगस्त तक निश्चित रूप से कर दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि किसी छात्र के सम्बन्ध में यह निश्चय हो कि वह कापी नहीं कर रहा था या उसे दंड नहीं मिलना चाहिये तो फिर इतना समय जो उसका खराब हुआ उसके लिये क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--

प्रश्न के उत्तर में मैं बतला चुका हूं कि इस तरीके के जो विद्यार्थी होते हैं और जिनका परीक्षाफल रुका रहता है वह परीक्षाफल घोषित करके जब उनको पास कर दिया जाता है तो जो समय इस बीच में लग जाता है उसके लिये उनको यह सुविधा दी जाती है कि वह फिर से विद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं और उनकी गैर-हाजिरी को, जिसके कारण परीक्षा में बैठने की उनको आज्ञा नहीं दी जाती, गिना नहीं जाता ।

श्री अध्यक्ष--

इसका मतलब यह हुआ कि वे विद्यार्थी जिनका परीक्षाफल रुका रहता है वे हायर्स क्लास में भर्ती हो कर अपनी अटेंडेंस पूरी रख सकते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी नहीं । जिनका परीक्षाफल रुका रहता है वे अभी नहीं पढ़ पायेंगे । यह देखने के बाद कि उनका कोई दोष नहीं था या उनको संदेह का लाभ दे दिया गया है और उनका परीक्षाफल घोषित कर दिया गया और वह जा कर नवम्बर या दिसम्बर में घोषित हुआ तो उस विद्यार्थी को अधिकार होगा कि वह उस कक्षा में जिसका वह परीक्षाफल घोषित होने के बाद अधिकारी हो गया है प्रवेश पा ले और प्रवेश पाने में जो बाधायें होती हैं वे बाधायें न रह जायें और यह अधिकार दे दिया जाय कि अगली परीक्षा देने के लिये जितने समय तक वह गैर-हाजिर रहा उस समय को न गिना जाय ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--

व्यवस्था का प्रश्न है। क्या हाइपोथिटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

इस बात की जांच में कि असल विद्यार्थी ने नकल नहीं की है दो तीन महीने विभाग को लग जाते हैं ऐसी स्थिति में निर्दोष पाये गये छात्र का साल बरबाद हो जाता है। तो क्या सरकार इस प्रकार की जांच के संबंध में कोई ऐसी विधि अपनायेगी जिससे अविलंब रूप से यह तय किया जा सके कि यह नकल का मामला है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो उन्होंने कहा था।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

मई और जून के महीने में जिस वक्त इंटर तथा बोर्ड के रिजल्ट्स एनाउन्स हो जाते हैं उसके बाद जो व्यक्ति पास हो गये उनके ऐसे कोई प्रार्थना-पत्र सरकार तथा गवर्नर के पास पहुंचे थे कि उन्हें नवम्बर और दिसम्बर में जाकर दोबारा फेल कर दिया गया और उनके प्रार्थना-पत्र के बाद आज तक उन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी है कि उनके प्रार्थना-पत्र पर क्या हुआ और वे लड़के उसी तरह से अभी तक ठे हुए हैं बिना इम्तहान दिये हुए ?

श्री कैलाशप्रकाश--

यह नया प्रश्न है, इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, जो मेरी असुविधा थी वह हल नहीं हुई इसलिये मैं फिर पूछना चहता हूं मंत्रीजी से कि जो सुविधायें उन्होंने घोषित की हैं वे तो उन लोगों के लिये हैं जिनको उन्होंने संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया लेकिन जो लोग अबतक रुके हुये हैं उनके तो दो वर्ष खराब हो गये। तो उन लोगों के लिये वे क्या सोच रहे हैं, पहली बात ? दूसरी बात यह कि क्या ज्यादा काम होने की वजह से बोर्ड को कुछ भागों में बांटने की भी योजना बना रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

अभी तो बोर्ड का विकेन्द्रीकरण करने को कोई योजना नहीं है। जो लोग शिक्षा में रुचि रखते हैं उनकी तरफ से यदा कदा यह प्रश्न उठता है किंतु इस प्रश्न का अभी कोई परीक्षण नहीं हो पाया है।

श्री रघुनाथसिंह--

मै इस तथ्य की ओर मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि परीक्षा के विषय में जब संदेह करते हैं तो बोर्ड के सेक्रेटरी को लिखते हैं और उसकी आज्ञा से बोर्ड के आफिस से कापी मंगाई जाती है। फिर वह कापी जिला विद्यालय निरीक्षक के पास भेजी जाती है। फिर संबंधित केंद्र के व्यवस्थापक से संपर्क किया जाता है। इसमें जुलाई का महीना करीब करीब बीत जाता है। यह इतना लंबा प्रोसेस है कि इसमें तीन-तीन महीने की देर हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कुछ संक्षिप्त करने की व्यवस्था मंत्रीजी करेंगे?

श्री कैलाशप्रकाश---

मैं भी जैसा निवेदन कर चुका हूं पुनः निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं स्वयं यह चाहता हूं कि परीक्षा शीघ्रातिशीघ्र घोषित हो। कुछ कानूनी कठिनाई की वजह से देरी लगती है। माननीय सदस्य मुझे जो भी सुझाव दें अगर वह कानूनी बाधाओं से दूर हो कर कार्यान्वित किया जा सकता होगा तो मैं उसके लिये तैयार हूं।

*४-६---श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)---

[६ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित गिये किये।]

राजकीय इन्टर कालेज, फतेहपुर के विरुद्ध शिकायत

*७---श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, फतेहपुर के वर्तमान प्रिंसिपल व स्थानीय निवासी अध्यापकों को जाति व वर्गवादी एवं हरिजन विरोधी कार्य नीति संबंधी प्रश्नकर्त्ता के दिनांक २० जुलाई, १९६३ के पत्र उन्हें, तथा श्री चन्द्रमोहन नाथ चक, शिक्षा निदेशक, लखनऊ और जिला विद्यालय निरीक्षक, फतेहपुर, को मिले हैं? यदि हां, तो उनमें लिखित आरोपों के बारे में क्या कार्यवाही हुई है?

श्री कैलाशप्रकाश---

शिकायती पत्र शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ, जिस पर जांच हुई पर आरोप निराधार निकले।

*८---श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कालेज की कक्षा ६ से कक्षा १२ तक की प्रत्येक कक्षा में कितने-कितने छात्र इस वर्ष दाखिल हैं और उनमें से प्रत्येक में कितने कितने हरिजन छात्र हैं?

श्री कैलाशप्रकाश---

कक्षा	कुल छात्र	हरिजन छात्रों की संख्या
६	७५	२
७	७१	३
८	७८	४
९	८४	३
१०	९५	७
११	१०१	७
१२	८३	७

*९---श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

क्या यह सही है कि राजकीय इन्टर कालेज, फतेहपुर के १०, १५ वर्षों से मौजूद स्थानीय अध्यापकों व वर्तमान प्रिंसिपल ने इस वर्ष, उक्त कालेज में केवल प्रथम व द्वितीय श्रेणी के छात्र ही जुलाई, १९६३ में दाखिल किये हैं और एक साल के चन्द अंकों से असफल छात्रों को जबरन

टी० सी० देकर निकाल दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा करने का नियमित आधार क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी नहीं, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण एवम् पूरक परीक्षा म उत्तीर्ण छात्रों को भी दाखिल किया गया । इसके अतिरिक्त सभी कक्षाओं के असफल छात्रों को जो प्रवेश पाने के लिये उपस्थित हुए, प्रवेश की अनुमति दे दी गयी थी । ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जो एक साल के चन्द अंकों से असफल रहा हो और उसे प्रवेश की अनुमति न दी गयी हो ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र की जांच किस अधिकारी ने कब और किसकी उपस्थिति में की ?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, कब और किस की उपस्थिति में जांच की, यह ब्योरा तो मेरे पास नहीं है । साधारणतया शिक्षा संचालक के पास ही यह चीज जाती है और वह अपने अधिकारी द्वारा जो साधारणतया विद्यालय निरीक्षक होता है, उसके द्वारा जांच कराता है । इसमें प्रिंसिपल इत्यादि से पूछा गया होगा ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, आपने कहा कि "किया होगा" मैं पूछना चाहता हूं कि उनके यहां जांच करने की पद्धति क्या है, जिसके अनुसार जांच कराई जाती है क्योंकि प्रश्नकर्ता को कोई जानकारी नहीं हुई और जांच करने वाले अधिकारी मौके पर नहीं गये ? किस तरह से जांच की व्यवस्था की जिससे मंत्री जी संतुष्ट हो गये कि आरोप निराधार और असत्य हैं, इसको देखते हुये वे इस संबंध में क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, इस माननीय सदन में जो प्रश्न उपस्थित किये जाते हैं, उनके उत्तर मंगाते समय माननीय प्रश्नकर्ता से कोई बात नहीं पूछी जाती है । जो विभाग के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा रिपोर्ट मंगाई जाती है और उसके आधार पर उत्तर दे दिया जाता है ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब हरिजनों को १८ प्रतिशत संरक्षण प्राप्त है और सरकार उनको शिक्षित करने के लिये व्याकुल है तो स्वयं फतेहपुर राजकीय इन्टर कालेज में छठी कक्षा में ७५ में से २, ७ वीं में ८४ में से ३ और अन्य कक्षाओं में ४५० में से केवल ८८ हरिजन छात्र क्यों दाखिल किये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, प्रवेश तो उनको ही मिलेगा जो प्रवेश पाने के लिये आयेंगे ।

श्री रघुनाथसिंह--

क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानेंगे कि जिलों में हरिजनों के दाखिले के समय प्रिंसिपल इसलिये आनाकानी करते हैं कि उनके ट्यूशन फी सरकार से प्राप्त करने में झंझट उठाना पड़ता है ? इसलिये इसको वसूल करने के संबंध में मंत्री जी कोई ऐसा रास्ता अपनायेंगे जिससे उनके दाखिले में प्रिंसिपल उपेक्षा न करें और हरिजनों को सुविधा हो जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश--

सामान्यतः यह बात मुझे प्रतीत नहीं होती है कि केवल इस कारण हरिजनों को प्रवेश नहीं दिया जाता है कि उनकी फीस शासन से प्राप्त करने में कुछ झंझट होता है । यदि कोई इस तरह की बातें हैं और वे निश्चित रूप से मेरे पास आयें तो मैं यह कह सकता हूं कि यदि किसी प्रिंसिपल ने हरिजन विद्यार्थी को केवल हरिजन होने के नाते प्रवेश नहीं दिया है तो उसकी जांच की जायगी और कार्यवाही की जायगी ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, फतेहपुर इन्टर कालेज में हर कक्षा में बहुत से लोग प्रवेश के लिये एप्लाई करते हैं और उनकी परीक्षा ली जाती है । हरिजन लड़के परीक्षा में आवश्यक अंक प्राप्त नहीं कर पाते, इससे वे छटनी हो जाते हैं । इसलिये क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हरिजनों के लिये परीक्षा वाला व्यवधान न लगाया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश--

बहरहाल कोई परीक्षा होती है तो उस परीक्षा में केवल हरिजन होने के नाते कोई परीक्षा दूसरे तरीके से जांचने लगेंगे यह मुझे कुछ शक मालूम होता है ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री जी कालेजों और स्कूलों में शिक्षा का स्टैन्डर्ड अच्छा बनाये रखने के लिये और अच्छा करने के लिये हरिजनों की सीटें मुकर्रर कर देंगे, उनमें बेस्ट आ जायं और सिफारिश से फेल होने वाले भरती न हों, क्योंकि जनता का रुपया फ्री शिप के रूप में फेल होने वाले हरिजनों को मिलता है, इस लिये बेस्ट स्टूडेंट्स जरूर भरती हों, सिफारिश से फेल होने वाले हरिजन न लिये जायं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, मैं तो निवेदन कर ही चुका हूं । सुविधा सभी को मिलनी चाहिये ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने प्रश्नकर्ता के २० जुलाई, १९६३ के पत्र को पढ़ा, उसमें यह आरोप है कि फतेहपुर जिले के निवासी ८-१० अध्यापक जो १०-१५ साल से उसी स्कूल में हैं जिनके नाम हैं श्री उमाशंकर जी, श्री कृष्णपाल जी, श्री सूर्य बहादुर आदि, इन लोगों ने इस चालू वर्ष में साइंस लेकर तृतीय श्रेणी में पास और एक विषय में हाई स्कूल में फेल देसराज नाई, गुरप्रसाद आदि छात्रों को जबरन टी० सी० दे कर निकाल दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने किस आधार पर यह बताया कि यह आधार निराधार है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां, माननीय सदस्य ने जो पत्र दिया था उसमें जो बातें लिखी थीं उसका संक्षेप मेरे सामने है । उन सब चीजों की जांच हुई है और जांच के पश्चात् यह उत्तर दिया गया है ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में जितने विभागीय शिकायती-पत्र जांच के लिये आते हैं उनमें निराधार के अलावा कोई उन्होंने धारदार भी पाया, ? यदि हां, तो वह धारदार पत्र कौन-सा है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जितने पत्र आते हैं उन सब का ब्यौरा तो मेरे पास नहीं है लेकिन उनकी जांच होती है और बहुत से पत्र जांच के बाद ठीक पाये जाते हैं और कुछ नहीं पाये जाते हैं ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विज्ञान रत्न योग्यता

*१०—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की कृषि में विज्ञान रत्न की योग्यता स्नातक के किस स्तर तक की परीक्षा के समान मानी गयी है और उसका जी० ओ० नं० क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह योग्यता सरकार द्वारा मान्य नहीं हुई है ।

श्री कैलाश—

क्या मंत्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा संचालित अन्य परीक्षाओं को सरकार ने मान्यता दी है ? यदि हां, तो इस परीक्षा को मान्यता न देने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस परीक्षा को मान्यता देने के लिये कुछ प्रैक्टिकल वर्क जरूरी है और वे प्रैक्टिकल वर्क इसमें अभी नहीं हो पाये हैं । इसलिये इसको मान्यता नहीं दी गई ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं यह जानना चाता हूं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने शिक्षा मन्त्रालय को इस प्रकार की कोई चिट्ठी लिखी कि उसको विज्ञान रत्न की परीक्षा संचालित करने के आदेश दिये जायं और उसको स्वीकृति प्रदान की, तो जब उस परीक्षा को संचालित करने के आदेश सरकार की ओर से दिये गये तो अब उसको मान्यता न देने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, बहुत सी संस्थायें होती हैं और वे बहुत से तरीके की परीक्षा लेती हैं । हिन्दी साहित्य सम्मेलन को भी कुछ परीक्षायें लेने का अधिकार है और उसकी डिग्री देने का अधिकार है । दूसरे विश्वविद्यालय उन डिग्रियों को मान्य समझते हैं । बहुधा यह होता है कि एक डिग्री कोई एक विश्वविद्यालय मान लेता है । और दूसरा उसको नहीं मानता है । क्योंकि वह स्नातक स्तर की डिग्री है तो विश्वविद्यालय ही उसको मानते हैं । असल में सरकार को इस डिग्री के मानने की बात नहीं आती है । मेरे पास रजिस्ट्रार का एक पत्र है । रजिस्ट्रार ने यह उत्तर लिखा है कि कृषि विज्ञान रत्न की परीक्षा सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक मान्य नहीं हुई है, क्योंकि वह व्यावहारिक शिक्षा भी चाहते हैं । मान्यता प्रदान करने के लिये कुछ सामान्य शिक्षा होनी चाहिये । उस शिक्षा का अभी तक वहां प्रबन्ध नहीं है ।

श्री रघुनार्थसिंह (जिला वाराणसी)—

आपने अनुदान दिया और उसकी आज्ञा दी कि विज्ञान की पढ़ाई करिये और आपने कहा कि उनको परीक्षा लेने और डिग्री देने का अधिकार है, लेकिन प्रयोगात्मक पक्ष कमजोर होने के कारण विज्ञान लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जीवन में प्रवेश करने में कठिनाई होती होगी तो क्या यह भी आदेश देंगे कि परीक्षा चलाने वाले और डिग्री देने वाले लोग प्रयोगात्मक कमी को पूरा करें ?

श्री कैलाश प्रकाश—

मैं इस प्रश्न का आशय समझ नहीं पाया ।

श्री अध्यक्ष—

उनके कहने का मतलब यह है कि प्रयोगात्मक काम की कमी के कारण उनको रिकग्निशन नहींमिल रहा है तो क्या आप ऐसे आदेश देंगे कि वह उसके लिये कोई कार्यवाही करें ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, यही प्रश्न तो रजिस्ट्रार महोदय से पूछा ही गया था और उन्होंने स्वयं इस बात को लिखा है कि वह उस डिग्री को विश्वविद्यालय से अगर मान्यता चाहते हैं तो उन्हें इसका प्रबंध करना ही होगा ।

*११—१२—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

तहसील पट्टी के कलेक्शन विभाग के खिलाफ शिकायत

*१३—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पट्टी तहसील (प्रतापगढ़) कलेक्शन विभाग के कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है ? इस कारण से उस क्षेत्र की जनता में कलेक्शन विभाग के कर्मचारियों के विरोध में तहसीलदार, जिलाधीश एवं गृह मंत्री को अक्तूबर, १९६२ से अब तक लगभग ७ प्रार्थना पत्रायें दी जा चुकी हैं ? किन्तु उस पर अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

तहसील पट्टी के कलेक्शन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सात प्रार्थना-पत्र आये थे । उनमें से एक के बारे में पता चला कि आपसी घरेलू झगड़े की वजह से दरख्वास्त दी गई थी । और उनसे, आरोप यदि कोई हों, तो स्पष्ट रूप से देने के लिये कहा गया ।

२. दो प्रार्थना पत्रों पर आरोप सिद्ध नहीं हो सके । शेष चार प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही जारी है ।

श्री रामकिंकर—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन ४ प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही चल रही है वह कार्यवाही क्या है और उनमें मुख्य आरोप क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बयानात वगैरह लिखे जा रहे हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रार्थना-पत्र कब प्राप्त हुये थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ये तो तहसीलदार और कलेक्टर के यहां गुजरे थे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

वह प्रार्थना-पत्र कब दिये गये थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस के लिये मुझे सूचना चाहिये ।

*१४–१५—श्री सुरजन राम विशारद (जिला आजमगढ़)—

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१६—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

सयाना बुगरासी मार्ग

*१७--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जिला बुलन्दशहर में सयाना बुगरासी मार्ग को तीसरी पंचसाला योजना काल ही में पक्का करवाने की और उसके लिये धनराशि को उपलब्ध करने के लिये प्रयास करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

धनाभाव के कारण अभी इस प्रयास के सफल होने की संभावना नहीं है ।

*१८--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक १० जुलाई, सन् १९६३ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना के सीमित आकार के कारण सयाना बुगरासी मार्ग को चालू योजना काल में पक्का करवाना सम्भव नहीं है, तो क्या सरकार इस मार्ग को चौथी पंचवर्षीय योजना काल के शुरू में पक्का करवाने में प्राथमिकता देगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस सम्बन्ध में कुछ कहना अभी सम्भव नहीं है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

श्रीमन्, इस सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० ने १९५४ में लिया था कच्ची सड़क के रूप में और अर्थवर्क करवाया था । तीसरी योजना में इसे जिला परिषद् ने प्राथमिकता भी दी, तो इसे अब तक पक्का क्यों नहीं करवाया गया ?

श्री अध्यक्ष--

वह कह रहे हैं कि यह धनाभाव के कारण नहीं हुआ ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

आखिर इतनी जरूरी सड़क के लिये ही रुपये की कमी क्यों है जब कि इससे कम जरूरी सड़कें बनायी जा रही हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

तीसरी योजना जब बनायी गयी थी, उस समय जो परिस्थिति थी उसे देखते हुये यह निर्णय किये गये थे कि कौन-सी सड़कें बनायी जायंगी और कौन-सी नहीं और उसी के अनुसार कार्य चल रहा है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस पर अर्थवर्क करवाने में १९५४ में जो ३६००० रुपया खर्च किया गया और उस समय सरकार की आज्ञा थी कि इसे तुरन्त पक्का करवा दिया जायगा और आज तक इसे पक्का नहीं किया गया तो क्यों ? और आखिर इस के लिये रुपये की कमी क्यों है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जिस समय योजना बनी उसमें इसको प्राथमिकता नहीं मिली और इसलिये यह सड़क नहीं बन पायी ।

श्री मैनेजरसिंह--

क्या मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि जो प्राथमिकता की सूची तैयार होती है उसमें उन सड़कों को वरीयता का स्थान अपने आप प्राप्त हो जाय कि जिनको सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पहले से अपने अधिकार में ले रखा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिये हैं उस सिलसिले में मुझे यह पूछना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये १८ वर्ष पहले निश्चय लिये गये थे तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर तैयार हैं कि साल की योजना का निश्चय एक साल पहले कर लिया जाय और उत्तर प्रदेश की उन मंडियों के रास्ते मजबूत करा दिये जायं जहां से कृषि की उन्नति में काश्तकार को पैसा मिल सके ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जी नहीं ।

श्री मैनेजरसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या औचित्य है कि जिन सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने कब्जे में लिया था बनवाने के लिये उनको न बनवा करके नयी नयी सड़कों को प्राथमिकता दी जा रही है ? क्या यह मंत्रियों के परिवर्तन के कारण और वोटों के प्राप्त करने के लिये हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष---

यह जो आपने जोड़ा उससे कोई लाभ होता नहीं है । आरोप लगाने से न आपको लाभ होता है न सदन को ।

प्रश्न यह है कि सिर्फ एक सड़क ५४ में चुनी गयी । मालूम होता है कि उसको प्राथमिकता दी गयी । माननीय सदस्य का प्रश्न है कि एक मर्तबा प्राथमिकता देकर फिर क्यों उसे छोड़ दिया गया । आपने कहा था कि सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता तो क्या सिद्धान्त है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

किसी विशेष सड़क की बात मैं बता सकता हूं कि परिवर्तन क्यों किया गया । आम तौर से तो ऐसा नहीं होता कि जिसको प्राथमिकता दी जाय, जिसका निर्णय किया जाय उसको हटा कर दूसरी सड़कों को ले लिया जाय ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिया गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना में भी संभव नहीं है इस सड़क को बनाना, तो क्यों संभव नहीं है जबकि जिला परिषद् में तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता भी दे रखी है, हालांकि नीचतम है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जब चौथी योजना बनेगी तब हर जिले में कौन सी सड़क बनायी जाय इस पर पूरे तौर से विचार होगा और जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार उसी समय निर्णय लिया जायगा । आज से अपने को कमिट करना मुनासिब नहीं समझता ।

एच० टी० सी० अध्यापकों का प्रोमोशन

*१९—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

तारांकित प्रश्न संख्या १ नत्थी 'ग' दिनांक २२ मार्च, १९६३ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो अध्यापक अन्य जूनियर हाई स्कूलों में ५ वर्ष से कार्य कर रहे हैं, उन्हें जे० टी० सी० ग्रेड देने में सरकार को क्या-क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अन्य जूनियर हाई स्कूलों में ५ वर्ष से कार्य करने वाले अध्यापकों को जे० टी० सी० ग्रेड देना आर्थिक एवं प्रशासनीय कारणों से सम्भव नहीं है।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिला परिषदों के अन्तर्गत जे० टी० सी० शिक्षा देनेवाले अध्यापक जूनियर हाई स्कूलों में काम कर रहे हैं और उनको जे० टी० सी० का ग्रेड नहीं दिया जा रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मुझको तो फिलहाल ऐसी बात मालूम नहीं है। माननीय सदस्य अगर कोई विशेष केसेज देंगे तो जानकारी की जायगी।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बतायेगी कि प्रशासकीय कारण कौन-कौन से हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

कुछ माडेल स्कूल खोले गये हैं उनमें कुछ एच० टी० सी० अध्यापक जो हाई स्कूल पास थे और जो उनमें अच्छा कार्य कर रहे थे उनको यह सुविधा दी गयी है।

अगर सब को यह सुविधा दी जायेगी तो तमाम व्यवस्था, जो ग्रेड के अनुसार चलती है और आज जिसके अनुसार नियुक्तियां होती हैं, ही बदल जायेगी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

जब जे० टी० सी० और एच० टी० सी० के लिये मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है और दोनों की ट्रेनिंग भी प्रायः एक सी ही है, तो क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने विभाग को ऐसे आदेश देंगे कि वह अगले वर्ष में उन दोनों को एक करने के प्रश्न पर विचार करे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह सही नहीं है। एच० टी० सी० के लिये मिनिमम क्वालिफिकेशन जूनियर हाई स्कूल है और जे० टी० सी० की हाई स्कूल है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

मन्त्री जी ने यह अन्तर जरूर बतलाया है, मगर इन लोगों के चुनाव के वक्त हम लोगों को यह देखने को मिला है कि हम हाई स्कूल वालों को ही पहले प्रीफ्रेन्स देते हैं। इस कारण ८वीं क्लास वालों को तो प्राथमिकता दी ही नहीं जाती। इस कारण व्यवहारिकता में न्यूनतम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल ही आ गयी है। तो क्या मंत्री जी दोनों को एक में मिलाने वाले प्रश्न पर फिर से विचार करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, विचार तो हमेशा होता ही रहता है। इच्छा भी यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा पहुंचायी जाये। फिर भी हमें अपने आर्थिक साधनों को तो देखना ही पड़ता है और उसी के अनुसार जितनी सुविधा सम्भव हो सकती है वह दी जाती है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि जिलों में डिप्टी डाइरेक्टर ने एक सर्कूलर भेजा है जिसमें यह स्पष्ट किया है कि जे० टी० सी० में केवल इंटरमीडिएट ही लिये जायं, हाई स्कूल नहीं?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, कुछ तो जानकारी है। "केवल" शब्द की जानकारी नहीं है, उसका उल्लेख मैं समझता हूं, नहीं है। किन्तु यह बात सही है कि जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं उनमें अधिक से अधिक योग्यता वालों को पहले लिया जाता है। अधिक योग्यता वालों को नजरन्दाज करके कम योग्यता वालों को नहीं लिया जाता है।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे, जैसा कि उन्होंने बताया कि हायर क्वालिफिकेशन्स वाले पहले लिये जाते हैं, कि क्या बी० ए० पास वाले भी इसमें लिये जायेंगे?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, मैंने कहा कि न्यूनतम योग्यता ८वीं कक्षा तक की है। साथ में यह भी निवेदन किया कि यदि एच० टी० सी० के लिये लोगों को लेना है तो चाहा यह जाता है कि अधिक से अधिक योग्यता वाले कैन्डीडेट्स को पहले लिया जाय। लेकिन अगर कहीं हाई स्कूल वाले नहीं मिलते, तो कहीं ऐसी पाबन्दी नहीं है कि जूनियर हाई स्कूल वालों को लिया ही न जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

लाखों लोग मिडिल पास करके हर साल निकलते हैं और मन्त्री जी कहते हैं कि एच० टी० सी० में भी हाई स्कूल पास लिये जावेंगे, तो ये मिडिल पास क्या करेंगे? क्या मन्त्री जी एच० टी० सी० के लिये प्राथमिकता जूनियर हाई स्कूल को ही देंगे?

श्री कैलाशप्रकाश—

यदि जो शिक्षा में अधिक योग्यता रखता हो उसे अकारण न छांटा जाय तो कल को माननीय सदस्य ही यह कहेंगे कि इसे क्यों नहीं छांटा गया। चूंकि एक सीमित संख्या में छांटना होता है इसलिये साधारणतया अधिक योग्यता वालों को लेते हैं।

*२०—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*२१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[हटा दिया गया।]

नोट—तारांकित प्रश्न १९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सलेमपुर तहसील में कक्षा ६ की फीस के लिये अनुदान

*२२—श्री कैलाश—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में जूनियर हाई स्कूल के कक्षा ६ के विद्यार्थियों की फीस जो सरकार द्वारा दी जाती है वह सन् १९५९–६०, १९६०–६१, १९६१–६२ और सन् १९६२–६३ में उन स्कूलों के प्रबन्धकों को जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों और कुल कितना रुपया बकाया पड़ा हुआ है?

श्री कैलाश प्रकाश—

८ स्कूलों को वर्ष १९५९–६० में तथा २ स्कूलों को १९६२–६३ में क्षति पूर्ति अनुदान नहीं दिया गया। १९५९–६० में अनुदान प्रबन्धक समितियों के विलम्ब से पंजीकृत होने के कारण स्वीकृत नहीं किया जा सका। १९६२–६३ में प्रबन्धकों ने आवेदन-पत्र ही नहीं भेजे थे। १९६३–६४ में पूरा अवशेष अनुदान दे दिया गया है।

रामपुर ग्राम में चकबन्दी

*२३—श्री बब्बनसिंह तथा श्री विष्णुप्रतापसिंह—

क्या सरकार को पता है कि मौजा रामपुर, परगना नवाब गंज, तहसील तरबगंज, जिल गोंडा में, नम्बर, ५३११ बन्दोबस्त अव्वल, दोयम सोयम में तालाब दर्ज हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि किस आधार पर चकबन्दी के दौरान में इस नम्बर में से ४ ई, १० डी० निकाल कर एक काश्तकार के नाम फैसला कर दिया गया है जबकि पूरा रकबा हमेशा पानी में डूबा रहता है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

गाटा संख्या ५३११ बन्दोबस्त अव्वल, दोयम तथा सोयम में तालाब दर्ज है। चकबन्दी कार्यवाही के अन्तर्गत भी उप संचालक चकबन्दी के निर्णय के अनुसार उक्त गाटा अभिलेखों में तालाब ही दर्ज किया गया है।

*२४—श्री बब्बनसिंह तथा श्री विष्णुप्रतापसिंह—

क्या सरकार उपरोक्त नम्बर की जो कि मौके पर तालाब है किसी उच्च अधिकारी द्वारा तुरन्त जांच करायेगी कि जिससे रबी की फसल की सिंचाई उस तालाब से करने वाले काश्तकारों को कोई रुकावट न हो और ये क्षति से बच सकें?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उपरोक्त गाटा चकबन्दी न्यायालयों द्वारा भी अन्तिम रूप से तालाब ही माना गया है। यह गांव सभा की सम्पत्ति है। अतः किसी अधिकारी द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं मालूम होती।

*२५—श्री कैलाश—

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*२६–२८—श्री विष्णु प्रताप सिंह तथा श्री बब्बन सिंह—

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२९–३०—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३१—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

घोसी तहसील में गांव सभा, बस्ती की भूमि

*३२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माल मन्त्री दिनांक २९ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २८ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा न्यायालय में क्या और कब से चल रहा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

लावारिस सम्पत्ति की वरासत का मुकदमा दिनांक ११-९-६२ से चल रहा है।

*३३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा लिखित १ अप्रैल, १९६३ का कोई आवेदन-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें गांव समाज बस्ती वर्सी, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़, की सम्पत्ति पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश करने की शिकायत की गई है? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई है?

श्री हुकुम सिंहविसेन—

जी हां। कोई कार्यवाही सम्भव नहीं क्योंकि वरासत का मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

*३४-३५—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३६-३७—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

[२५ फरवरी, १९६४ के लिये प्रश्न ५९-६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३८—श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुलतानपुर)—

[४ मार्च, १९६४ के लिये प्रश्न संख्या ७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मथुरा में नावों का पुल तथा यमुना के घाटों की मरम्मत

*३९—श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा) तथा श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मथुरा में नवीन पुल के निर्माण से पूर्व कोई नावों का पुल बनाया गया था? यदि हां, तो उसकी क्या लागत थी और उससे कितने दिन काम लिया गया तथा अब नवीन पुल के चालू हो जाने से नावों का क्या हो रहा है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां, मथुरा में नवीन पुल के निर्माण से पूर्व ३,१२,५३४ रु० की लागत पर नावों का पुल बनाया गया था। इस पुल से मथुरा में कोई काम नहीं लिया जा सका और अब इस पुल की नावें अन्य नौका घाटों पर स्थानान्तरित कर दी गई हैं।

*४०—श्री कन्हैयालाल तथा श्री केदारनाथ भार्गव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा में यमुना के घाटों की मरम्मत के लिये सरकार के सामने क्या योजना विचाराधीन है तथा उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है?

श्री जगनप्रसाद रावत--

योजना स्वीकृत हो चुकी है। आधा कार्य हो चुका है।

*४१--श्री कन्हैया लाल तथा श्री केदारनाथ भार्गव--

क्या यह सही है कि मथुरा में रेल के पुराने पुल पर होकर बने हुए फुट पाथ को रेलवे ने पैदल जाने वाले लोगों के लिये बन्द कर दिया है तथा भविष्य में भी उस फुट पाथ को तोड़ने की योजना है जिससे पैदल जाने वाले लोगों को लगभग ३ मील का चक्कर लगा कर जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित की दृष्टि से केन्द्रीय रेलवे मन्त्रालय से सम्पर्क स्थापित करके ऐसी व्यवस्था करायेगी कि जिससे वह फुटपाथ यथावत् बना रहे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी हां। रेलवे विभाग अपने पुल में फिर से गर्डर लगाने का कार्य कर रहा है, जो पुल पर बने फुटपाथ को बिना तोड़े सम्भव नहीं है।

*४२--श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)--

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*४३--श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)--

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

पी० डब्ल्यू० डी० अन्वेषणालय में असिस्टेन्ट केमिस्ट का वेतन

*४४--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिनांक १३ दिसम्बर, १९६३ के प्रश्न संख्या ९४ के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विधान सभा ने अगस्त, १९६१-६२ के सप्लीमेंटरी बजट की अनुदान संख्या ३५ में पी० डब्लू० डी० अन्वेषणालय के असिस्टेंट केमिस्ट आदि के वेतन-क्रम १ सितम्बर, १९६१ से बढ़ाने का जो निश्चय किया था वह लागू हो गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी नहीं, क्योंकि बढ़े हुए वेतन-क्रम किसी व्यक्ति को उस तिथि से दिये जायेंगे जिस तिथि से लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत उसकी नियुक्ति होगी।

*४५--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या सरकार बतायेगी कि १ नवम्बर, १९६१ के आदेश में सप्लीमेन्टरी बजट, १९६१-६२ की ३५वीं अनुदान में बढ़े हुए वेतन-क्रम के लागू होने की तिथि १ सितम्बर, १९६१ को क्यों बदला गया जबकि उक्त अनुदान में स्पष्टतया लिखा था कि "अन्वेषणालय के कर्मचारियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता इसीलिये वेतन-क्रम बढ़ाया जा रहा है"?

श्री जगनप्रसाद रावत--

किसी व्यक्ति विशेष को बढ़े हुए वेतन-क्रम का लाभ उस तिथि से होगा जिस तिथि को लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत व्यक्ति की नियुक्ति की जायगी। अनुदान की व्याख्यात्मक टिप्पणी में यह नहीं लिखा गया था कि इस कारण वेतन-क्रम बढ़ाया गया है क्योंकि अन्वेषणालय के कर्मचारियों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है।

*४६—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार १ नवम्बर, १९६१ के आदेश को आज तक जिसे साढ़े पच्चीस महीने हो चुके हैं लागू न करने का कारण बतलायेगी व यह भी बतायेगी कि विभाग के किन-किन कर्मचारियों पर इस विलम्ब का उत्तरदायित्व है और क्या सरकार जनहित में उनके विरुद्ध कोई कठोर कदम उठायेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

विषय लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है। किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*४७-४८—श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर) तथा श्री राम सुन्दर शास्त्री (जिला, गाजीपुर)—

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४९—श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

[हटा दिया गया।]

स्कूलों में चपरासियों व क्लर्कों का वेतन

*५०—श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्राइमरी स्कूलों में जहां कक्षा १ से ५ तक शिक्षा होती है चपरासियों तथा नौकरानियों के वेतन का कोई ग्रेड सरकार द्वारा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९६ पर)

*५१—श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एडेड हायर सेकेन्डरी स्कूल्स में क्लर्क, हेड क्लर्क, चपरासियों और नौकरानियों के वेतन का कोई ग्रेड सरकार द्वारा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। शासन द्वारा सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिपिकों तथा प्रधान लिपिकों के निम्नलिखित वेतनक्रम निर्धारित हैं—

(१) इन्टरमीडिएट कालेजों के प्रधान लिपिक रु० ७५-५-१२० ।
(२) हाई स्कूलों के प्रधान लिपिक .. रु० ६०-४-८०-द०रो०-४-१०० ।
(३) अन्य लिपिक .. .. रु० ६०-४-८०-द०रो०-४-१०० ।
(४) महंगाई भत्ता .. .. २० रु० मासिक ।

कथित विद्यालयों के चपरासी तथा अन्य चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का वेतन क्रम शासन ने नहीं निर्धारित किया है। उनका वेतन विद्यालयों के प्रबन्धक स्थानीय प्रचलित दरों के अनुसार देते हैं।

जिला कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उन्नति

*५२--श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कलेक्टरी कचेहरी के चतुर्थ श्रेणी के अमले के कर्मचारियों को जो हाई स्कूल पास हैं उनको तृतीय श्रेणी में क्लर्क्स के पद पर तरक्की देने के बारे में क्या कोई रुकावट है ? यदि हां, तो क्यों और क्या ? यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों को तरक्की दिये जाने के बारे में जिलों में अमलदरामद हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जिला कार्यालयों में लिपिकों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संवर्ग (Cadres) बिलकुल पृथक-पृथक हैं। नियमों के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु कोई प्राविधान नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के वे कर्मचारी जो वांछित योग्यता रखते हैं तथा जिला कार्यालयों में लिपिक वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिये निर्धारित प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उक्त पदों पर नियुक्त किये जा सकते हैं।

पूर्वी जिलों के लिये सड़कें

*५३--श्री कैलाश तथा श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक योजना मांगी थी और उसके अनुसार प्रान्तीय सरकार को धन दिया गया है ? यदि हां, तो वह योजना कुल कितने रुपये की है और किस-किस जिले में किन-किन सड़कों के लिये बनायी गयी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिये कोई विशेष योजना नहीं मांगी है और न इस संबंध में राज्य सरकार को कोई धनराशि ही दी गई है।

*५४--श्री गणेश चन्द्र काछी--

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*५५--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

[हटा दिया गया।]

*५६--श्री भीमा प्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

बाराबंकी जिले में कलेक्शन अमीनों की सीनियारिटी

*५७--श्री राम किशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार २७ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगी कि १२ दिसम्बर, १९६० को जो सूची फाइनल की गयी उसमें किन-किन व्यक्तियों को जूनियर से सीनियर बनाया गया और किन-किन अमीनों को सीनियर से जूनियर और कौन-कौन अमीन ऐसे थे, जिनके नाम १२ दिसम्बर, १९६० की फाइनल सूची में नहीं दर्ज किये गये और इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

१२–१२–६० की फाइनल सूची में आपत्तियों के निर्णय के पश्चात् जिन अमीनों के नाम ऊपर नीचे किये गये उनका ब्योरा संलग्न† सूची में दिया हुआ है। जहां तक १२–१२–६० की फाइनल सूची में कुछ नाम दर्ज न किये जाने का संबंध है, उसका विवरण इस प्रकार है :

१—श्री जगन्नाथ प्रसाद निगम—

१४–९–६० को घुमाई गई अन्तरिम सूची में आप नौकरी से अवकाश ग्रहण कर चुके थे। अतएव १२–१२–६० की अन्तिम सूची में आपका नाम अंकन करने का प्रश्न नहीं उठता।

२—श्री वारिस अली—

इनकी सेवाएं दिनांक २४–९–६० को समाप्त कर दी गई थीं। अतः १२–१२–६० की अन्तिम सूची में इनके नाम अंकन करने का प्रश्न नहीं उठता।

३—श्री चन्द्रशेखरसिंह—

इनकी नियुक्ति केवल अस्थाई रूप से उस समय तक के लिये की गई थी जब तक कि पूरे वर्ष का इन्तजाम न हो। १३–९–६० को श्री जुगुल किशोर ओझा की नियुक्ति पूरे वर्ष के लिये की गई। अतएव १२–१२–६० की अन्तिम सूची में इनका नाम हटा दिया गया।

*५८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १२ दिसम्बर, १९६० या १४ सितम्बर, १९६० की सूची के कौन अमीन ऐसे हैं जिन्हें जूनियर होने की वजह से काम नहीं दिया गया है ? क्या सरकार उनकी नियुक्ति पर बिचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

केवल श्री चन्द्र शेखर सिंह ऐसे अमीन थे जो अस्थाई व जूनियर होने के कारण हटा दिये गये थे। उनकी नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

*५९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह सही है कि प्रावीजनल सूची के १३० नम्बर के व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हुई है जबकि उसके बाद के और सूची में अलग के लोगों को नियुक्त कर दिया गया जो कि १३० नामों के अतिरिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने और कौन-कौन हैं ? क्या १३० नम्बर के व्यक्ति की नियुक्ति भी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तीन उपर्युक्त आदमी सर्वश्री जुगुल किशोर ओझा, नफीसुल हसन तथा हमीदुल्ला बेग की नियुक्ति की गई। १३० नम्बर के व्यक्ति की पुनः नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

*६०—श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री कैलाश—

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*६१–६२—श्री भगवानदीन (जिला बस्ती)—

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

---

†छापी नहीं गयी।

बेसिक रीडर व बेसिक अंकगणित

*६३—श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री कैलाश—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाने के लिये स्वीकृत पुस्तकें बदली गयी हैं ? यदि हां, तो किस-किस कक्षा की कौन सी पुस्तकें किस-किस विषय की बदली गयी हैं और क्यों ? क्या शिक्षा मंत्री बदली हुई नयी किताबों के प्रकाशक, मुद्रक एवं लेखक के नाम बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। कक्षा १ से ४ तक की बेसिक रीडर तथा कक्षा १ से ५ तक की बेसिक अंकगणित बदली गयी है। पुस्तकों के बदलने का कारण उन्हें वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना था। ये पुस्तकें राजकीय प्रकाशन हैं और विभागीय अधिकारियों द्वारा लिखवायी गयी हैं। इनका कापी राइट शासन के हाथ में है। अतः मुद्रकों और प्रकाशकों के नाम की सूची का प्रश्न नहीं उठता।

*६४—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

[तीसरे गुरुवार के लिये प्रश्न ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बिरनों ब्लाक में लड़कियों का जूनियर हाई स्कूल खोलना

*६५—श्री झिलमिटराम—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के ब्लाक बिरनों के अन्तर्गत ग्राम बुद्धूपुर में लड़कियों का जूनियर हाई स्कूल कायम करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र सहित सरकार को सन् १९६२ में भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में जूनियर हाई स्कूल स्थापित करने का बिचार करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी हां, स्कूल के लिये तथा अध्यापिकाओं के निवास के लिये कोई उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण स्कूल खोलना संभव न हो सका।

महुला गड़वल बांध की जमीन

*६६—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में महुला-गड़वल बांध में पड़ी हुई जमीन की मालगुजारी आज भी वसूल हो रही है और उन जमीनों का किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं। महुला-गड़वल बांध में पड़ी हुई जमीन की मालगुजारी वसूल नहीं की जा रही है, उसका मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है।

*६७—श्री उमाशंकर—

क्या यह सच है कि भैंदौरा मकरन्द, भैंदोराखास, शाहडीत और हाजीपुर गांव के किसानों की बांध में पड़ी हुई जमीन की मालगुजारी वसूल करने के लिये कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं। प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल नहीं उठता।

बरई ग्राम में पान की काश्त पर लगान

*६८—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरई मानपुर, तहसील नरैनी, जिला बांदा, में किसानों की खेती पर, जिसमें वे पान की काश्त करते हैं, लगान प्रति एकड़ ११० रुपये है जबकि खेत तीन साल के बाद हल्की भूमि होने के कारण परती डाल रखना पड़ता है ? यदि हां, तो उनका लगान आज तक सर्किल रेट पर क्यों नहीं किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, लगभग इतना ही है । जैसा कि मैं विगत सत्र के सातवें शुक्रवार को माननीय सदस्य के प्रश्न संख्या ७३ के उत्तर में बता चुका हूं, अगर कोई खातेदार समझता है कि उसे मालगुजारी में छूट प्राप्य है तो वह उसे अपने परगनाधीश के यहां आवेदन-पत्र देकर प्राप्त कर सकता है ।

*६९—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

[दूसरे मंगलवार के लिये प्रश्न ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७०-७१—श्री विजयसिंह—

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

बर्डघाट पुल

*७२—श्री काशीनाथबहादुर पाल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सवारी द्वारा बर्डघाट पुल अथवा नाव द्वारा वहां नदी पार करने में विधायकों को पुल निःशुल्क उतरने की सुविधा प्राप्त है, या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां, ऐसी सुविधा प्राप्त है ।

*७३. —श्री काशीनाथबहादुर पाल—

यदि नहीं, तो क्या सरकार विधायकों को यह सुविधा प्रदान करने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शोभनाथसिंह, ओवरसियर के विरुद्ध शिकायत

*७४—श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार २० दिसम्बर, १९६३ ई० के प्रश्न नं० १०९ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेगी कि श्री गेनाउल्लाह जी के अक्तूबर, १९६३ ई० को दोबारा दिये गये शिकायती आवेदन-पत्र के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अक्तूबर सन् १९६३ के शिकायती आवेदन-पत्र में अगस्त सन् १९६३ में दिये गये शिकायती-पत्र के विषय में तथा उसी में की गई शिकायतों का उल्लेख है जिसके ऊपर जांच हो चुकी है ।

इसमें केवल एक नया विषय उठाया गया है जिसके ऊपर विभाग जांच कर रहा है ।

*७५—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

[६ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

श्री गांधी विद्यापीठ इन्टर कालेज, घाटमपुर, में गबन

*७६—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार को मालूम है कि श्री गांधी पीठ इंटर कालेज, कानपुर, के प्रबन्धक ने कालेज के धन का गोलमाल कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि कितने रुपये का गोलमाल प्रबन्धक ने किया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्री गांधी पीठ इन्टर कालेज नाम की कोई संस्था कानपुर में नहीं है। हां, श्री गांधी विद्यापीठ इन्टर कालेज, घाटमपुर, कानपुर, नाम की एक संस्था है । संभवतया सदस्य महोदय का आशय इसी संस्था से है । इस कालेज के लेखे की जनवरी, १९६३ में हुई जांच के अनुसार धन का कोई गोलमाल नहीं पाया गया । जनवरी, १९६४ में धन के गोलमाल की शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हुई है । जांच की जा रही है ।

*७७-७८—श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—

[४थे शुक्रवार के लिये प्रश्न ६५-६६ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

*७९-८०—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़) तथा श्री मंगलप्रसाद आर्य (जिला-देवरिया)—

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

छात्रों में अनुशासनहीनता

*८१—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता के कारण तथा निराकरण के उपायों पर बिचार करने के लिये सरकार द्वारा कोई समिति बनाने अथवा कोई सम्मेलन करने की योजना पर बिचार हो रहा है ? यदि हां, तो वह कमेटी किन-किन बातों पर बिचार करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं । दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर विद्यालय कर्मचारी संघ की मांगें

*८२—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ६ अथवा ७ दिसम्बर, १९६३ को कानपुर विद्यालय कर्मचारी संघ का कोई मांग-पत्र नेता विरोधी दल द्वारा प्रेषित किया हुआ मिला है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां ।

*८३—श्री मन्नालाल—

यदि हां, तो क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं तथा सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश —

मुख्य मांगें निम्नवत् हैं :

(१) वेतन, महंगाई में तरक्की।
(२) सेवा सुरक्षा ।
(३) कार्यकाल ८ घन्टे हो।
(४) अवकाश की सुविधायें।
(५) प्राविडेन्ट फन्ड।
(६) निवास की व्यवस्था।
(७) वर्दी।
(८) सेवा नियमों का निर्माण शिक्षा विभाग करे।
(९) अध्ययन की सुविधा दी जाय।
(१०) विश्वविद्यालय तथा बोर्ड की परीक्षाओं में कार्य करने का पारिश्रमिक दिया जाय।
(११) संघ को मान्यता दी जाय।

यह संघ शासन द्वारा मान्य नहीं है और अमान्य संघों की मांगों पर साधारणतया विचार नहीं किया जाता। इस संघ की स्थिति के बारे में आवश्यक जांच की जा रही है।

*८४—८-६-श्री बाबुलाल (जिला प्रतापगढ़) —

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

बापू महाविद्यालय, सलेमपुर, में गबन

*८७—श्री उग्रसेन—

शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि बापू महाविद्यालय, सलेमपुर, जिला देवरिया के हिसाब-किताब में दस हजार का गबन है और जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया, ने उक्त विद्यालय के हिसाब-किताब के कागजात जब्त कर लिये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

*८८—श्री उग्रसेन —

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया के एक विधायक ने भी इस आशय की शिकायत दिसम्बर, १९६३ में की है और बापू महाविद्यालय, सलेमपुर, को सरकारी नियन्त्रण में शीघ्र लेने की मांग की है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*८९-९१—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) —

[तीसरे बुधवार के लिये प्रश्न ६६-६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

R.A. 402
132633

राजेन्द्रनगर, लखनऊ सरकारी क्वार्टर्स

*९२—श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी) —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजेन्द्रनगर, लखनऊ, में जो स्टेट विभाग के क्वार्टर हैं वे किस-किस के नाम अलाट हैं, कब-कब एलाट किये गये और क्या यह सत्य है कि जिनके नाम अलाट हैं वह न रह कर के और लोगों को अवैधानिक तरीके से उठा दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन क्वार्टरों में कौन-कौन अन्य लोग अब रह गये हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी) —

वांछित सूचना संलग्न† तालिका में दी हुई है।

*९३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) —

[हटा दिया गया।]

पलिया परगने में फर्जी इन्दराज

*९४—श्री मंगलदेव —

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी, परगना पलिया, तहसील निघासन के ग्राम ऐठपुर, गजरौरा, पटिहन तथा मुंजठा में हजारों एकड़ भूमि पर बागात का फर्जी इन्दराज करा कर कुछ लोग कब्जा किये बैठे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

जिला खीरी में तहसील निघासन के परगना पलिया के ग्राम ऐंठपुर, गजरौरा, पटिहन तथा मुन्जहा में बाग सम्बन्धी फर्जी इन्दराज किये जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। उसके सम्बन्ध में परगना अधिकारी जांच कर रहे हैं।

*९५—श्री मंगलदेव—

क्या सरकार मौके की खुली जांच करायेगी और जिम्मेदार कर्मचारियों को दण्ड देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

हाकिम परगना की जांच खुली होती है।

*९६-९७—श्री लखी सिंह (जिला मथुरा) —

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

चकबन्दी कर्मचारी

१—श्री हरीशकुमार गंगवार —

क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग में तेल और गैसों का प्रयोग रात्रि को सरकारी कार्य के प्रयोग के लिये होता है ? यदि हां, तो क्या रात्रि में कार्य करने का कर्मचारियों को ओवर टाइम भी दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री हुकुमसिंह विसेन —

चकबन्दी कर्मचारी कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर रात्रि में भी काम करते हैं तब गैस लालटेनों का उपयोग किया जाता है। ये लोग सरकार के पूर्ण समय के कर्मचारी हैं और इन्हें ओवर टाइम देने का प्रश्न नहीं उठता है। ओवर टाइम केवल औद्योगिक कर्मचारियों के लिये होता है।

२—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) —

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

विधायकों का आवास भत्ता

३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्यों की उपलब्धियों का संशोधित अधिनियम, १९६३ के अनुसार जो माननीय सदस्य विधायक निवासों के छोटे कमरों में रहते हैं उनका मकान भत्ता ४० रुपये के हिसाब से काट कर ३५ रुपये माहवार के हिसाब जो माननीय सदस्यों को अभी तक नहीं दिया गया है, उसमें ९,१० मास की अवधि बीत जाने पर भी इसकी व्यवस्था सरकार द्वारा न कराये जाने का क्या कारण है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

"उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२" जो उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, १९६३ द्वारा संशोधित किया गया है, की धारा २ (ख) (२) के अन्तर्गत कमरों को 'क' (बड़े) तथा 'ख' (छोटे) श्रेणियों में वर्गीकरण के लिये तथा व्यवस्थित आवास के प्रयोग के कारण होने वाले व्ययों के सम्बन्ध में बनायी जाने वाली नियमावली को अभी अन्तिम रूप में नहीं दिये जा सकने के कारण ही उक्त प्रतिकर भत्ते के देने में विलम्ब हो रहा है।

४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार —

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवासों के छोटे कमरों का भत्ता ३५ रुपये माहवार के हिसाब से सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार द्वारा कब तक दिलाया जायगा?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

उपरोक्त नियमों के बन जाने पर तुरन्त ही सम्बन्धित सदस्यों को प्रतिकर भत्ता दे दिया जावेगा।

पब्लिक इन्टर कालेज, सयाना, के अध्यापकों का वेतन

५—श्री मुमताज मुहम्मद खां —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर, ने ३ दिसम्बर, १९६३ को पब्लिक इण्टर कालेज, सयाना, जिला बुलन्दशहर, की अनुपालन अनुदान की रकम का अध्यापकों को अपनी इच्छानुसार वतन बांटा और इस रकम को संस्था की प्रबन्धक समिति द्वारा स्वीकृत तथा प्रेषित बिल के अनुसार नहीं बाँटा और इसके विपरीत उन अध्यापकों को जिन्होंने विद्यालय के कार्य में पूरा सहयोग दिया था अक्तूबर मास का वेतन नहीं दिया जबकि अनुपालन अनुदान का रुपया बच भी गया है?

श्री कैलाशप्रकाश --

जी नहीं। दिनांक ३ दिसम्बर, १९६३ को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वेतन का वितरण नियमानुसार किया गया।

६--श्री मुमताज मुहम्मद खां --

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इस प्रकार जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर, ने हाई कोर्ट, इलाहाबाद, के आदेश, दिनांक १६ अक्तूबर, १९६३, की भी अवहेलना की, जिसके द्वारा शिक्षा विभाग को प्रबन्धक समिति के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोका गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश --

जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

७--श्री मुमताज मुहम्मद खां --

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर, ने स्वयं सयाना जाने के बजाय पब्लिक इण्टर कालेज, सयाना, के ४२ अध्यापकों को वेतन देने के लिये सयाना से बुलन्दशहर बुलाया, जिससे कि कालेज ३ दिसम्बर, १९६३ को बन्द रहा था और अध्यापकों को भी आर्थिक कष्ट उठाना पड़ा ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--

वेतन की धनराशि अधिक होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से नकद धन सयाना ले जाना उचित नहीं था। अत: प्रधानाचार्य के परामर्श से ऐसा किया गया।

८--श्री गणेशचन्द्र काछी--

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

९-१०--श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री कैलाश--

[हटा दिये गये।]

११--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

मखमेलपुर के किसानों का पत्र

१२--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मखमेलपुर, पोस्ट बीबीपुर, जिला आजमगढ़, के किसानों का १ मार्च, १९६३ का लिखित आवेदन-पत्र उन्हें तथा जिलाधीश को मिला है, जिसमें भूमिधर बन जाने के बावजूद भी अधिक मालगुजारी वसूल करने एवं बिना जोते हुये खेतों की मालगुजारी ५२.०३ न० पै० वसूल करने की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

ग्राम मखमेलपुर के किसानों का ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र शासन को नहीं मिला। उक्त ग्राम के निवासी श्री बलि राम, पुत्र श्री सुखदेव, का तद्विषयक एक प्रार्थना-पत्र दिनांक १ मार्च, १९६३ जिलाधीश आजमगढ़ को रजिस्ट्री द्वारा ८ अप्रैल, १९६३ को मिला था। जांच के उपरान्त तथा कथित शिकायतें गलत पाई गईं। अतएव, इस पर किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं हुई।

फखरुद्दीनपुर से मालगुजारी वसूली के विरुद्ध शिकायत

१३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम फखरुद्दीनपुर, तहसील मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़, के किसानों का आवेदन-पत्र २५ सितम्बर, १९६३ का लिखित उन्हें तथा जिलाधीश को प्राप्त हुआ है जिसमें मालगुजारी दे देने के बाद भी खमिया में बांध कर मारने, मालगुजारी लेकर रसीद न देने, साफे में बांध कर मालगुजारी के लिये तहसील तक ले जाने आदि की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और क्या प्रार्थियों के भी बयान, सबूत एवं गवाह आदि लिये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ग्राम फखरुद्दीनपुर के श्री अब्दुल जैस का २५ सितम्बर, १९६३ का एक आवेदन-पत्र तथा सर्वश्री अब्दुल जैस, मोहम्मद जहूर व हाफिज सदरुद्दीन का एक सम्मिलित तार शासन को प्राप्त हुआ था, जिसमें तथा कथित शिकायतें की गई थीं। उपरोक्त शिकायतों की जांच अतिरिक्त परगनाधीश, मोहम्मदाबाद, द्वारा कराई गई जिन्होंने जांच के दौरान में जो प्रार्थीगण मौजूद थे उनसे तथा कुछ अन्य व्यक्तियों से पूछताछ की। फलस्वरूप शिकायतें निराधार पाई गईं।

१४—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

बोर्ड परीक्षा के दण्डित परीक्षार्थी

१५—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल व इण्टर परीक्षा में सन् १९६०–६१ व १९६२–६३ इन चारों वर्षों में अवैधानिक उपायों का प्रयोग करने के कारण कितने-कितने छात्र दण्डित किये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—

परिषद् की हाई स्कूल व इण्टरमीडियेट परीक्षाओं में अवैधानिक उपायों का प्रयोग करने के कारण दण्डित किये परीक्षार्थियों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष		इन्टरमीडियेट परीक्षा	हाई स्कूल परीक्षा	योग
१९६०	..	६६२	२,६१३	३,२७५
१९६१ ..	..	७५८	२,५८९	३,३४७
१९६२ ..	..	८२४	२,७२५	३,५४९
१९६३ ..	..	५६३	१,०८७	१,६५०
	योग	२,८०७	९,०१४	११,८२१

१६—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

उक्त छात्रों में से कितने छात्रों ने बोर्ड के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपने मामले के अलग-अलग हालों में ले जाने की कोशिश की और कितने-कितने फैसले बोर्ड के अनुकूल रहे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

बोर्ड की १९६० व १९६१ व १९६२ व १९६३ की हाई स्कूल, इण्टरमीडियेट परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग करने वाले छात्रों में से बोर्ड द्वारा दण्डित निम्नलिखित संख्या में परीक्षार्थी बोर्ड के उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर हाई कोर्ट में अपने-अपने मामलों को अलग-अलग वर्षों में ले गये :

वर्ष		दायर की गई रिटों संख्या	निर्णय परीक्षार्थी के पक्ष में रहा	निर्णय बोर्ड के पक्ष में रहा	विचाराधीन है
१९६०	..	७४	४	६१	९
१९६१	..	१३	१	६	६
१९६२	..	१०	..	५	५
१९६३	..	३	..	३	..

नदावरघाट-गुठनीघाट पर पुल बनाना

१७—श्री कैलाश—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला में सलेमपुर तहसील में भटनी, नदावर घाट और गुठनीपुल सरकार बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसमें कब से कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

नदावरघाट और गुठनी घाट पर पुलों के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। भटनीघाट पर पुल के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

१८-१९—श्री कैलाश—

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

२०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[हटा दिया गया।]

हाई स्कूल पास विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व लखनऊ क्रिश्चियन कालेज से राजनीतिक पीड़ित छात्रवृत्ति के लिये प्रार्थना

२१—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष प्रान्त से कितने हाई स्कूल पास विद्यार्थियों को नेशनल अवार्ड नेशनल मेरिट छात्रवृत्ति प्रदान की गयी, उनके नाम जिलेवार क्या हैं और छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के उत्तीर्ण होने के नम्बर क्या हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, की १९६३ के हाई स्कूल परीक्षा के आधार पर न्यूनतम ४२८ अंक प्राप्त करने वाले, ३०३ विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई जिनकी जिलेवार सूची† सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

†छापी नहीं गई।

२२--श्री राजेन्द्रसिंह यादव तथा श्री मैनेजरसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ, से किन-किन छात्रों ने राजनैतिक पीड़ित छात्रवृत्ति पाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये ? उनमें से किन-किन को छात्रवृत्ति दी गयी और छात्रवृत्ति देने का आधार क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ, के निम्नलिखित ४ छात्रों के प्रार्थना-पत्र राजनैतिक पीड़ित छात्रवृत्ति के लिये इस वर्ष प्राप्त हुए हैं :

(१) श्री राजेन्द्र कुमार .. .. बी० एस-सी० (प्रथम वर्ष)
(२) श्री वीरेन्द्र प्रकाश तिवारी .. बी० एस-सी० (द्वितीय वर्ष)
(३) श्री अनिल कुमार .. .. कक्षा १२
(४) श्री कैलाश नाथ श्रीवास्तव .. कक्षा १२

उल्लिखित चारों छात्रों के छात्रवृत्ति के मामले विचाराधीन हैं।

छात्रवृत्ति देने का आधार निम्नवत् है:

यह छात्रवृत्तियां उत्तर प्रदेश के निवासी ऐसे छात्रों को, जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था में नियमित रूप से पढ़ रहे हों, और जिन्होंने पिछली वार्षिक परीक्षा में ४५ प्रतिशत से कम अंक न प्राप्त किये हों और जो उन राजनैतिक पीड़ितों के आश्रित संतान हों जिनकी मासिक आय ३०० रु० से अधिक न हो, योग्यतानुसार दी जाती है। इनमें वे भी सम्मिलित हैं जो पाकिस्तान से विस्थापित राजनैतिक पीड़ित हैं।

इण्टरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम में संशोधन करना

२३--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मन्त्री दिनांक १३ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि व्यावहारिक कठिनाइयां कौन-कौन हैं और कठिनाई निवारक के आदेश कौन-कौन हैं जिनका समय समाप्त हो गया है तथा संशोधन का विषय सरकार के विचाराधीन कब तक रहेगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--

इण्टरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम को संशोधित करने की व्यावहारिक कठिनाइयां इस प्रकार हैं :

(१) विद्यालयों में प्रबन्ध की दशा बिगड़ने पर वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रशासकीय नियन्त्रक की नियुक्ति में कठिनाई होती है ।

(२) प्रबन्धक द्वारा किसी अध्यापक को बिना इन्स्पेक्टर की पूर्व आज्ञा के निकालने पर अपील सम्भव नहीं होती। इससे अध्यापकों के हित की रक्षा नहीं हो पाती।

(३) महिला अध्यापकों की अपील सुनने के लिये सारे प्रदेश में केवल एक ही रीजनल अपीलेन्ट कमेटी है। इससे अपील बहुत दिनों तक पड़ी रह जाती है।

(४) जो संस्थायें चैरिटेबुल एन्डाउमेन्ट ऐक्ट, १८९० के अन्तर्गत कार्य करती हैं उनकी प्रशासकीय योजना के सम्बन्ध में ।

(५) अकसर प्रबन्ध या अध्यापकों के एक प्रतिनिधि के न आने पर रीजनल कमेटी का कार्य रुक जाता है, आदि ।

सात--"कठिनाई निवारक आदेश" इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम की धाराओं को लागू करने के लिये जारी किये गये थे। इन सबका समय समाप्त हो गया है। इनमें से कठिनाई निवारक आदेश संख्या (२) जिसमें स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को इस संशोधन अधिनियम की कुछ धाराओं से छूट देना है, कठिनाई निवारक आदेश संख्या (३) जिसमें ऐंग्लो इंडियन विद्यालयों को भी इस संशोधन अधिनियम से छूट देना है तथा कठिनाई निवारक आदेश संख्या (४) जिसमें संस्थाओं में कार्य करने वाले अध्यापकों को भी पदोन्नति द्वारा चुनाव में भाग लेने का अधिकार हो, को स्थायित्व प्रदान करना था।

इन संशोधनों को लाने के लिये विचार हो रहा है, किन्तु निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

२४--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मन्त्री दिनांक १३ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २० के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न शासन के विचाराधीन कब से है और कब तक रहेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

यह मामला सन् १९५९ से विचाराधीन है और आशा है कि शीघ्र ही इस पर निर्णय हो जायगा।

२५--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[हटा दिया गया।]

२६--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

२७-२८--श्री मंगलदेव--

[६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

मुखलिसपुर-सिकारीगंज सड़क

२९--श्री काशीनाथबहादुर पाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सड़क बस्ती जिले में मुखलिसपुर से धनधरा होते हुए सिकारीगंज तक पक्की बनाने के लिये अन्तरिम जिला परिषद्, बस्ती, ने सिफारिश की थी और जिसे सरकार ने भी मानकर पैमाइश इत्यादि का काम करवा लिया था, क्या अब उस सड़क के पक्के करने का विचार सरकार ने बदल दिया है ? यदि हां, तो विचार बदलने का क्या कारण है ? यदि नहीं, तो सड़क कब तक बन जायेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

मुखलिसपुर से धनघटा होते हुए सिकरीगंज तक सड़क के निर्माण का निश्चय सरकार ने नहीं बदला है। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि सड़क कब तक बन जायेगी।

पलिया बुजुर्ग से पट्टे के सम्बन्ध में शिकायत

३०--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम समाज, पलिया बुजुर्ग, परगना हथगाम, जिला फतेहपुर, की भूमि संख्या २९९६, १६५५, १४५४/३, १६११/१३, १६७६, १६८४, ११४५/१, १६८७, १७४८/२, २२७२, १६८६, ६४७, ६४७, २४४०, २४३७, २४३६, १०६६/२,

[श्री रघुवीर सहाय कैथवार]

१२६८ और १३६९ जुमला रकबा ७८ बीघा के पट्टे ग्राम सभा कसरांव के प्रधान ने पलिया बुजुर्ग के प्रधान के नाम से अपने और अपने परिवार के लोगों के हक में लिखे और उनकी तस्दीक जे० ओ०, बिन्दकी, जिला फतेहपुर, ने दिनांक ४ फरवरी, १९६३ को कर के अमल दरामद करा दिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

यह सत्य है कि प्रश्न में उल्लिखित भूमि के पट्टे दिय गये थे और जे० ओ०, बिन्दकी द्वारा उनकी तसदीक किये जाने पर कागजात में उनकी अमल दरामद भी हुई थी। पलिया बुजुर्ग के प्रधान की एक शिकायत भी प्राप्त हुई थी कि उक्त पट्टों में उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं।

३१--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या माल मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान, गांव सभा, कसरांव द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति व प्रधान पलिया बुजुर्ग के फर्जी हस्ताक्षरों से प्रस्ताव पास कर के पांच पट्टे लिखने और जे० ओ०, बिन्दकी द्वारा अपने अधिकार समाप्त के बाहर के इन पट्टों की तस्दीक के किये जाने की सूचना पाने पर प्रधान पलिया बुजुर्ग ने दिनांक १३ जुलाई, १९६३ को एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, फतेहपुर, को दिया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां। उस पर जांच की गई। जांच के दौरान में पट्टेदारों न तहसीलदार, खागा, के समक्ष सम्बन्धित भूमि से इस्तीफे दे दिये।

३२--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या यह सही है कि उक्त प्रार्थना-पत्र पर जांच हुई और पट्टे लिखने और तस्दीक करन की जालसाजी मिलने पर पट्टे रद्द कर दिये गये ? यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों और अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

पट्टेदारों द्वारा स्वयं इस्तीफे देने के कारण पट्टे रद्द हो गए हैं तथापि इस विषय में प्रधान, पलिया बुजुर्ग, ने एक अभियोग २३-१-६४ को जुडिशियल आफिसर के न्यायालय में दायर कर दिया है।

भूसाडोही से पानी के लिये प्रार्थना

३३--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा १३ फरवरी, १९६३ का लिखित पत्र प्रधान गांव सभा, भूसाडोही, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़, के प्रार्थना-पत्र के साथ मिला है जिसमें पानी पीने के लिये कुआं और हैण्ड पाइप की मांग की गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां। कथित पत्र प्राप्त हुआ है। ग्राम भूसाडोही के बाढ़ पीड़ित विस्थापितों को पानी पीने के लिये ६ हैण्डपाइप की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त उनके पानी पीने के लिये एक पुराना कुआं भी उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-४ द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा—

मैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत, सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६४, जो विधान सभा द्वारा दिनांक १२ फरवरी, १९६४, को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २० फरवरी, १९६४, को वापस प्राप्त हो गया है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

(श्री मुमताज मुहम्मद खां के व्यवस्था के प्रश्न पर खड़े होने पर) व्यवस्था का प्रश्न जो प्रश्न या विषय सदन के सामने हो उस पर उठाया जाता है। बीच में अगर आप कोई बात पूछेंगे तो वह अनियमितता होगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मैं सवालों के बारे में प्रश्न उठा रहा था।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपका ध्यान नियम ४४ के प्रति आकर्षित करता हूं। मुझे मालूम है कि सवालों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को कुछ कठिनाइयां होती हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझसे मेरे आफिस में मिलकर डिसकस कर लें ताकि उस कठिनाई को हम दूर कर सकें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने कई बार सरकार से यहां कहा भी है लेकिन अफसोस है कि आपके हुक्म को भी सरकार मानने के लिये तैयार नहीं है। प्रश्न संख्या ७ रघुवार सहाय कैथवार जी का है जिस पर राजकीय इण्टर कालेज, फतेहपुर के सम्बन्ध में वाद-विवाद हुआ है। २० जुलाई सन् १९६३ को माननीय कैथवार साहब ने ही प्रार्थना-पत्र दिया कि उस स्कूल में ये अनियमिततायें हो रही हैं; और उनके सप्लीमेन्टरी से ऐसा मालूम हुआ कि जितने आरोप उन्होंने लगाये थे सब निराधार पाये गये। यह भी मालूम हुआ कि जांच करने वाले अफसर ने कैथवार साहब से नहीं पूछा। इससे नौकरशाही का मन बढ़ता है और जनता की इच्छाओं के प्रतिकूल काम किये जाते हैं। असेम्बली के सदस्यों से पूछा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

सदन के माननीय सदस्यों की शिकायतों के बारे में उनसे भी पूछना आवश्यक है ताकि जो सहायता वह कर सकते हैं उससे सरकार भी वंचित न रहे और पूछताछ के समय उनकी उपस्थिति वांछनीय भी है।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

मैं अपनी जानकारी के लिये आपसे कुछ पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

कहिये।

श्री एस० जी० दत्त--

यह बजट सेशन है और सबको बोलने का मौका दिया जाता है। हम लोगों के लिये कहा जाता है कि हम माइनारिटी के हैं और हम उसका प्वाइन्ट आफ व्यू हाउस में रखना चाहते हैं। हम उठक-बैठक करते रहते हैं, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष--

मुझे अफसोस है कि हम आपको समय नहीं दे सके। अब जरूर खयाल रखा जायगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

आपके विभाग के बारे में हम कोई कटाक्ष या कमेन्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि असेम्बली लाइब्रेरी में अपटू-डेट रिपोर्ट नहीं मिल रही है। यदि प्लानिंग डिपार्टमेंन्ट के ऐनुअल प्लान और दूसरे डिपार्टमेन्टल रिव्यू भी सदस्यों को नहीं मिलेंगे तो हम कैसे काम कर सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मुझे अफसोस है कि यह बात यहां नहीं सुनी जा सकती है। आप लिखकर दे दें, मैं देखूंगा।

सरकार के आदेश के विरुद्ध श्री नैनसिंह को देर से कारागार से मुक्त करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

माननीय कल्याणनाथ सिंह जी ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है, उसे मैं पढ़े देता हूं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित गुड़ सत्याग्रह के सम्बन्ध में श्री नैन सिंह, सदस्य, विधान सभा, को मुजफ्फरनगर के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया और जाड़े की रात में उन्हें कम्बल नहीं दिया। अधिकारियों के इस रवैये की चर्चा इस सदन में भी की गई। इसके फलस्वरूप मुजफ्फरनगर के अधिकारी, श्री नैनसिंह, सदस्य, विधान सभा, से क्रुद्ध थे। प्रान्तीय सरकार ने दिनांक २ फरवरी को प्रदेश से सभी सत्याग्रहियों को छोड़ने का आदेश दिया, जिसके फलस्वरूप प्राय: सभी जेलों में सत्याग्रही छूट गये। लेकिन मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी ने श्री नैनसिंह को बदले की भावना से प्रेरित होकर, सरकार के इस आदेश के बावजूद भी, उसी दिन या दूसरे तीसरे दिन रिहा नहीं किया। बल्कि इन्हें ७ तारीख को रिहा किया। अधिकारियों को यह बात ज्ञात ही थी कि श्री नैनसिंह, उत्तर प्रदेश, विधान सभा के सदस्य हैं और सभा की बैठक महामहिम राज्यपाल द्वारा ३ फरवरी को आहूत की गई है। किन्तु इसके बाद भी उन्हें जेल में रक्खा और श्री नैनसिंह को सरकार के आदेश के बावजूद भी सदन की सेवा से जानबूझ कर वंचित किया। इस घटना से माननीय सदस्य के विशेषाधिकारों की अवहेलना हुई और सदन का भी अवमान है, इत्यादि। तो इसमें माननीय नैनसिंह अलीगढ़ जेल में थे मुजफ्फरनगर में नहीं थे। इसलिये मुजफ्फरनगर के अधिकारियों के विरुद्ध तो कोई बात नहीं कही जा सकती। अलीगढ़ वालों को कहा जा सकता है। यह होते हुये भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यद्यपि यह ठीक हो कि माननीय सदस्य की सूचना गलत थी और उन्होंने गलत व्यक्तियों के विरुद्ध यह प्रश्न उठाया है तो भी जो स्पष्टीकरण माननीय गृहमंत्री से प्राप्त हुआ है उस सम्बन्ध में, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के तरीकों को नापसन्द करता हूं। जब सरकार ने अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वायरलेस द्वारा सूचित कर दिया कि इस सत्याग्रह से सम्बन्धित बन्दियों को छोड़ दिया जाय

तो मैं समझता यह हूं कि जिला मैजिस्ट्रेट अलीगढ़ ने बड़ी लापरवाही की और उन्होंने यह जांच नहीं की कि वहां पर इस सत्याग्रह के सम्बन्ध के बन्दी हैं या नहीं ? उनको जांच करनी चाहिये थी। मैं माननीय मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री से कहूंगा कि वे अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ उचित कार्यवाही करें क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण यह हुआ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, इसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि नैनसिंह जी २३ दिसम्बर से ११ जनवरी तक मुजफ्फरनगर जेल में रखे गये थे इसलिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अलीगढ़ की तरह डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर भी कम जिम्मेदार इस लापरवाही के नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है और उसी दृष्टि से मैंने यह कहा है।

श्री बलवानसिंह--

ठीक है, इतना ही काफी है।

राजस्व मंत्री के कथित असत्य कथन पर अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

अब माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने एक विशेषाधिकार की सूचना माननीय राजस्व मन्त्री के विरुद्ध दी है। मैं उसको पढ़ने की आवश्यकता दो कारणों से नहीं समझता। एक कारण तो यह है कि विशेषाधिकार से सम्बन्धित प्रश्न जब भी उठाया जाय तो उसके लिये प्रत्येक माननीय सदस्य को यह समझ लेना चाहिये कि वे एक बड़ा गम्भीर प्रश्न उससे उठा रहे हैं। हमारे नियम ६६ में दिया हुआ है:--"प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निबद्ध रहेगा।" प्रस्तुत सूचना में जो प्रश्न उठाया गया है, उसमें कहा गया है कि "श्री हुकुमसिंह, राजस्व मन्त्री ने गत द्वितीय सत्र १९६३ के तीसरे गुरुवार को दिये अपने अतारांकित प्रश्न ६० के उत्तर में जानबूझकर गलत सूचना दी"। तो यह बहुत विलम्ब से उठाया गया है। इतना विलम्ब से नहीं उठाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त मुझे इस समय वह रूलिंग नहीं मिल रही है, जिसमें माननीय खेर, भूतपूर्व अध्यक्ष ने, यहां तक रूलिंग इस सदन में दी है कि अगर एक दिन का भी अन्तर हो जाय तो भी ऐसी सूचना विलम्बित समझी जायगी और उसे स्वीकार नहीं किया जायगा। तो इस दृष्टि से, इन कारणों के आधार पर, मैं इसे अस्वीकार करता हूं। माननीय चन्द्रबली सिंह ने कदाचित् नियमों से परिचित न होने के कारण ही वह प्रश्न इतने विलम्ब से उठाया है।

दूसरी बात यह है कि माननीय राजस्व मन्त्री के पास उस सूचना को मैंने भेजा और उनका स्पष्टीकरण भी मेरे पास आया है। उनका कहना है कि जो सूचना अधिकारियों द्वारा उनको प्राप्त हुई उसी को उन्होंने सदन के समक्ष रख दिया और जानबूझकर कोई बात गलत नहीं की।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

आपने चन्द्रबली सिंह जी की सूचना को भी कहा कि नहीं पढ़ूंगे और थोड़ा सा उसमें से पढ़ दिया और राजस्व मन्त्री जी के उत्तर के लिये भी कहा कि नहीं पढ़ेंगे और थोड़ा-सा उसमें से भी पढ़ दिया। यह काम तो आपने अच्छा किया मगर हम यह बात समझ नहीं पाये कि आखिर चन्द्रबली सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके लिये कौन दोषी है ? जरा उसको ठीक तो कह दीजिये ताकि ठीक मालूम पड़ जाय कि गलती किसकी है।

श्री अध्यक्ष--

आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिये कि मैंने दोनों पढ़ दिया।

श्री उग्रसेन--

कम से कम आप अलीगढ़ के कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही के किये जाने के बारे में घोषणा कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गया प्रसाद जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में उनके साथ आप भी आ जायं और मुझ से मिल लें, मेरे कमरे में ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

आपने हमको तो मौका दिया नहीं । पिछली बार भी इसी तरह से खारिज कर दिया था ।

श्री अध्यक्ष--

आपके नेता को मौका दे दिया । अब आप कृपा कर बैठें ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, एक मेरा भी था, उस पर कुछ कह दें ।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो दिया है उसको मैंने अभी पढ़ा नहीं है । एक प्रार्थना आपसे है कि आप वकील हैं और वकील लोग प्रिसीडेंस से बातें करते हैं । मैं आपको प्रिसीडेंस दिखा दूंगा तब आप सन्तुष्ट हो जायेंगे ।

प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई के विरुद्ध हो रहे अनशन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री चन्द्रजीत यादव, श्री विजय पाल सिंह तथा श्री रघुवीर राम जी का है । उसमें तीन प्रश्न उठाये गये हैं--१--पाले से पीड़ित किसानों से की जाने वाली तमाम वसूलियां फौरन बंद की जाय, २--कीमतों और करों में २५ प्रतिशत कटौती की जाय, ३--बैंक, तेल और चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाय ।

अब इस समय एक तो बजट का अवसर है । उसके अन्तर्गत सिद्धान्त की बातें बखूबी डिसकस की जा सकती हैं और उनके ऊपर चर्चा हो भी रही है तथा जब विभिन्न अनुदानों का मौका आयेगा तब भी होगी । ऐसी अवस्था में कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता ।

एक दूसरा कारण भी इसको स्वीकार न करने का है कि हमारे नियमों के अनुसार कार्य-स्थगन प्रस्ताव का एक ही विषय होना चाहिये लेकिन इसमें ३-३ विषयों पर नीति निर्धारण के बारे में कहा गया है तो जो कामरोको प्रस्ताव के द्वारा सम्भव नहीं है । तीसरी बात यह कि कल २२ तारीख को इस विषय पर बहस होने के बारे में यह सदन तय कर चुका है । उसके सिलसिले में भी आप इस सम्बन्ध में जो कहना चाहें कह सकेंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, कम्युनिस्ट पार्टी और स्वतंत्र पार्टी के बहुत से साथी बाहर अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है । मैं तो उनकी मांगों का हामी हूं ।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, कामरोको प्रस्ताव में मैंने तीन विषय नहीं उठाये हैं, एक ही विषय उठाया है कि आज प्रदेश की बढ़ती हुई कीमतों के कारण, ओले से पीड़ित किसानों की जो स्थिति है और उनके ऊपर सरकार की जो नीति है उससे पूरे प्रदेश में घोर असन्तोष है। इसी के कारण पूरे प्रदेश में ५ हजार आदमी भूख हड़ताल पर हैं और इस सदन के भी १२ सदस्य भूख हड़ताल पर हैं, सर्व श्री भगवान सहाय, नेकराम शर्मा, और बालोजी अग्रवाल भी भूख हड़ताल में शामिल हो गये हैं । इससे ज्ञात होता है कि इन प्रश्नों को लेकर सारे प्रदेश में चिन्ता व्याप्त है । हर दिन प्रदेश में कहीं न कहीं दूकानों का गल्ला लूटा जाता है । एक बेचैनी की हालत प्रदेश में है । इसलिये मैं चाहता था कि इस सम्बन्ध में बहस हो जाती । यह बात सही है कि बजट के सिलसिले में भी इस पर बहस हो रही है और आपने कृपा करके डिबेट भी रख दी है, लेकिन कामरोको प्रस्ताव का महत्व ही और होता है और उसका अर्थ होता है कि सरकार उस ओर अविलम्ब ध्यान दे और तत्काल कार्यवाही करे। इस बात को ध्यान में रखते हुये मैंने इस प्रस्ताव को रखा है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, एक चीज मैं निवेदन कर दूं कि अभी परसों ही बिजनौर के एक बाजार में ३२ या २६ रुपये मन गेहूं बिक रहा था जहां लोगों ने पूरे बाजार को लूट लिया । इस तरह से इलाहाबाद, लखनऊ, देवरिया व गोरखपुर आदि की दूकानें भी लूटी जायेंगी क्योंकि जब लोगों को खाने को नहीं मिलेगा तो वे दूकानों को लूटेंगे ही । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिये इस पर आज ही बहस होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय चन्द्रजीत जी, मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं कोई रिफ्लेक्शन की दृष्टि से नहीं कि आप बड़ी होशियारी से ड्राफ्टिंग करते हैं और उसी होशियारी को आपने इसमें दिखलाया है । कल इस प्राइस के ऊपर ही बहस होने वाली है, आपने बहुत अलंकृत रूप में अपनी सूचना दी है। अंततोगत्वा इन विषयों पर बहस कल होगी ही, इसलिये आज इस पर बहस का प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

इतना मैं निवेदन कर दूं कि कल २२ तारीख को जब इस विषय पर बहस होगी, उस वक्त मैं यहां मौजूद नहीं रहूंगी क्योंकि मेरा प्रोग्राम पहले से बन गया है । उसमें माननीय हुकुम सिंह विसेन और माननीय फूड मिनिस्टर रहेंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, इतना मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न है और उस डिबेट में अगर राज्य के मुख्य मंत्री उपस्थित न रहें तो हाउस का एक तरह से निरादर है । माननीया मुख्य मंत्री ने पहले इसी सदन में २० तारीख को मीटिंग करने की घोषणा की थी कि इमर्जेन्सी को देखते हुये एक मीटिंग होनी चाहिये जिसमें सभी दल के लोग सहयोग करके कोई रास्ता निकालें कि प्रदेश के संकट को कैसे हल किया जाय । मेरी अपनी

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

सूचना है कि माननीय मुख्य मंत्री कल २० तारीख को लखनऊ शहर में ही मौजूद थीं । कल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने के कारण माननीय मुख्य मंत्री ने इस अनिवार्य मीटिंग को टाल दिया जब कि पूरे प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ जनता परेशानी में है । अब जब कि आपने २४ तारीख के लिये बहस की बात रखी तो उनका कहना है कि वे ऐसे गम्भीर प्रश्न पर बहस के समय यहां मौजूद नहीं रहेंगी । मैं जानना चाहता हूं कि जब वे कल यहां मौजूद थीं तो फिर मीटिंग को स्थगित करने का क्या कारण है और फिर २४ को जो दिन आपने इसके लिये रखा है, उस दिन वे क्यों स्वयं मौजूद नहीं रहेंगी ? चाहे आप आज का दिन इसके लिये रखें या २२ तारीख रखें या २४ तारीख रखें, हम लोग रात और दिन बैठने के लिये तैयार हैं, लेकिन वे जरूर सदन में मौजूद रहें ।

श्री अध्यक्ष--

इसीलिये मैंने २५ तारीख रखा था और मैं भी लाभ उठाना चाहता था, लेकिन कल बाद में २२ तारीख तय हो गयी । अच्छा हुआ । अब रहा यह कि अगर आप इसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस सम्बन्ध में १ बजे बातचीत कर लीजियेगा और बतला दीजियेगा ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

अगर चीफ मीनिस्टर साहिबा, जल्दी चाहती हैं तो २२ के बजाय कोई और दिन रख लें लेकिन उनका बहस के समय मौजूद रहना बहुत जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष--

आप सन्डे चाहते हैं ?

श्री बलवानसिंह--

वह भी हो सकता है, लेकिन २२, २३ से ज्यादा न हो ।

श्री उग्रसेन--

आज बहस हो, इसमें क्या एतराज है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैं स्वयं जरूर रहना चाहती हूं, लेकिन मेरा टुअर प्रोग्राम पहले से बन गया है ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिये और उसी सिलसिले में मैं स्वयं जिले जिले में जाकर वहां की हालत देखना चाहती हूं । अब उस प्रोग्राम को कैंसिल करना मुनासिब नहीं है । इसीलिये मैंने बहुत सोच कर २५ तारीख रखा था, क्योंकि शायद २४ को जनरल बजट डिबेट खत्म होगी, उसका जवाब देना है । अगर २४ तारीख की शाम को आप करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, २४ की शाम को कर लीजिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, यह बड़ा अहम सवाल है, आज सारे उत्तर प्रदेश में अकाल की स्थिति है । अगर आज बहस हो जाय तो क्या हर्ज है ?

श्री अध्यक्ष--

अब सदन के सामने प्रश्न केवल यह है कि विवाद २२ को हो या २४ को हो । आप लोग पहले तय कर लीजिये और मुझे बतला दीजियेगा । और वही समय मैं रख दूंगा । (श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर) श्री मैनेजर सिंह जी, आप बैठ जायं आप के नेता बलवान सिंह जी अभी कह चुके हैं कि २४ रख दी जाय तो कोई हर्ज नहीं है, ...

श्री बलवानसिंह--

मैंने कहा श्रीमन्, कि जल्द से जल्द इस पर विचार विनिमय हो । आज ही मुमकिन हो तो वह आज ही हो जाय, लेकिन उसमें चीफ मिनिस्टर का रहना जरूरी है, इसलिये उन की मौजूदगी में जल्द से जल्द जो समय दिया जा सके वह दिया जाय ।

श्री उग्रसेन--

यह इतना गम्भीर मसला है, हम चाहते हैं कि सारा काम रोक कर अभी से इस पर बहस शुरू हो जाय । इस से बढ़कर और कोई दूसरी कठिनाई सूबे में नहीं हो सकती ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्, समय जो भी निश्चित हो लेकिन यह वाद-विवाद तभी गम्भीरतापूर्वक हो सकेगा जब कि यह हड़ताल, अनशन और प्रदर्शन समाप्त हों । यदि आप ईमानदारी से चाहते हैं कि. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

लेकिन यह मेरे अधिकार की बात नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह--

आप कृपा करके सदन की ओर से कम से कम प्रार्थना करें और अपनी ओर से करें कि जो लोग भी अनशन पर बैठे हैं वह उसे बन्द करें और शान्तिपूर्वक आकर इस वाद-विवाद में भाग लें और सरकार को राजी करें कि इस समस्या का फौरन हल निकाले ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

मेरा एक निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी या सरकार में जो लोग बैठते हैं उन को इस विषय की गम्भीरता का खयाल नहीं है । मैं आप की सेवा में आप कहेंगे तो यह १२-१३ पोस्टकार्ड जो हमारे जिले से आये हैं प्रस्तुत करूंगा जिन में वहां की दुर्दशा लिखी हुई है । इसलिये इस विषय पर अविलम्ब बहस होनी चाहिये । इस सरकार की टालने की नीति से रोजमर्रा दुकानें लुटेंगी और हालत और खराब होगी ।

श्री अध्यक्ष--

यह सब आपके नेता कह चुके हैं, आप उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं ।

श्री कल्पनाथसिंह--

दूसरी बात यह है कि हालत खराब होने से अगर न रोकी. . . . .

श्री अध्यक्ष--

बड़ी मुश्किल है, आप को जो कहना है वह अपने नेता श्री बलवान सिंह से कहिये । अब यह विषय समाप्त ।

श्री कल्पनाथसिंह--

आप ही इस आसन पर बैठे हैं तो आप ही हमारे नेता हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप कह चुके, आप बैठ जायं ।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, आप हमारा निवेदन सुन लें । स्थिति बहुत गम्भीर है, अनशन, हड़तालें हो रही हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और आप हमारे इस निवेदन को कि बहस अभी हो ठुकरा रहे हैं तो हम आपके आदेश के विरोध में सदन का दस मिनट के लिये त्याग करते हैं । जरवल वाले भी अनशन कर रहे हैं ।

(समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री चन्द्रजीत यादव---

श्रीमन्, आज ही इस पर बहस हो जाय यह जो सदन का अनुरोध है, इस पर क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं नेता सदन और अन्य दलों के नेताओं से परामर्श कर के तिथि तथा समय निश्चित कर दूंगा । पहले मैंने २५ तारीख निश्चित की थी लेकिन कल मेरी अनुपस्थिति में दूसरी तारीख निश्चित हो गई, मैं चाहता तो उसे स्वीकार न करता क्योंकि वह नियम के विरुद्ध हुआ लेकिन चूंकि वह सदन का निर्णय था इसलिये उस का आदर करते हुये उसके निर्णय को मैंने मान लिया और मैंने सहर्ष २२ तारीख स्वीकार कर ली लेकिन अब फिर उस में तब्दीली चाहते हैं तो आपस में बातचीत कर के तय कर लें १ बजे के बाद, लेकिन अब यह सदन में तय नहीं होगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

माननीय मुख्य मंत्री के कहने से आप २२ के बजाय २४ कर रहे हैं और इस तरह से और भी अधिक देरी होगी और इस तरह से इस समस्या के प्रति सरकार की बहुत ही अधिक उपेक्षा की प्रवृत्ति है । आप कृपा कर उन से पूछें कि आज शाम के लिये उन को क्या आपत्ति है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

आज शाम को न हो सकने का कारण यह है कि आज शाम को हमारी कैबिनेट मीटिंग है जो इसी सम्बन्ध में है । हम केवल बहस या बात करने में बिलीव नहीं करते, हम ऐक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं और निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे समय में अपने कर्त्तव्य को पूरा करें । यह न समझिये कि हमें स्थिति मालूम नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

स्थिति की गम्भीरता को और सरकार के रवैये को देखते हुये हम सदन का १० मिनट के लिये त्याग करते हैं । हमारी बात को न सुनने का जो रवैया है वह बहुत गलत है हम उस को बरदाश्त नहीं कर सकते ।

(साम्यवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष---

अब यह जरवल मिल के बारे में जो कल मैंने स्वीकार किया था कि बयान होगा, किस तारीख को होगा, यह तय करना है ।

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---

२५ को दे दूंगा ।

श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)---

कई बार इसका आश्वासन दिया जा चुका है, लेकिन यह सरकार मिल मालिकों और पैसे वालों का तो खयाल रखती है पर. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

एक बात सुनिये । आप तो यहां से सदन छोड़ कर चले गये थे फिर आप कैसे बोल रहे हैं ? वह बयान २५ तारीख को आ जायेगा ।

एक सदस्य—

मैं एक तार दिखाता हूं जिसमें यह सूचना है कि नौगढ़ तहसील पानीसे डूबी हुई है । क्या सरकार इस तरफ भी ध्यान देगी ?

१९६४–६५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद †(क्रमागत)

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

इस वर्ष का हमारा बजट डेफिसिट बजट है । पार साल जो बजट पेश हुआ था वह भी डेफिसिट बजट था और इस साल का भी वैसा ही है । डेफिसिट बजट हमेशा अच्छा बजट होता है और हमेशा उसकी प्रशंसा होती है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहते हैं कि आपका रुपया कम नहीं होता । पार साल का बजट भी जो एक डेफिसिट बजट था, जैसा कि आपने बजट स्पीच में बताया है, १.३३ करोड़ के सरप्लस में बदल गया । आपका बजट १३ करोड़ के डैफिसिट का था और वह १.३३ करोड़ के सरप्लस में हो गया । रुपया खर्च नहीं हुआ । टैक्स भी उतने ज्यादा नहीं लगे जितने लगने चाहिये थे । मैं समझता हूं कि जो बजट बनता है और उसमें जितना रुपया खर्च के लिये होता है वह रुपया खर्च होना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सदन में बातें बहुत हो रही हैं । कृपया शान्त रहिये ।

काजी जलील अब्बासी—

हमारी पर कैपिटा इनकम उस समय तक नहीं बढ़ सकती जब तक हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा और उस वक्त तक हमारी टैक्स दे सकने की हालत भी नहीं होगी । प्रोडक्शन केवल तभी बढ़ सकता है जब कि जो रुपया जिस काम के लिये रखा गया है उस काम पर खर्च होगा और अगर नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा और हमारी गरीबी हमेशा बढ़ती ही जायगी । जो स्टेटमेंट लोक सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था उससे जो फीगर्स मिली हैं उनसे जाहिर है कि हमारी पर कैपिटा इनकम सबसे कम है । सन् १९५५–५६ में २१३, १९५७–५८ में २५८ और १९६०–६१ में २६१ जब कि पंजाब में १९५५–५६ में ३३० और १९५८–५९ में ३९८ है । यह बात जरूर है कि तरक्की हुई है, लेकिन जो तरक्की हुई है वह बहुत सुस्त हुई है । श्री नन्दा जी ने लोक सभा में तकरीर की है और एक जुमले में उन्होंने कहा कि जो मंहगाई बढ़ाई गयी है दूकानदारों ने एक हफ्ते में कीमतों को बढ़ा कर उसे न मिलने के बराबर कर दिया है । मैं विरोधीदल के भाइयों से कहना चाहता हूं कि गल्ले की समस्या से हम उनसे ज्यादा परेशान हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और हम उसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं । इस समस्या का हल भूख हड़ताल करना प्रदर्शन नहीं है । इस समस्या का हल जैसा कि भानु प्रताप सिंह जी ने कहा हम सब मिल जुल कर ही निकाल सकते हैं । उन्होंने ठीक ही कहा कि चीन के आक्रमण की तरह ही हम सबको मिल कर इस समस्या का हल ढूंढना होगा । लेकिन ऐसा न करके इस मामले में पार्टी बाजी से काम लिया जा रहा है और पोलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है ।

---

†२० फरवरी, १९६४ की कार्यवाही से ।

[काजी जलील अब्बासी]

जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी की मांगों का सवाल है बहुत हद तक उनकी मांगें मुनासिब हैं। अब बैंकों तथा शुगर इंडस्ट्री के नेशनलाइजेशन का वक्त आ गया है। किसानों को गल्ले का जो मुनाफा मिलना चाहिये वह उनको नहीं मिल रहा है और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आज हालत यह है कि किसान को एक आसानी दी गई तो दूसरी मुसीबत उसके सामने खड़ी हो जाती है।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)--

प्वाइंट आफ आर्डर। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस समय वहां पर बोलने वालों की लिस्ट तैयार की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

लिस्ट तैयार की जा रही है तो इसमें आपको क्या आपत्ति है ? यह मेरा बिजनेस है, इससे आपका कोई संबंध नहीं है। यह प्रश्न मेरे विवेक पर निर्भर है। यह दूसरी बात है कि आप खड़े हों और आपको मौका न दिया जाय तब आप कह सकते हैं।

काजी जलील अब्बासी--

ठाकुर साहब हमारे माल मंत्री हैं। सवालों के वक्त जवाब देने में जितनी उनको दिलचस्पी है उतनी किसानों की हालत के मुताल्लिक नहीं है। दौरे पर जाते हैं तो डिप्टी कलेक्टर व अधिकारी उनको माला पहनाते हैं और वह यह समझ लेते हैं कि किसानों की हालत बेहतर है। गालिब ने कहा है :--

उनके आ जाने से जो आ जाती है मुंह पर रौनक,
वह समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है।

वह सही हालत किसानों की जांचना चाहते हैं तो ऐसा दौरा करें जिसमें कोई यह न समझ सके कि वह मिनिस्टर हैं। डुमरियागंज तहसील जो मेरी कांस्टीट्युंसी है जहां कन्सालिडेशन सबसे पहले शुरू हुआ था वहां किसानों को इतनी परेशानी है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। नक्शे बहुत गलत हैं जिससे किसान यह महसूस करते हैं कि चकबन्दी अगर न होती तो अच्छा था। वहां के किसानों को कोई लाभ नहीं मिला और कन्सालिडेशन का पैसा भी वसूल कर लिया गया। नक्शे की दुरुस्ती के लिये चकबन्दी के कानून के अनुसार वे अदालतों में भी नहीं जा सकते। मेरे एक साथी बहुत बेचैन हो रहे हैं। उनके यहां राम जानकी रोड तैयार है मगर उस पर काम नहीं शुरू हो रहा है। मैं चाहता हूं कि काम जल्दी शुरू किया जाय। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मेरे हल्के की बात है जहां सिर्फ एक १६ मील की और दूसरी १५ मील की पुख्ता सड़क है और इसके अलावा दूसरा कोई आने जाने का साधन नहीं है। मैं खासतौर से डुमरियागंज-चरनदीप घाट रोड की बाबत कहूंगा कि उसे जल्द से जल्द बनाया जाय। उससे न सिर्फ नैपाल राज्य अयोध्या से जुड़ जायगा और हम लोगों को यातायात की सहूलियत मिलेगी, बल्कि डिफेंस का भी बहुत बड़ा मसला हल हो जायगा।

अब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताल्लिक कुछ कहना चाहता हूं। इस वक्त हमारे यहां एन० सी०सी०आर०, एन०सी०सी० और उसके साथ पी०एस०डी० की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं समझता हू कि अगर पी० एस० डी० की ट्रेनिंग खत्म कर दी जाय और उसके कर्मचारियों को एन० सी० सी० आर० से मर्ज कर दिया जाय तो ज्यादा फायदा होगा। एन०सी० सी० आर० मे जो लोग जाते हैं उनका भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन पी० एस० डी० में कोई भविष्य नहीं है।

इसके अलावा जो अभी हमारे चार जिले आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, और जौनपुर का सैंपिल सर्वे हुआ है हमारी प्रार्थना है कि बस्ती और गोरखपुर भी उसमें जोड़े जांय क्योंकि उनकी हालत इन जिलों से हर्गिज अच्छी नहीं है।

एजुकेशन के मुताल्लिक मुझे एक बात यह भी कहनी है कि रिकगनीशन के मुताल्लिक जो दुश्वारियां पैदा हो रही हैं उनको हल करने के लिये ईस्टर्न यू० पी० के लिये कानून में कोई तरमीम करनी चाहिये क्योंकि हमारे यहां हालत काफी खराब है। हमारे लिये स्पेशल प्लान होना चाहिये। ७२ एकड़ जमीन होते हुये भी हमारे पूरे क्षेत्र में एक ही स्कूल है, लेकिन उसको भी ऐग्रीकल्चर का रिकगनीशन नहीं मिल सका।

इसके अलावा जो हमारे यहां आज कल वसूली हो रही है वह इतनी सख्ती से हो रही है कि जब तक यहां से अहकामात जायेंगे तब तक बहुत सी रकम वसूल कर ली जायगी। किसान के ऊपर केवल एक लगान की ही वसूली नहीं है बल्कि १५-१५ साल के गल्ले के बकाया की वसूली हो रही है जिसकी वजह से हमारा सर शर्म के झुक जाता है। बाप मर गया, बेटे से १५-१५ साल का गल्ला मांगा जा रहा है, कागजात का कोई पता नहीं है। फिर एक कन्सालिडेटेज वसूली नहीं है बल्कि अलग-अलग अमीनों के हवाले वसूली का काम कर दिया है। किसान बेचारा किस किस का स्वागत करे। मैं समझता हूं कि आज की गंभीर हालत को देखते हुए जल्द से जल्द वसूली रोक दी जाय और उसके बाद हालात का जायजा लेकर जहां जहां यह वसूली हो सके करिये, लेकिन इस वक्त किसानों को सब से पहली रिलीफ यह होगी कि फौरन हुक्म दे दिया जाय कि कोई वसूली नहीं होगी।

विजिलेंस कमेटी के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपने ऐंटी करप्शन कमेटी भी पहले बनायी थी जो आज जिलों में एक डेड बाडी हो कर रह गयी है। अगर विजिलेन्स कमेटी का काम सरकारी देख-रेख और इनके निजाम में और इन लोगों के मश्विरे से होगा तो कामयाबी नहीं होगी। अगर कामयाबी हासिल करनी है तो उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट बाडी बनायें। जो चाहे वह इंक्वायरी करें और जो चाहे वह ऐक्शन लें और उसका तुरन्त अमलदरामद हो तो शायद कामयाबी हो सके। आज लोग ब्यूरोक्रेसी को गालियां देते हैं और कहते हैं कि सरकारी अफसरान खराब हैं। जरूर खराब हैं, लेकिन हम आज अपने को भी देखें। हम आज बदल गये हैं। हमारे वालंटियर बदल गये हैं। पहले उसके सामने कुर्सी नहीं थी। वह बड़े से बड़ा अफसर से डरता नहीं था और सच बोलता था। लेकिन हमने उनकी इज्जत करना छोड़ दिया। हम चौकीदार की बात को सही मानते हैं और अपने वालंटियर की बात को नहीं मानते। इसलिये मजबूर होगर वह आज थाने की दलाली करता है। इसीलिये हालत बिगड़ती चली जा रही है। इसलिये मैं समझता हूं कि इनकी हालत को संभालिये। अगर इनकी हालत बेहतर हो जायगी तो पूरे प्रदेश की हालत बेहतर हो सकती है।

आज पुलिस की जो हालत हो गई है, उसके बारे में मैं एक फिगर देना चाहता हूं। यह १९५८ से लेकर १९६२ तक के कागनीजेबिल आफेंसेज के बारे में है। आसाम में ८.३ परसेंट घटा है और पंजाब में ०.२ परसेंट घटा है और हर जगह थोड़ा बहुत घटा है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां सूबे में ६७.१ परसेंट बढ़ा है। मैं पुलिस मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम १९६४-६५ के बजट पर विचार कर रहे हैं। मैं इस बजट को कुछ कसौटियों पर कसना चाहता हूं और मैं यह जानता हूं कि हमारे इस सदन में जो पब्लिक के नुमायन्दें हैं, चाहे वे विरोधी पक्ष के हों या सरकारी पक्ष के हों, सभी चिंतित हैं कि हमारा राज्य देश के नक्शे में सब से पिछड़ा हुआ है। हमें इस बात की चिंता है कि हमारा प्रदेश आबादी में सबसे अधिक है और हमारा क्षेत्रफल भी बड़ा है, लेकिन हम उन्नति की दृष्टि से देखें और विकास की दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि एक आध प्रदेश को छोड़कर सबसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

पिछड़ा हुआ है । यह बड़ी चिंता और अफसोस की बात है कि आजादी के १६ साल के बाद भी आज गरीब निरन्तर और गरीब होता चला जा रहा है । उसकी समस्यायें और मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं । इस प्रदेश का विकास, जितनी तेजी से होना चाहिये था, नहीं हो रहा है । हम अपने प्रदेश को जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ा पाते हैं तो हमें चिंता और अफसोस होता है ।

मैं चाहता हूं कि हम बजट को इस कसौटी पर कस कर देखें कि क्या इस बात का अनुभव करके बजट तैयार किया गया है कि १६ साल से जो दशा हमारे प्रदेश की रही है, उससे निकलने का क्या प्रयास किया गया है । क्या हम इससे अपनी गरीबी को और पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं । जब इस कसौटी पर हम देखते हैं तो हमें निराशा होती है और मैं समझता हूं कि इन तमाम बातों में यह असफल रहा है जिनसे हम प्रदेश को आगे बढ़ा सकते थे । पिछले १६ साल से हमारे बजटों का नतीजा यह रहा है कि हमारा प्रदेश और पिछड़ता जा रहा है, तरक्की नहीं हो रही है । इसमें भी कोई नया कदम नहीं उठाया गया है । इसलिये यह निकम्मा बजट है । मैं चाहता था कि मुख्य मंत्री जी इसमें नई दिशा अपनाते और इस बजट की पद्धति में तब्दीली होती । हमारा बजट पहली अप्रैल से शुरू होता है इससे बाद प्राक्कलन वगैरह बनते हैं और बरसात आ जाती है और अंत में नतीजा होता है कि काफी धन अनयुटिलाइज्ड रह जाता है । इसलिये हम चाहते हैं कि हमारा बजट का साल पहली अक्तूबर से शुरू हो । इस संबंध में बड़े बड़े विशेषज्ञों की रायें हैं । चैम्बरलेन कमीशन, जो १९१५ में बना था, जिसने हिन्दुस्तान की आर्थिक दशा के संबंध में रिपोर्ट दी थी, उसने भी कहा था हिन्दुस्तान जैसे कृषि प्रधान देश में बजट का साल अक्तूबर से शुरू होना चाहिए कृषि से जो पैदावार होने वाली है उसको ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जा सके । जहां इतने बड़े पैमाने पर बारिश होती है, तीन चार महीने काम नहीं कर सकते, तीन चार महीने खर्च नहीं कर पाते, उसको हम खर्च में ला सकें । हमारी केंद्रीय सरकार की लोक लेखा समिति ने भी इस बात की सिफारिश की थी । हमारे प्रदेश की सरकार, मैं चाहता था, इस बात में रहनुमाई करे ।

दूसरी बात यह है कि बजट पेश करते समय पिछले साल के बजट का लेखा-जोखा हमारे बजट साहित्य के साथ मिलना चाहिए ताकि हम जान सकें कि कितना धन किस मद में स्वीकृत हुआ था, कैसे खर्च हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ । हम पिछली आडिट रिपोर्टों को देखें तो निरन्तर कहा गया है कि सप्लीमेंटरी बजट जो पेश किये जाते हैं वह बिलकुल अनावश्यक हो जाते हैं। उससे ज्यादा रुपया मूल बजट में उन्हीं मदों में बचता है । १९६२ की आडिट रिपोर्ट में यह विस्तार के साथ कहा गया है । मैं चहता था कि माननीय वित्त मंत्री जी इस ओर कदम उठायेंगे लेकिन मुझे खेद है कि उन्होंने इस तरफ कदम नहीं उठाया ।

आज हम अपने प्रदेश की स्थिति पर गौर करें कि हम कहां हैं । आज इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि पिछले १६ सालों में जो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ी है, फी कस आमदनी बढ़ी है, दूसरे सूबों के लोग निरन्तर तरक्की करते चले जा रहे हैं, हमारे लिये चिन्ता की बात है कि हमारी फी कस आमदनी वहीं है जहां १६ साल पहले थी। पूरे राज्य की आय में जो वृद्धि हुई है वह बहुत ही कम है । उसके आंकड़े एक दर्जन बार पेश किये जा चुके हैं । इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारी प्रगति बहुत धीमी है । मैं किसी समाजवादी व्यवस्था की बात नहीं करता, उससे तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन हम देखें कि आज हम दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में क्यों पीछे हैं। आप देखें कि पिछले दस वर्षों के अन्दर दूसरे प्रदेशों की आय में जो वृद्धि हुई है उससे अपने प्रदेश का मुकाबला करें तो घोर चिंता और निराशा होगी। पिछले दस वर्षों में आसाम की आय में २०.२३ फीसदी वृद्धि हुई पर कैपिटा, बंगाल में २०.६२, राजस्थान में ४४.४६, पंजाब में ४८.२७, केरल में १९, मध्यप्रदेश में ५०.०२, मैसूर में २७.४८, उड़ीसा में ७५.५७, बिहार में ३२.३०, आंध्र में २८.२९, मद्रास में ३०.५२ तथा उत्तर प्रदेश में १२.२१ । इस देश का यह सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश है और वह सबसे पीछे है । क्या यह चिन्ता की बात नहीं है पूरे देश के अन्दर हमारा औद्योगिक

विकास पिछले ११ वर्षों में ४८.७८ फीसदी बढ़ा है और हमारे प्रदेश में ४.२ फीसदी है। अब इन सारी बातों पर विचार करते हुये, मैं इसके कारण देखता हूं तो मुझे परेशानी होती है। आज बढ़ती हुई कीमतों ने इस प्रदेश की जनता की कमर तोड़ दी है। जनता के दिल से एक आह निकलती है। उस जनता के घरों में आज फाकाकशी शुरू हो गयी है। आज दूकानें लूटी जाती हैं। वे कोई लुटेरे नहीं हैं, लेकिन कीमतों की बढ़ती हुई परेशानी से वे बचते हैं और परेशानी की हालत में हैं जिसके कारण वे आज इस स्तर पर पहुच गये हैं जो हमारी और हमारे देश की शान के विरुद्ध है। यह हमारे लिये चिंता की बात है। इससे हमको कोई खुशी नहीं होती। आज हमारी जनता, जिसका एक अपना गौरव है, परम्परा है, वह इस बात के लिये मजबूर हो जाती है कि जाकर दुकानों को लूटें तो वह केवल इसी कारण से कि वे बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं। आज बढ़ती हुई कीमतों से सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी, मिलों में काम करने वाला मजदूर, खेत पर काम करने वाले किसान आज हर एक इन कीमतों से परेशान हैं। सरकार कीमतों पर नियंत्रण करने में पूर्णतया असफल रही है। सरकार कीमतों पर नियंत्रण करने में इसलिये असफल रही है कि सरकार की कोई नीति कीमतों के संबंध में आज तक निर्धारित नहीं हुई है। क्या वित्त मंत्री जी को मालूम है कि पिछली बार जब धान की फसल तैयार हुई तो किस दाम पर किसानों से उसको खरीदा गया। हमारी स्टेट के अन्दर ९ रुपया मन धान किसानों से खरीदा गया। ९ रुपये मन पर खरीदा हुआ पड़ोसी प्रदेश बंगाल में ५० रुपये मन जाकर वह चावल बिका। यह विचारने की बात है कि क्या मुनाफे की भी कोई सीमा है। इसका असर किसानों पर जाकर पड़ता है। किसानों को खुले आम बाजार में सस्ते दाम पर लूटा जाता है। यहां पर कल खाद्य मंत्री जी ने स्वीकार किया कि आज ट्रेडर्स का हमारे लिये एक चैलेंज हो गया है। उन्होंने यहां पर कल कहा कि हम ट्रेडर्स के घुटने टिकवा देंगे। मुझे यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन आज देखता हूं कि इस सरकार ने अपने घुटने ट्रेडर्स के सामने टेक दिये हैं। आज इन व्यापारियों के सामने, इन लुटेरों के सामने, जखीरेबाजों के सामने, सट्टेबाजों के सामने इस सरकार ने अपने घुटने टेक दिये हैं और इस प्रदेश की जनता को व्यापारी आज मनमाने ढंग पर लूट रहे हैं।

सरकार से कहा जाता है कि महंगाई भत्ता बढ़ाइये। सरकार ने ५ रुपया उनके लिये बढ़ा दिया तो कहते हैं कि बड़ा भारी कदम उठाया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज से एक साल पहले जो आदमी १०० रुपये तनख्वाह पाता था उससे आज २५ फीसदी अधिक महंगाई बढ़ी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि उस आदमी की आमदनी आज ७५ रुपये रह गई है। आज जो उसकी स्थिति है वह एक साल पहले की अपेक्षा बहुत पीछे हो गई है और सरकार समझती है कि उसको ५ रुपया देकर उसके साथ बड़ा उपकार किया जा रहा है। यह सोचने की बात है।

मैं कुछ मौलिक तत्व की बात अपने प्रदेश के संबंध में इस सदन में रखना चाहता हूं। आज हमारे प्रदेश की पिछड़ी हुई दशा इसलिये है कि हमारे प्रदेश की पोलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक नेतृत्व निकम्मा और कमजोर है। आज यही सब से बड़ा कारण हमारे प्रदेश की गरीबी का है। माननीय गोविन्द वल्लभ पंत जी के बाद, माननीय सम्पूर्णानन्द के बाद उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अन्दर गुटबाजी शुरू हुई और इस प्रदेश की समस्या सरकार के सामने से ओझल हो गई और ध्यान केवल रहा इस बात का कि सरकार की कुर्सी पर कौन बैठे। यही प्रश्न कांग्रेस के सामने यहां पर है। प्रदेश की समस्या का सवाल इस सरकार के सामने नहीं है। अगर यही कमजोर लीडरशिप यहां पर रहेगी तो इस प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। जब पोलिटिकल लीडरशिप कमजोर होती है तो उसका नतीजा यह होता है कि नौकरशाही मजबूत होती है। माननीय नवलकिशोर जी ने उदाहरण दिया था कि नौकरशाही यहां पर घोड़ा है प्रदेश की लीडरशिप उस पर सवारी करती है, लेकिन अगर घोड़े का सवार कमजोर हो गया तो घोड़ा बेलगाम हो जायगा और तब अगर वह १० कदम आगे जा सकता था तो बाद में बेलगाम होने पर २० कदम पीछे चला जायगा। आज यह हालत इस प्रदेश की हो गयी है कि जिस तरह से चाहते हैं उसको लूट रहे हैं। इसके अन्दर कोई नियंत्रण नहीं है। एक अनार्की की हालत पैदा हो गई है।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

मैं आपको उदाहरण देकर बतलाऊं कि हमारे प्रदेश के प्रशासन के अन्दर किस प्रकार की अनार्की फैली हुई है। प्रदेश का प्रशासन लूट मचा रहा है। यह मेरी अपनी बात नहीं है। यह आडिट रिपोर्ट की बात है जो मैं आपके सामने उदाहरण के रूप में रखना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के प्रशासन के बारे में पिछले १० वर्ष के अन्दर, ६९,६४५ आब्जेक्शन्स हुये हैं। ७० करोड़ रुपये के संबंध में ६९,६४५ एतराज है और उनको आज तक निपटाया नहीं जा सका। आडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार दस-दस साल से उनको निपटा नहीं सकी है। यह रुपया गलत खर्च किया गया। सदन ने जिस काम को स्वीकृति नहीं दी उस पर खर्च किया गया। मैं पूछता हूं कि यदि नौकरशाही का यही हौसला रहा और दस साल तक आपत्तियां निपटायी नहीं गयीं तो यह प्रदेश तो जहन्नुम में चला जायगा और इस प्रदेश की जनता की हालत बदतर होती जायगी। २५ लाख रुपये का गबन हुआ है पिछले दस सालों में और आज तक इसका फैसला नहीं हो पाया कि कौन उस एम्बेजिलमेंट के लिये जिम्मेदार है। इस प्रदेश की जनता से १-१ पैसा कर वसूल कर लिया जाता है, वह भूखों मर रही है, बढ़ती हुई कीमतों से तबाह है, लेकिन वसूली हो रही है और दूसरी तरफ जो २५ लाख रुपये का गबन है उसे निपटाया नहीं जाता। ऐसे व्यक्ति इस प्रदेश का निर्माण करने बैठे हैं। आप इस सदन को बतलाइये कि इसका जिम्मेदार कौन है और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आज इस प्रदेश में लालफीताशाही चरम सीमा पर है। हालत यह है कि अस्थायी पद बनाये जाते हैं। उनके लिये आदेश जाते हैं और सालों उन पर कोई कदम नहीं उठाया जाता और उन कर्मचारियों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है और अनिश्चितता की हालत में उनको छोड़ दिया जाता है। यहां से मिनिस्टर फाइलों पर आदेश देते हैं, लेकिन नीचे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। श्रीमन्, २२.५ करोड़ रुपया हमारे प्रदेश में ऐसा है कि जिसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट १ अक्तूबर, १९६२ तक आ जाने चाहिये थे और वह नहीं आ पाये। १९५३-५४ तक के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी नहीं आ पाये हैं। वह रुपया कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, उसके लिये कौन जिम्मेदार है, कुछ पता नहीं लगता। यह २२ करोड़ रुपया है जिसके बारे में आप चुप हैं और इस प्रदेश में विकास के लिये एक-एक पैसे के लाले पड़े हुए हैं। जनता पर तरह-तरह के टैक्स लग रहे हैं। पिछले साल में पांच तरह के टैक्स हमने उस पर लगाये। हमने किसानों का लगान बढ़ाया, स्टाम्प बढ़ायी, रोड टैक्स बढ़ाया, हाउस टैक्स बढ़ाया, और उसके बाद फिर आज मंत्री जी कहते हैं कि हमें कुछ और टैक्स लगाने पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि इस नये टैक्स को सदन स्वीकार नहीं करेगा और जनता उसे बरदाश्त नहीं करेगी। आप रुपया उगाहें और उसके खर्च की ठीक से व्यवस्था न करें, मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इसका उत्तर अवश्य दें।

इसके अतिरिक्त आप देखें कि इस प्रदेश में उद्योग की हालत क्या है। हम इसमें सबसे पिछड़े हुए हैं। जो रुपया स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये हमने दिया था उसका ४१ फीसदी रुपया गलत ढंग से खर्च किया गया है। इस हालत में इस प्रदेश की प्रगति कैसे होगी? रिपोर्ट्स इस तरह की हैं कि इंडस्ट्री अफसर और दूसरे लोग मिलकर फर्जी सर्टिफिकेट देकर रुपया लेते हैं। दस-दस साल हो गये हैं और उन आदमियों का पता नहीं लग पाया जिनको रुपया एडवांस किया गया है। इस तरह के केसेज को देखते हुए मैं नहीं समझ पाता कि कैसे हमारा प्रदेश तरक्की कर पायेगा? (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मैं अपने दल के नेता की ओर से बोल रहा हूं। मुझे आधा घंटा मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आपके २० मिनट हो गये हैं। ठीक है, आप बोलें।

श्री चन्द्रजीत यादव—

आज इस प्रदेश में नौकरशाही हम पर हावी है। हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन आज टाप-हैवी है। सबसे बड़ा खर्चा हमारे प्रदेश का प्रशासन पर हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री ने

कुछ आंकड़े पेश किये हैं, मैं भी करना चहता हूं। आंध्र में १९६२–६३ में ७.८२ करोड़, बिहार में ३.४९ करोड़ और ४ फीसदी था। मद्रास में ६.१६ करोड़ और साढ़े पांच फीसदी था। महाराष्ट्र में साढ़े पांच फीसदी, पंजाब में ४ फीसदी, बंगाल में साढ़े तीन फीसदी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर यह रकम १,२५०.१९ लाख थी जो साढ़े ६ फीसदी से भी ज्यादा है। आप कहेंगे कि सूबा बड़ा है। ज्यादा खर्चे कोई बात नहीं है, लेकिन जिस फीसदी से खर्च हो रही है और उन प्रदेशों ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनका भी आप मुकाबला करें। अचीवमेंट्स में हम सब से पीछे हैं। ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा सबसे टाप हैवी है कि उसमें हम अपना सानी नहीं रखते उपलब्धियां सब से कम हैं। इन तथ्यों पर माननीय सदस्यों को गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है।

पिछली बार घोषणा की गयी कि हम इकोनामी करेंगे, इकोनामी कमेटी बनायी गयी। मगर उस सदन की कमेटी ने क्या किया? एक साल पहले जब संकट-काल की स्थिति देश में थी तो कहा गया था कि सारे खर्चे घटेंगे। क्या सिफारिशें हुईं और कितने रुपये में कमी हुई, यह बात प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है। मैं आज दावे से कह सकता हूं कि एक साल के अन्दर आपने कोई इकोनामी इस प्रदेश में नहीं की बल्कि ऐसे उदाहरण हैं जिनमें सरकार ने उसको बिलकुल उलट दिया। यहां तक कि जिसकी स्वीकृति भी थी उसको भी उलट दिया। दूसरी तरफ कितने बड़े पैमाने पर ड्यूज बाकी हैं। मेरा चार्ज है कि कांशस प्रो-टैक्सेज पालिसी इस सरकार की है। चाहे हिन्दुस्तान की कांग्रेस भुवनेश्वर की समाजवादी नीति को मानने की बात करे लेकिन इस प्रदेश के अन्दर सतर्क तरीके से पूंजीवादी त्रस्त नीति अपनायी जा रही है। मुख्य मंत्री ने कहा कि ड्यूज की रिकवरी को जहां तक बात है तो साढ़े चार करोड़ बकाया है। आपने कहा कि साढ़े दस करोड़ रुपया बिक्री-कर का बकाया है प्रदेश के अन्दर। गरीब किसानों के ऊपर और मिल मजदूरों पर जो बकाया होता है उसको तो आप फौरन वसूल करते हैं। ९९ फीसदी किसानों का लैंड रेवेन्यु डंडे लगाकर वसूल कर लिया। मजदूरों से भी तकावी का रुपया फोरसिबली वसूल कर लिया गया, लेकिन व्यापारियों से जो साढ़े दस करोड़ सेल्स टैक्स का बाकी है उसकी बसूली नहीं की जाती। जरवल शुगर मिल के ५ कार्य-कर्त्ता भूख हड़ताल कर रहे हैं। उस मिल पर १५ लाख सरकार का और १५ लाख किसानों का बकाया है। आश्वासन दिया गया था कि हम वसूल करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। माननीय शांति प्रपन्न शर्मा से बात हुई कि ४० मील दूर जो दूसरी मिल है उनको गन्ना देने की परमीशन दे दी जाय तो कहा गया कि जरवल मिल बन्द हो जायगी। तो मिल-मालिक की मुहब्बत है, लेकिन किसान जो लुट रहा है उसकी उपेक्षा करते चले जा रहे हैं, यह आपकी क्या नीति है? हमारी सरकार बड़े बड़े मिल-मालिकों से फायदा क्यों नहीं वसूल करती? आज इस प्रदेश के कानून के अन्दर भी तब्दीलियां करने की जरूरत है। आज अदालतें उनके लिए शरण का अड्डा बनी हुई हैं। बहुत से कैपिटलिस्ट्स एक रिट अदालत में दाखिल करेंगे, रिकवरी स्टाप हो जायगी और सरकार बैठी हुई मुंह ताकती रह जाती है। मैं कहता हूं कि आपके यह सब कायदे कानून पूंजीवाद के द्योतक हैं और उनमें आमूल परिवर्तन कीजिये और तजुर्बे से सीखिये कि आज क्या हो रहा है। एक मुंसिफ की अदालत से इंजंकशन आर्डर हो जाने पर आपका गल्ला नहीं निकल पाता है। यह सब क्या है? पूंजीपतियों के हाथों में यह सरकार खेल रही है। यह स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिये दुखद है, इस प्रदेश के लिये दुखद है। मैं चाहता हूं कि इस ओर मजबूती के साथ आप कदम उठाइये।

मान्यवर, आज प्रदेश की जो स्थिति है, उसको देखते हुए सरकार किसी भी हालत में टैक्स लगाने का साहस न करे। अगर किसी भी तरह का टैक्स अब गरीब जनता पर लगाया गया तो प्रदेश के अन्दर विप्लव हो जायगा। सारे प्रदेश के लोग आकर ९ मार्च को विधान भवन के सामने प्रदर्शन करने वाले हैं, हजारों लोग प्रदेश के अन्दर भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि इन सारी बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

जहां तक हाउस टैक्स के लगाने का सवाल है, मैं मांग करता हूं कि जिस तरह से सरकार ने लैन्ड रेवेन्यू टैक्स को वापस लिया, उसी तरह वह इसे भी वापस ले। एक विधवा के पास

[श्री चन्द्रजीत यादव]

अगर एक मकान है, उसका मृतक पति उसके लिये एक मकान छोड़ गया है, तो उससे भी आप टैक्स लेने जा रहे हैं। यह ठीक नहीं होगा। इसलिये आप अपनी टैक्स नीति में परिवर्तन करें। टैक्स का बोझ आप, जो देने के काबिल है, उन्हीं पर डालें। जिनकी आमदनी बढ़ी नहीं है, उनसे टैक्स लेने का आपको क्या हक है ?

आज आप १४४ लगाकर के और तनाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आज कोई मीटिंग नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। यह सब अधिनायकवाद का तरीका अपनाया जा रहा है। आज सरकार डंडों के बल पर स्थिति पर काबू नहीं पा सकती। इस प्रश्न पर सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। आपकी नीति असफल हुई है और जरूरत इस बात की है कि आप उसमें परिवर्तन लाइये।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश का पूर्वांचल आज सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है। पटेल कमीशन की जो सिफारिशें हैं, मैं कहना चाहता हूं, उससे ही उस अंचल का उत्थान होने वाला नहीं है, वह सिफारिशें थोड़े दिनों के लिये हैं, आपको तो, जो वहां की मौलिक समस्यायें है, जो वहां की बढ़ती हुई गरीबी है, यातायात के साधनों की कमी है, व्यापार के साधनों का अभाव है, तथा जो और चीजें हैं, उसकी ओर आपको ध्यान देना होगा। प्रदेश के पौने तीन करोड़ व्यक्ति उस अंचल में रहते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार मजबूती के साथ इस बात की घोषणा करे कि पूर्वांचल के उत्थान के लिये, स्थायी उत्थान के लिये, उनकी मौलिक समस्याओं के निवारण के लिये उसके द्वारा कदम उठाये जायेंगे।

मैं इस बात की आज मांग करता हूं कि सरकार तुरन्त स्टेट ट्रेडिंग लागू करे, और अगर केन्द्रीय सरकार उसके लिये इजाजत न भी दे, तो भी उसको उसके लिये कोशिश करनी चाहिये। कृषि एक उद्योग की तरह माना गया है। यह प्रदेश कृषि के क्षेत्र में आत्म निर्भर बन सकता है, मगर यहां लाखों टन गल्ला बाहर से मंगाना पड़ता है, तब यहां खाने को मिलता है। जिस गति से आबादी बढ़ रही है, उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ रहा है। हम राष्ट्र कलश हासिल करते हैं लेकिन जनता भुखमरी और तबाही का मुकाबिला कर रही है, यह कैसा विरोधाभास है मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि यह हालत है यह सोचने की बात है ? मैं चाहता हूं कि गल्ले की पैदावार को बढ़ाने के लिये सरकार ने ३ आना फी रुपया जो रिबेट दिया था सिंचाई की दर में और जिसे बाद में वापस ले लिया उसको फिर से किसानों को दे जिससे किसान उस सिंचाई की सुविधा को इस्तेमाल कर सके।

मैं इस बात की मांग करता हूं कि सरकार ने जो सरकारी कर्मचारियों के लिये कमीशन बनाने की मांग की है वह तो ठीक है लेकिन जब तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती २५ परसेंट मंहगाई अन्तरिम कालीन भत्ता (इंटरिम रिलीफ) सरकार उनको दे क्योंकि जिस संकट का वे मुकाबिला कर रहे हैं वह असहनीय है और उस कमीशन की रिपोर्ट आने में सालों लग जायगा।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

सिर्फ एक आखिरी बात और कह दूं।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, जल्द समाप्त कीजिये।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मैं इस बात की मांग करता हूं कि कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिये लैण्ड रिफार्म्स में आमूल परिवर्तन होना चाहिये। हदबन्दी कानून आज फेल हो गया है और गरीब किसानों को जमीन नहीं

मिली, उसको फिर से लागू किया जाय और साढ़े बारह एकड़ से २० एकड़ तक जमीन जिनके पास है उनसे जमीन लेकर इन गरीबों को बाँटी जाय ।

मैं इस बात की मांग करता हूं कि सरकार राष्ट्रीयकरण की ओर जबरदस्त कदम उठावे । चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण, गल्ला व्यापार का राष्ट्रीयकरण, सूती मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, क्योंकि यहां से साधन मिल सकते हैं और यहीं से रुपया जनता के उत्थान के लिये मिल सकता है । अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि पायस स्लोगन्स से काम नहीं चलेगा, उसके लिये शोषण को बन्द किया जाय, राष्ट्रीयकरण की तरफ जबरदस्त कदम उठाये जावें, चोरबाजारों पर सख्त कार्यवाही की जाय, जनता के दिलों को प्लान की तरफ मोड़ा जाय, केवल पवित्र नारों से समाजवाद नहीं आ सकता और न इस तरह से जनता की गरीबी दूर हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप खत्म कीजिये ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो २३५ करोड़ रुपये का बजट १९६४-६५ के लिये पेश किया है उसके लिये मैं सबसे पहले उनको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इस वर्ष उन्होंने इसके संबंध में मौलिक भाषण दिया है । साथ ही जो बड़ा बजट पेश किया है उसके लिये भी मैं उन्हें बधाई देता हूं ।

मान्यवर, इस बजट को इस दृष्टि से देखना है कि यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का चौथा साल है और जैसा कि माननीय चन्द्रजीत जी ने स्वयं इस बात से इत्तफाक किया कि सदस्य चाहे कांग्रेस दल के हों या विरोधी पार्टी के हों आज जो वस्तुस्थिति इस प्रदेश की है उससे किसी को भी आंख नहीं बन्द करना चाहिये । इसी दृष्टि से, चाहे हम इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, इस बात को सोचना है कि आज जो परिस्थिति हमारे प्रदेश की है, क्यों ऐसी है और कैसे उस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है । मान्यवर, मैं इस बात को मानता हूं कि आज जो आर्थिक स्थिति है, जो परिस्थिति आज इस प्रदेश की है वह मायूसी की न होते हुए भी चिन्ताजनक और गंभीर अवश्य है । यह अपनी जगह पर सही बात है । मान्यवर, चन्द्रजीत जी ने बहुत सी मौलिक बातें कही हैं और उनकी दवा भी उन्होंने बतायी । उनकी बातों का जवाब तो मैं बाद को दूंगा लेकिन जो सबसे पहली बात उन्होंने कही वह यह है कि यह डेफिसिट बजट है । यह सही है पर मैं कहना चाहता हूं कि बैकवर्ड एकानामी में डेफिसिट बजट का आना कोई बुरी बात नहीं है । लेकिन एक बात जरूर है वह यह कि जब स्वयं वित्त मंत्री जी यह कहते हैं कि ६२-६३ के बजट का घाटा १३ करोड़ से घटकर सवा करोड़ का सरप्लस हो गया, यह भी संभव है कि इस चालू साल में भी साढ़े ४ करोड़ के घाटे से घटकर सवा करोड़ का ही सिर्फ डेफिसिट रह जायगा । मैं इस बात का मार्जिन देकर भी कि डेवलपिंग एकानामी में सही एस्टीमेट्स बनाना संभव नहीं है, यह मानता हूं कि खर्चे के करने में जो पैसा बच जाता है और उसका जो असली एस्टीमेट बनाया जाता है उसमें जो गैप है वह कम होना चाहिये, क्योंकि यह न सरकार की क्षमता का द्योतक है और न उसकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेंसी का । डेफिसिट बजट के बारे में दो-चार बातें माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कही हैं । उन्होंने बकाया के बारे में कहा है कि २०, २२ करोड़ की है जिसमें से १०, ११ करोड़ सेल्स टैक्स और बाकी दूसरी मदों के अन्तर्गत हैं । इसके लिये उन्होंने कहा है कि वसूल करने की कोशिश की जायगी यद्यपि मैंने देखा कि उसमें उसके वसूल करने का कोई तरीका नहीं दिया है । यह बात बिलकुल ठीक है कि सेल्स टैक्स के बकाये की जो मद है वह या तो उन पर है जो पूंजीपति हैं या बहुत बड़े-बड़े फर्म्स हैं उन पर है । मैं वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे उनके साथ एक सख्त कदम उठायें, उनका प्रासीक्यूशन करें । जिन लोगों के पास मिलें हैं, अगर वे पैसा न दें तो उनकी मिलों को टेक-ओवर कर लिया जाय । वित्त मंत्री जी ने कहा कि टैक्स इवेजन के लिये सख्ती से कार्यवाही

[श्री नवलकिशोर]

की जायगी, इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं लेकिन मैं यह नहीं जानता कि उसके लिये वे क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे। जो भी एफीशियेंट तरीका उनको दिखाई दे, वे उसे अपनायें। उन्होंने यह भी कहा कि एफीशियेंसी को मेनटेन करते हुये बचत की जायगी। हमारे यहां ऐस्टीमेट्स कमेटी है, पी० ए० सी० है, परिपूर्णानन्द जी के नेतृत्व में एक एकोनामी कमेटी बनी थी, गुप्ता जी ने शुरू में एकोनामी पर बहुत जोर दिया था और उसके द्वारा ५०—६० लाख की एकोनामी की भी थी, केबीनेट में भी इसके लिये एक सब कमेटी बनी थी, हाउस की भी एक कमेटी बनी थी, ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स की भी एक मीटिंग हुई थी उसमें इत्तफाक से मैं और वित्त मंत्री जी भी थे। उसमें कहा गया था कि ढाई फी सदी के हिसाब से बचत करके ५ करोड़ रुपये की बचत की जायगी। लेकिन मैं पूछता हूं कि वह बचत कहां गयी। मैं तो ऐसा फील करता हूं कि सरकारी कर्मचारी बचत करने के पक्ष में ही नहीं हैं, इसलिये बचत करने की कोई स्कीम कामयाब ही नहीं हो पाती है नहीं तो २३५ करोड़ रुपये के बजट में से ५ प्रतिशत की बचत करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बशर्ते कि बचत हर आदमी के लिये आर्टिकल आफ फेथ बन जाय। जब तक सब लोग मिलकर इस ओर कदम न उठायेंगे तब तक एकोनामी नहीं की जा सकती।

यह मैं मानता हूं कि राइजिंग एकोनामी में टैक्स लगाये जाते हैं। मुझे भी कोई आपत्ति न होगी अगर माननीय वित्त मंत्री जी अरबन एरिया में टैक्स लगायें क्योंकि देहात की हालत आज अच्छी नहीं है। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन घटा है—व्यक्तिगत आय भी नहीं बढ़ी है, बल्कि गांव में घटी है। स्वयं वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि किसानों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जायगा क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अगर उनका कमिटमेंट न भी होता तो भी मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि उनकी आज की हालत को देखते हुये किसानों पर कोई टैक्स न लगाया जाय।

कहा गया कि प्रगति नहीं हुई मगर माननीय चन्द्रजीत यादव यह सही कह गये, मैं नहीं जानता कि उनकी उस से क्या मंशा थी, कि वांछनीय प्रगति नहीं हुई। मैं उनसे इत्तफाक करता हूं। प्रगति हुई है, सड़कें बनी हैं, नहरें भी लम्बी हुई हैं, ट्यूबवैल्स बने हैं, टैक्निकल ऐजूकेशन भी बढ़ी है आदि-आदि लेकिन दो बातें सही हैं, एक तो यह कि वह हमारे प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं हुयी और दूसरी यह कि प्रदेश की आवश्यकताओं के हिसाब से जितना पर-केपिटा ऐक्सपेंडीचर होना चाहिये था पहली और दूसरी योजना में वह नहीं हुआ और जितना खर्च भी हुआ उस अनुपात में भी फिजीकल टारगेट एचीव नहीं हुये। हमारे यहां खेती की हालत अच्छी नहीं है, उसमें हमने अच्छी तरक्की नहीं की है। अगर अच्छी भी हो तो भी सिर्फ ऐग्रीकल्चर से, देश की एकोनामी नहीं सुधर सकती बिना इंडस्ट्रियल एचीवमेंट्स के। मेरे पास प्रदेशीय सरकार के आंकड़े नहीं हैं क्योंकि इस बारे में उनकी कोई रिपोर्ट मेरे सामने नहीं आयी लेकिन सेन्टर की एक रिपोर्ट मेरे सामने है, उसमें से मैंने कुछ आंकड़े लिये हैं। उनसे मालूम होता है कि पहले हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का इण्डेक्स था जो १३९ था सन् ६०-६१ में, वह ६१-६२ में तो १४१ तक बढ़ा मगर ६२-६३ में घट गया और १३६.८ रह गया। हमारे यहां के आंकड़ों के अनुसार हमारे प्रदेश का प्रोडक्शन ६०-६१ में १४२ लाख टन था जो ६२-६३ में १३२ लाख टन ही रह गया। मेरा यह विश्वास है कि १९६३-६४ की स्थिति को देखते हुये कम से कम १० लाख टन की और कमी उत्पादन में आयेगी। हमारा टार्गेट १९६३—६४ में १५६ लाख टन उत्पादन का था लेकिन हमारा उत्पादन १२२ लाख टन से ज्यादा नहीं होगा। इस तरह से टार्गेट और ऐचिवमेंट में ३४ लाख टन का गैप रहा। आज की जो स्थिति है उसमें हमें यह भी देखना है कि तीसरे प्लान में हमारा टार्गेट जो १८२ लाख टन का है वह पूरा होगा या नहीं। यह बात सही है कि सरकार ने इस बजट में एग्रीकल्चर पर काफी जोर दिया है। कैबिनेट ने एक सब कमेटी बनायी है ताकि जितने डिपार्टमेंट्स एग्रीकल्चर से सम्बन्धित हैं उनका कोआर्डि-नेशन हो सके। एक प्रोडक्शन कमिश्नर की भी नियुक्ति हुई है जिसके चार्ज में होगा सारे

प्रदेश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना और उसके लिये तरीके अपनाना। यह बात बहुत अच्छी है। इसके साथ-साथ कृषि मंत्री जी ने और भी बहुत-सी बातें की हैं, जैसे ड्राई फार्म गारन्टी स्कीम व अन्य चीजें हैं, इसके लिये हमारे स्टेट बोर्ड की मीटिंग भी हुई लेकिन मैं उसके डिटेल में इस वक्त नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के अन्दर बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनका एकीकरण करना पड़ेगा क्योंकि मुझे १२ साल का अनुभव है कि जब तक कोई खास जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं होती है विभागों में कोआर्डिनेशन नहीं हो पाता। प्लानिंग के बाद भी आज डिपार्टमेंट्स में कोआर्डिनेशन की बहुत कमी है, अगर ऐबसेन्ट नहीं है तो कमी बहुत ज्यादा है। तो केवल कोआर्डिनेशन से ही काम नहीं चलेगा, मेरा अपना ऐसा विचार है कि आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एकीकरण करना पड़ेगा, सामुदायिक विकास, गल्ला व कृषि एक साथ रखने पड़ेंगे।

जहां तक इंडस्ट्री की बात है, हमारा दुर्भाग्य है कि हम इंडस्ट्री के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। फर्स्ट और सेकेन्ड प्लान में हमने बहुत कम ऐवोव किया। इधर हमारे यहां कुछ इंडस्ट्री बढ़ी है यद्यपि वह भी जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि इस प्रदेश की स्थिति को देखते हुये काफी नहीं है मगर फिर भी हमारे यहां ४.३ परसेन्ट की प्राप्ति हुई है। जब कि सारे हिन्दुस्तान में यह आंकड़ा ४८ प्रतिशत से ज्यादा है। यह बात अपनी जगह पर सही है और मैं समझता हूं कि जब तक इधर ध्यान नहीं दिया जाता, जब तक जो औद्योगिक पालिसी रही है उसमें चेन्ज नहीं किया जाता, तब तक हमारे प्रदेश में औद्योगीकरण सम्भव नहीं मालूम होता। सेंटर ने कुछ इंडस्ट्री हमें पब्लिक सेक्टर में दी है लेकिन पब्लिक सेक्टर के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर में भी हमें इंडस्ट्रीज को बढ़ाना पड़ेगा। सिद्धान्ततः मैं रेशनेलाइजेशन की बात मानता हूं लेकिन फिर भी इनिशियल स्टेज में हमें मिश्रित अर्थ व्यवस्था को ही अपनाना पड़ेगा। पूरे प्रदेश को अपना सहयोग देना होगा ताकि पब्लिक सेक्टर के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर में भी इंडस्ट्री बढ़े। मुझे खुशी है कि हमारे यहां एक अल्यूमिनियम फैक्टरी बनी है जिसका उत्पादन १० हजार टन से ५० हजार व एक लाख टन तक हो जाने की आशा है।

श्री उग्रसेन—

बिड़ला को एक पैसा यूनिट बिजली दीजिये।

श्री नवलकिशोर—

जहां तक बिजली की बात है, बिड़ला आपको बिजली बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं।

एक बात यह कही माननीय चन्द्रजीत जी ने कि पर कैपिटा इनकम हमारे प्रदेश की कम बढ़ी है यानी वह २५९ से बढ़कर २६८ हुई है। इस तरह से यह ४.३ परसेंट आता है जबकि पूरे हिन्दुस्तान में २१ परसेंट से ज्यादा आती है। मैं आंकड़ें में नहीं जाना चाहता मगर बात सही है।

श्री अध्यक्ष—

क्या ५ मिनट में आप समाप्त कर देंगे ?

श्री नवलकिशोर—

५ मिनट में तो मैं नहीं समाप्त कर सकूंगा।

श्री अध्यक्ष—

तो अब हम उठते हैं, २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

[श्री नवलकिशोर]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह बात सही है कि हमारे यहां प्रति व्यक्ति आय में आल इण्डिया के अनुपात से बढ़ोत्तरी नहीं हुई है और जैसे कि वृद्धि और प्रदेशों में हुई है उसके अनुपात से भी हमारे यहां कम वृद्धि हुई है। यह ठीक है कि आय की विषमता भी बढ़ी है और उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ प्रदेश है, इस बात को विरोधी पक्ष ने भी कहा है और इस को कांग्रेस के सभी नेताओं ने माना है और केन्द्र के नियोजन मन्त्री श्री नन्दा जी ने भी इसको माना है कि हमारे यहाँ गरीब और गरीब हुआ है और अमीर और अमीर हुआ है और सभी रिपोर्ट्स से यही बात सिद्ध हुई है।

माननीय शारदा भक्त सिंह जी ने कहा कि यह नियोजन के कारण ही हुआ है, उनका यह कहना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि यदि यह प्लान्स न होती तो शायद स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती लिहाजा यह कहना गलत है कि यह प्लान्स की वजह से है। यह बात भी सही है कि पैदावार में कमी का कारण मौसमों की खराबी है। बाढ़, सूखा, पाला और तूफान आदि से नुकसान हुये हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशियेंसी, वेस्टेज, बाटेलनेकिन्ग और भ्रष्टाचार भी इसके कारण रहे हैं। प्लानिंग में ३ तरह के लोग होते हैं, प्लानर्स, प्रासिक्यूटर्स और बेनीफिशियरीज। अगर इनमें से हरएक में एक अन्डरस्टैन्डिग हो तो अच्छा है। इन्ट्रेग्रेशन और कोआर्डिनेशन की बहुत आवश्यकता है और इसके लिये आवश्यक है कि यहां एक प्लानिंग बोर्ड की स्थापना की जाय और उसकी तीन हाई पावर कमेटी हों, एक कोआर्डिनेशन कमेटी हो जो बाटेल नेक्स को दूर करे, एक वेस्टेज को रोकने की कोशिश करे और जैसा कि मन्त्री जी ने स्वयं कहा कि एक इवेलूशन कमेटी होगी जो तमाम दिक्कतों तथा प्रगति का मूल्यांकन करे और तीसरी एक रिसोर्सेज कमेटी हो जो देखे कि साधन कहां से मुहैया किये जा सकते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी कमेटी को बनाने में नान-आफिशियल एलीमेंट को ज्यादा रखा जाय। आज हमारी स्टेट में ३ टाप आफिसर्स हैं, एक चीफ सेक्रेटरी, दूसरे एडीशनल चीफ सेक्रेटरी और तीसरे प्रोडक्शन कमिश्नर। मैं चाहता हूं कि सारी जिम्मेदारी हमें इन तीनों पर डालना चाहिये। प्रोडक्शन कमिश्नर का तो काम ही कृषि की उपज को बढ़ाने का होगा। एक को एकोनामिक कोआर्डिनेशन का काम दिया जाय और दूसरे को नान-प्लान्ड आइटम्स का काम दिया जाय।

यह भी कहा गया कि स्टेट पर कर्जा बढ़ रहा है और अब ५०५ करोड़ से ६२० करोड़ का कर्जा हो जायगा। मेरा विचार है कि पिछड़ी हुई अवस्था में कर्जा लेना नितान्त आवश्यक होता है और यूं भी अगर हम हिसाब देखें तो इस ६२० करोड़ में से २२४ करोड़ का कर्जा ऐसा है जो सरकार ने औरों को एडवान्स दे रखा है और रिजर्व में भी ७० करोड़ है और सिंकिंग फंड से ४२ करोड़ है। इस तरह से कुल मिलाकर करीब ३३६ करोड़ यह हो जाता है। सिर्फ २८४ करोड़ रुपया कर्जे का बच जाता है। कर्जे के लेने और देने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हमारा हो वह प्रोडक्टिव हो ताकि उससे हम सेल्फ जैनरेटिंग एकोनामी की तरफ जा सकें। इस सम्बन्ध में मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान २-१ बातों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने देखा कि स्टेट ट्यूबवैल्स तथा नहरों में हमारा १७५ करोड़ का कैपिटल आउट ले है। आंकड़ों के अनुसार १९६२-६३ में ट्यूबवेल हमारे जो प्रोडक्टिव थे उनका घाटा १,२५,९९,००० है और यह १९६३-६४ में ८२,९१,००० हो गया। मान्यवर, जो अनप्रोडक्टिव ट्यूबवैल्स हैं उनमें १९६२-६३ में ३,७७ लाख का घाटा था और गत साल का ४,५३,००,००० बताया जाता है। यह बात सही है कि हमको आबपाशी बढ़ानी है और देनी है फिर भी यह घाटा बहुत बड़ा है और हमारी स्टेट के ऊपर ड्रेनेज है। जब, मान्यवर, मैं केनाल्स को देखता हूं तो मालूम होता है कि प्रोडक्टिव का लाभ २,४९ लाख का और अन्प्रोडक्टिव जो हैं उनका घाटा २,६६ लाख का है। १९६२-६३ में तो ऑन दी होल पिक्चर वहां भी बराबर है। यह थोड़ा बहुत घाटा चल रहा है। कोशिश ऐसी करनी चाहिये कि यह घाटा कम किया जाय। द्वि विभागीय जो सिंचाई की व्यवस्था आने वाली है शायद उससे घाटा कुछ कम हो लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का

टाइटिनिंग भी होना चाहिये ताकि घाटा कम हों। गवर्नमेंट में हमारी स्टेट की बस सर्विसेज अच्छी मानी जाती हैं लेकिन मैंने बजट में देखा कि वहां भी डाउन वर्ड ट्रेन्ड है। १९६२ का मुनाफा १,७३ लाख है यह १९६३-६४ में, १,१८ लाख हो गया यानी ५५ लाख की कमी हो गयी तो इससे मालूम होता है कि यहां भी डाउन वर्ड ट्रेन्ड है और इसको रोकना चाहिये क्योंकि हमारे जो प्राइवेट सैक्टर्स होते हैं उनको काफी मुनाफा होता है तो यह ७ प्रतिशत का मुनाफा ज्यादा नहीं है।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी के सम्बन्ध में भी यदि देखा जाय तो वहां पर प्राफिट बढ़ रहा है। उसका फायदा १९६२-६३ में ३२ लाख का है। बजट में जो फाइनैन्शियल स्टेटमेंट हैं उनसे सही आंकड़े का अन्दाजा नहीं होता। इस सम्बन्ध में मैं एक मिसाल देता हूं। जो नेट फायदा है वह १,११,४५,००० है १९६२-६३ में और १९६३-६४ में ४०,५२,००० हो गया तो मैं खुद भी परेशान था कि आखिर ये ७१ लाख रुपया कहां गायब हो गया। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की और डिटेल दी जायं तो ज्यादा सही तस्वीर सामने आ सके। क्यों जब इसमें १११ लाख का लाभ दिखाया गया है तब सही मुनाफा केवल ३२ लाख का ही है।

इसी प्रकार से प्रैसीजन इन्स्ट्रुमैन्ट फैक्टरी को ले लीजिये। उसमें १९६२-६३ में मुनाफा १६,४७,००० और १९६३-६४ में १२,८२,०००। इसमें भी मुनाफा तो है पर डाउनवर्ड ट्रैन्ड है तो इस डाउन वर्ड ट्रैन्ड को रोकने के लिये कोशिश की जाय।

विभूति ग्लास वर्क्स में भी ३ लाख का मुनाफा हुआ। पब्लिक सैक्टर में घाटा नहीं है। लेकिन जो डाउन वार्ड ट्रैन्ड इसको रोकने की आवश्यकता है ताकि उससे कुछ मामला आगे को चल सके वरना स्थिति बिगड़ जायेगी।

स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड पर १३० करोड़ रुपये का सरकार का कर्जा है लेकिन इस बोर्ड ने अच्छा काम किया है। जहां १ करोड़ का नुकसान होता था उसके स्थान पर ९ लाख का फायदा है और यह तब है जब उनका उसूल यह है कि नो प्राफिट नो लास पर उसे चलाया जाय। कर्जा बढ़े तो कोई बात नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव होना चाहिये और अगर घाटा होता रहा तो बैंकप्सी की तरफ बढ़ेंगे एक दिन।

एक बात यह कही गयी कि कीमतें बढ़ रही हैं और ४०, ६० परसेंट तक बढ़ गयी हैं, यह सही है। लेकिन यह बात भी है कि फूड मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश की है कि १ लाख टन गेहूं सेंटर से लिया जाय। फिर भी स्थिति काफी चिन्ताजनक है अपनी जगह पर और जैसा नन्दा जी ने कहा वह ठीक है कि जो व्यापारी वर्ग है उसने हमारा साथ नहीं दिया और धोखा दिया है।

यादव जी ने आज स्ट्राइक असेम्बली के सामने शुरू करा दी। दुकानदारों के सामने करते, जहां खजाना है ग्रेन का तो इससे कुछ फायदा भी होता। यह केवल पोलिटिकल स्टंट की बात है। नेशनलाइजेशन, तनख्वाहें बढ़ाना २५ परसेंट और टैक्स कोई वसूल न हो, सब काम भूख हड़ताल से होंगे, मैं इसे नहीं मानता।

मैं इस बात को मानता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग आवश्यक हो तो होना चाहिय और व्यापारियों ने कोआपरेट नहीं किया तो फूड मिनिस्टर को यू० पी० के अन्दर स्टेट ट्रेडिंग करनी होगी। हम इससे इत्तिफाक भी कर लें कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन होना चाहिये तो यू० पी० की सरकार इसे नहीं कर सकती, इसका इनिशियेटिव सेंटर से आयेगा। शुगर फैक्टरी, टेक्सटाइल फैक्टरीज का, एक दिन आ सकता है कि नेशनलाइजेशन हो जाय लेकिन उसकी माँग यहां करने से कोई फायदा नहीं। जहां तक समाजवाद की बात है मैं यादव जी से एक कदम आगे बढ़ने के लिये तैयार हूं कि जो आमदनी इंसान की है उसकी कोई न कोई सीमा निर्धारित की जाय लेकिन केवल कहने से काम नहीं बनता है, वह तो इसी से बनता है कि आप और हम सब मिलकर काम करें।

मैं वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कर्मचारियों को महंगाई के सम्बन्ध में कुछ रियायतें दी हैं लेकिन एक बात उन्होंने स्वयं देखी होगी कि जो महंगाई दी है, जैसे कीमतें बढ़ी हैं

[श्री नवलकिशोर]

और स्वयं नन्दा जी ने भी कहा है कि कीमतें इतनी बढ़ गयी हैं कि महंगाई के कोई मानी नहीं है। उसमें ४५० रु० पान वालों तक के ५ रुपये बढ़े हैं और उससे ऊपर ८५० रुपये पाने वालों को ४० रुपये महंगाई दी है। मैं नहीं कहता कि उन्हें नहीं दी जाती लेकिन इस समय उन्हें देने की आवश्यकता थी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इससे डिसपेरिटी बढ़ गयी और फिर यह सोशलिस्टिक एप्रोच तो है नहीं ब्यूरोक्रेटिक एप्रोच है।

एक बात मुझे यह भी निवेदन करनी है कि जो पोलिटिकल पेंशन्स हैं उनमें भी ५ रुपये बढ़ा दिया जाता। क्योंकि ७५ रुपये से ज्यादा किसी की पे हैं नहीं। पे कमेटी आपने नियुक्त करने की घोषणा की है उसका मैं स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से यह एक जायज और सही मांग थी।

विजिलेंस कमीशन की बात आई। मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी ने जो प्रेस कान्फ्रेन्स में इन्टरव्यू दिया और कहा कि इस विजिलेंस कमीशन के दो हिस्से होंगे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैबुनल होगा और दूसरा जिसको शिकायत भेजी जायंगी वह होगा। इसके मानी हैं कि आदमी को शिकायत देनी होगी। खुद बखुद किसी बात का वह नोटिस नहीं लेगा। मैं समझता था कि विजिलेंस कमीशन के मानी हैं कि खुद ही अपने स्थान पर वह विजिलेंट होगा। किसी शिकायत का जाना जरूरी नहीं होगा। अगर उसके कान में आवाज आती है कि फलां जगह बंगलिंग है तो स्वयं ही इंक्वायरी करेगा और इनिशियेटिव लेगा। विजिलेंस कमेटी के सामने अगर इसमें कोई कानूनी अड़चनें हैं तो उनको दूर करने की आवश्यकता है। जब तक इतना ड्रास्टिक स्टेप आप नहीं लेंगे तब तक कुछ होने का नहीं है। एक बात मैं और कहता हूं कि जो फालो-अप होता है उसकी हमारे यहां बहुत कमी रहती है। एन०ई०एस० ब्लाक्स में पैसा दे देते हैं लेकिन उसका फालो-अप नहीं होता। नतीजा यह होता है कि जैसा कि यादव जी ने कहा कि लघु उद्योगों में ४२ परसेंट पैसा जिस काम के लिये दिया गया था उस काम में नहीं इस्तेमाल हुआ। तो मैं यह भी चाहता हूं कि फालो-अप होना चाहिये।

एक बात और चाहता हूं वित्त मन्त्री जी से कि कोआपरेटिव ने काफी काम किया है और कर्जे काफी बांटे गये हैं। मैं चाहता हूं कि एक कमेटी एप्वाइंट की जाय जो इस बात को देखे कि कर्जे का परिणाम क्या हुआ है, क्योंकि काश्तकार ने पैदावार बढ़ाने में खर्च नहीं किया बल्कि और चीजों में खर्च किया है जिससे उसके ऊपर कर्जा निरन्तर बढ़ता जाता है, इसकी जांच की जाय।

आखिर में, जैसा कि मैंने कहा, एक गम्भीर स्थिति है, कीमतों के बढ़ने के बाद, पैदावार के घटने के बाद। ये चीजें ठीक तभी होंगी, जैसा कि वित्त मन्त्री जी ने खुद अपने भाषण म कहा कि पूरी मशीनरी को टाइटेन किया जाय और तमाम जनता के प्रतिनिधि अपनी जगह पर एलर्ट हों और तमाम जनशक्ति को मोबिलाइज किया जाय ताकि जो हमारे प्लान्स चल रहे हैं वह कामयाब हों और जो बाटलनेक्स हैं वह दूर हों ताकि हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकें।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया) —

आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आपने कल सुनाया था कि २० मिनट का समय एक सदस्य को मिलेगा। फिर उसको आपने शायद अध्यक्ष जी की आज्ञा से १५ मिनट किया। अब क्या आपने फिर उसमें कोई तरमीम कर के १५ मिनट को आधा घंटा या ३५ मिनट कर दिया है? अभी आपने नवल किशोर जी को लगभग ३५ मिनट दिये।

श्री उपाध्यक्ष—

थोड़ा-सा डिस्क्रिशन देना पड़ता है इस बात को देखते हुये कि कैसी स्पीच हो रही है। और आज तो लोगों की मांग यह है कि १५ मिनट को भी घटा कर के १० मिनट कर दिया जाय। यह तो आपके ऊपर होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग बोल सकें, यही मेरी मंशा है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी) —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन और मंत्री जी का ध्यान चन्द खास बातों पर आकर्षित करता हूं । करीब २३५ करोड़ का बजट जो पेश हुआ है उसमें करीब साढ़े ११ करोड़ का घाटा दिखाया गया है । इस सरकार की तरफ से करीब-करीब हर साल घाटे का ही बजट पेश होता है। सबसे पहले जो इस समय प्रान्त में महंगाई है उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा । कल माननीय खाद्य मन्त्री जी ने बताया कि ४ हजार टन, लेकिन बाद में क्विन्टल में कहा कि झांसी में गेहूं है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जनवरी का झांसी का कोटा करीब ८ हजार टन का मन्जूर किया था और तब से १२ फरवरी तक का मुझे मालूम है कि ३५० टन झांसी के लिये मिला, सप्लाई व्यवस्था आपकी इतनी अच्छी है। इसके अलावा मिलों को १५ रुपये मन गेहूं आप दे रहे हैं और जनता को १६ रुपये के हिसाब से देते हैं और मिल वालों को जो १५ रुपये मन के हिसाब से देते हैं उसमें आप उधार की शक्ल में भी देते हैं। ये मिल वाले जो कन्ट्रोल की दूकानों को आटा देते हैं वह ९० किलो वजन की बोरी दी जाती है लेकिन आप जांच करा के देखिये कि उस बोरी में इतनी नमी होती है कि दूकानों पर जाकर वह ८८ किलो वजन की ही रह जाती है और इस तरह से वे लाखों रुपये का फायदा उठाते हैं जबकि जरूरत इस बात की थी कि आटा मिलों का राष्ट्रीयकरण आप करते जो आज तक आपसे नहीं हो सका। एक चीज मैं आपके सामने रखूं कि आखिर इस हद तक जनता परेशान क्यों हुई ? आपने एक दुकान पर किलो ८ प्रति यूनिट के हिसाब से आटा देने का आदेश दिया। लेकिन ८ किलो गेहूं देने के आदेश होते हुये भी प्रदेश की सप्लाई की व्यवस्था इतनी निकम्मी है कि किसी दुकान पर लोगों को नहीं मिलता । दूसरे वह कि आटा जिस किस्म का दुकानों से दिया जा रहा है उसके सम्बन्ध में आप भी महसूस करते होंगे कि अनेक शिकायतें और अनेक खराबियां हैं और लोग आटा खुशी से लेना पसन्द नहीं करते हैं । लेकिन जिन्दा रहने के लिये भले ही वह खरीदते हैं । आपने आज प्रदेश के लोगों का जीवन तीतर, बटेर और मुर्गी के समान कर रखा है। इसी तरह से आप इंसान को जिन्दा रखना चाहते हैं।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी बाजार को डाउन करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव यह है कि आप आटा न दें क्योंकि आटे को लोग लेना नहीं चाहते हैं -। लेकिन यदि आप प्रति व्यक्ति २० किलो गेहूं देने के आदेश दे दें तो उसका असर सारे मारकेट पर पड़ेगा और बाजार डाउन हो जायगा । जब लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक गल्ला मिल जायगा तो वे लोग मन्डी में नहीं जायेंगे और बाजार अपने आप गिर जायगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब लोग आटा नहीं लेते हैं तो सप्लाई आप क्यों करते हैं ? एक व्यक्ति ४० रुपये तक का आटा ले सकता है जबकि वह ३, ४ रुपये से ज्यादा गेहूं नहीं ले सकता है । मैं समझता हूं आपको मिल वालों की वकालत नहीं करनी चाहिये।

जहां तक बुन्देलखंड का सवाल है, यहां पर गरीबी छाई हुई है । यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है । वहां पर एक सेर ६ छटांक का गेहूं मिल रहा है। वहां पर इन्सानों का जिन्दा रहना मुश्किल हो गया है। हो सकता है कि आप यहां आराम से बैठे हों। लेकिन आपने स्वयं कहा है कि आपको दर्द है और तकलीफ है। सही है और आपको तकलीफ होगी क्योंकि आपके ऊपर साढ़े सात करोड़ जनता की जिम्मेदारी है। आपको अपने विभाग को पूरी तरह से ओवर-हाल करना होगा । मैं आपको बतलाता हूं कि आजकल नौकरशाही इस प्रकार से हावी हो चुकी है जिस तरह से सवार नहीं बल्कि घोड़ा सवार के ऊपर आ जाता है । इसमें अब कोई शक नहीं है कि इसी तरह से नौकरशाही आपके ऊपर हावी हो चुकी है।

जहां तक बजट का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज महंगाई की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोग जिन्दा नहीं रह सकते हैं। लेकिन इस पर भी आपकी धारणा यह है कि आप साढ़े ग्यारह करोड़ का बजट में घाटा दिखाकर जनता के ऊपर टैक्स का बोझा लादना चाहते हैं, जो जनता सहन नहीं कर सकती । मैंने पहले भी आप से कहा था कि अपनी पक्षपात की नीति को समाप्त कर दीजिये। आप देखेंगे कि शकर, कोयला, सीमेंट,

[श्री लखपतराम शर्मा]

और अन्य दूसरी चीजों के जो परमिट दिये जाते हैं. वे सब आपकी पार्टी के लोग ही अधिकांश रूप में ले लेते हैं क्योंकि वे अधिकारियों से नहीं डरते हैं और फिर खुले आम ब्लैक होती है। आप प्रदेश भर का पूरा नक्शा मंगाकर देख तो लीजिये।

जहां तक प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का सवाल है, स्वयं सरकार ने स्वीकार किया है कि २०० अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। लखनऊ तथा अन्य जिलों के सिविल अस्पतालों से हजारों रुपयों की दवायें चोरी होकर बिकती हैं और अस्पतालों में मरीजों को दवायें नहीं मिल पाती हैं। यह प्रदेश का नक्शा आपके सामने है। आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। आपके अस्पतालों में बड़े आदमियों को हर प्रकार की सुविधायें प्राप्त हैं लेकिन गरीबों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है जिससे उनका जिन्दा रहना मुश्किल हो गया है। मैंने आपके सामने पिछले साल कुछ नकली इन्जेक्शन्स रखे थे और उस समय मुख्य मन्त्री और स्वास्थ्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी। इसके बाद स्वास्थ्य मन्त्री जी ने १२ इन्जेक्शन और मांगे और कहा कि इनको केन्द्र में भेजना है। लेकिन पक्षपात की नीति यह है कि इस सम्बन्ध में कांग्रेस वाले शामिल थे, इसलिये कुछ नहीं हो सका। मैंने २ दफा इस सम्बन्ध में प्रश्न दिया था लेकिन वह भी सदन के सामने नहीं आ सका क्योंकि कांग्रेस वाले ने अपराध किया है, इसलिये उसको बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। इसी तरीके से आप पुलिस विभाग को ले लीजिये। आप बुन्देलखंड को ले लीजिये। वहां की हालत इतनी बदतर है कि अगर माननीय राज्यपाल अपना नाम छिपा कर जंगल के एरिया में चले जायं तो उनका भी अपहरण वहां के डाकू लोग कर लेंगे। वहां इस कदर डकैती और कत्ल हैं कि वहां जन जीवन खत्म हो रहा है। अगर आप से हुकूमत नहीं हो सकती तो मिलटिरी के सुपुर्द कर दीजिये ताकि वहां के लोग जिन्दा रह सकें। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विलियम बैंटिक के जमाने में जब कि ज्यादा लोग लूटे व मारे जा रहे थे तो अंग्रेजी सरकार ने शान्ति—व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की। इतिहास इस बात का साक्षी है। लेकिन इस प्रान्त में शुरू से आखिर तक कत्ल और डकैतियां बढ़ती जा रही हैं लेकिन आप कितना सुधार कर चुके हैं, यह स्वयं सोच लीजिये। आप भ्रष्टाचार को, पक्षपात को, तरफदारी को नहीं रोक सकते। राष्ट्रीय संकट में जब कि चीन हमला कर रहा था आप लोगों ने अपोजीशन पार्टीज को कोसा लेकिन उस समय में भी मिनिस्टीरियल दल के अन्दर कुर्सियों की रक्षा के लिये किस कदर पार्टीबन्दी थी। हिन्दुस्तान की तवारीख में अगर विश्वास-घात जनता से किया तो सत्ताधारी दल ने किया। राष्ट्रीय संकट में भी कुर्सियों की रक्षा के लिये आप लड़ने से बाज नहीं आये।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शर्मा जी, जरा ऐसा बोलिये ताकि लिखने में दिक्कत न हो।

श्री लखपतराम शर्मा—

झांसी की कोतवाली की बात कर रहा हूं। झांसी की कोतवाली के बनाने में दो लाख रुपये का खर्चा हुआ। १९६० में वह बनी। उसकी दीवारें फट गयीं। यह सार्वजनिक निर्माण विभाग की खूबसूरती का नमूना है। १९६० से आज तक यह विभाग किसी भी इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सका, यह भी कागज पर मौजूद है। आपके सामने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्दर यह तय हुआ था कि वहां के जो केमिस्ट लोग हैं उनको बाहर अच्छी तनख्वाहें उन्हें मिलती हैं, इसलिये उनको सूबे के अन्दर रखा जा सके इसके लिये उन्हें अच्छी तनख्वाहें दी जायं। १९६१ में सदन के सामने भी रिपोर्ट आयी और सदन ने स्वीकार किया कि जो उनकी तनख्वाहें बढ़ायी गयी हैं उनको दिनांक १ सितम्बर, १९६१ से ही लागू कर दिया जाय। सदन सबसे सुप्रीम है। इससे अधिक अधिकार किसी मन्त्री को नहीं है। लेकिन १९६१ के बाद आज तक आप तय नहीं कर सके जब कि स्वतन्त्र भारत व पायनियर में सम्पादकीय लेख लिखे गये, आज तक सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। एक

चीज और रखूं। राष्ट्रीय संकट के समय में भी आपने बन्दूक के लाइसेंस दो-दो साल पुलिस और तहसील की रिपोर्ट में लगने के बाद भी जनता को नहीं मिले। गोरखपुर में एक फर्म है कारतूस विक्रेताओं की। उसके पास डेढ़ लाख कारतूस राइफल क्लब के नाम पर सेंट्रल से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इजाजत देकर मंगवाकर उसे दिये। उसमें एक लाख कारतूस राइफल क्लब के नाम पर परमिट के जरिये वितरित किये गये और ५० हजार उसके पास मिले। उसका लाइसेंस ससपेंड हो गया। गुप्तचर विभाग के जरिये जांच हो रही है व यह भी चर्चा सुनी गई कि नेपाल के जरिये चीन और पाकिस्तान में भी हिन्दुतान के कारतूस सप्लाई हुए। आपने उन लोगों का लाइसेन्स तो ससपेंड किया लेकिन जिन अधिकारियों ने हजारों की तादाद में कारतूसों का परमिट दिया था उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं। इस तरह से राइफल क्लब के आदमी को एक-एक हजार के कारतूस का परमिट देकर क्या इस प्रदेश के साथ न्याय किया गया? इस तरह से प्रदेश की सहायता नहीं हो सकती है। एक हजार कारतूस लेकर उन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। राष्ट्रीय संकट के समय हमारे प्रदेश के अन्दर इस प्रकार की घटना होना एक आश्चर्य की और दुख की बात है।

अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि आपको इस प्रदेश की हकूमत करने का कहां तक अधिकार है। मैं समझता हूं कि जिसने स्वयं देश के संविधान को बनाया। वह किसी तरह से उसकी अवहेलना नहीं कर सकता है। अगर संविधान में विश्वास करने वाले ही किसी तरह से कोई अपराध करते हैं तो जो संविधान के विरुद्ध हो तो यह बहुत दुख की बात सबके लिये और उसके लिये तो है ही। अगर वह अपने बनाये हुये संविधान को नहीं मानता है तो यह मैं समझता हूं कि देश के प्रति और उस संविधान के प्रति घोर अपराध है। २६-१-१९५० को आपने देश के अन्दर संविधान को लागू किया देश के आजाद होने के बाद। आपने धारा ४५ के अन्दर इस बात की घोषणा की कि देश के अन्दर १४ वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जायगी, इस बात का आपने अपने संविधान के अन्दर ऐलान किया है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने इसका पालन कहां तक किया है। ७ से १० वर्ष तक के बच्चों के लिये आप किसी तरह से शिक्षा का इन्तजाम कर पाये हैं लेकिन जो संविधान के अन्दर ऐलान किया है उसका कहां तक पालन किया है? इस सरकार ने ही अपने बनाये हुये संविधान को तोड़ा है। इसके साथ ही आप मास्टरों की हालत को भी देखिये कि उनकी आज क्या दशा है। बी० ए०, बी० टी० और एम० ए०, एल० टी० पास करने के बाद उसको कितनी तनख्वाह आप देते हैं यह आपके सामने है। जो आप थानेदार को देते हैं वह भी आपके सामने है।

हमारे संविधान के अन्दर धारा ४९ में इस बात की घोषणा की गई है कि जितने भी ऐतिहासिक स्थान हैं उनकी रक्षा आप करेंगे लेकिन झांसी की रानी के महल को देखिये कि उसकी क्या हालत है। आपने धारा ४९ के मुताबिक संविधान में इस बात की घोषणा की तो किस तरह से उसका पालन किया जा रहा है? झांसी की रानी के महल में घोड़े और जानवर आज अन्दर आराम से रह रहे हैं। संविधान की धारा ५० के अन्दर आपने इस बात का ऐलान किया है कि न्याय और कार्यकारिणी को अलग अलग किया जायगा लेकिन सरकार ने उस तरह से नहीं किया है। तो इस संविधान को तोड़ने वाले इधर के लोग हैं या उधर के लोग हैं यह मैं उधर के भाइयों से जानना चाहता हूं। आप इसलिये उसको अलग नहीं करना चाहते हैं कि अदालतों से आप फौजदारी के मुकदमों में अपने आदमियों को बचाना चाहते हैं। इसलिये उसको अलग नहीं करना चाहते हैं।

धारा ४७ में संविधान की यह साफ लिखा गया है कि शराब का इस्तेमाल सिर्फ बीमारी व दवाओं के लिये होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि संविधान की उस धारा का कहां तक इस्तेमाल किया गया है। सरकार ने शराब की सुविधा सारे प्रान्त को दे दी है कि जो चाहे जितना पिये। तो उस संविधान की धारा को तोड़ने वाले इधर के लोग हैं या उधर के लोग हैं, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। संविधान की धारा ४३ में यह लिखा है कि जितने मजदूर हैं उनको हम पेट भर रोटी देंगे ताकि वे देश के अन्दर जिन्दा रह सकें। यह उस धारा

[श्री लखपतराम शर्मा]

के अन्दर साफतौर पर कहा गया है लेकिन मैं जानता हूं झांसी एग्रीकल्चरल वर्कशाप के अन्दर मजदूरों को डेढ़ रुपया मजदूरी दी जाती है । इससे क्या उनका पेट भरता है ? तो बताइये कि इस संविधान को तोड़ने वाले आप हैं या इधर के लोग ?

जहां तक आमदनी का सवाल है वह भी आपके सामने रखना चाहता हूं । सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स का करोड़ों रुपया अभी तक बड़े बड़े व्यक्तियों पर बाकी है । यह बात इस सदन के सामने कई बार आ चुकी है लेकिन अगर इसको बारीकी से देखा जाय तो पता चलेगा कि इस देश और प्रदेश की हालत क्या है। हमारे देश में इन्कम टैक्स की वसूली का ३१-३-५५ को २ अरब ७ करोड़ रुपया बाकी था जो ५६ में आकर २ अरब ४३ करोड़ हो गया और ६० में २ अरब ५७ करोड़ बाकी था। इतनी बड़ी रकम को हमारी सरकार लोगों से वसूल नहीं कर सकी ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं मुमकिन है कि यह आपको कबूल हो--

"बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरए खूं न निकला" भुवनेश्वर सेशन हुआ और कांग्रेस की सब से बड़ी अथारिटी का एक फैसला हुआ कि इस मुल्क में समाजवाद की स्थापना जल्द से जल्द की जायगी । यह खयाल था और सही खयाल था कि वह सेशन हमारे लिये उम्मीदों का गहवारा होगा, लेकिन मुख्तलिफ सूबों के बजट पेश हो रहे हैं और हमारे सूबे का बजट भी आपके सामने है, इन सबको देख कर जो उम्मीद भुवनेश्वर सेशन से बनी थी उसके टुकड़े टुकड़े हो गये । हमने सोचा था कि नये बजट में कम से कम हाई स्कूल तक की शिक्षा फ्री करके पढ़ाई के मामले में गरीबों को बराबर की अपार्चुनिटी दी जायगी, लेकिन इस बजट में यह नहीं हुआ । हमने सोचा था कि डाक्टरों की कमी होने की वजह से इतना हमारी सरकार जरूर करेगी कि डाक्टरों के गश्ती दस्ते बनाये जायेंगे, वह गांव गांव जायेंगे, वहां मरीजों को देखेंगे और जिनको जरूरत होगी, उनको अस्पताल की सुविधा प्रदान की जायगी । लेकिन यह चीज हमने बजट में नहीं पायी । अध्यक्ष महोदय, एक बात हमने और सोची थी कि बजट में कम से कम यह एलान जरूर किया जायगा कि गवर्नमेंट कोई ऐसा कमीशन या कमेटी मुकर्रर करने वाली है कि जो मजदूर, काश्तकार, तिजारत करने वालों तथा सर्विस करने वालों की आमदनी में क्या तनास्सुब होना चाहिये उस पर सरकार को अपनी सिफारिशें दे और वह सिफारिश समाजवाद पर आधारित होनी चाहिये । इस तरह का कोई कदम सरकार ने इस बजट में नहीं उठाया । उपाध्यक्ष महोदय, हमारा एक खयाल और था कि १९६४ का बजट पेश करते वक्त हमारे सूबे में स्टेट ट्रेडिंग का एलान हो जायगा और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो जायगा । हमने बजट में यह कहीं नहीं पाया कि ट्रेड को स्टेट अपने ही हाथ में लेने वाली है जो बजट हमारे सामने पेश है वह इस बात को बतलाता है कि गवर्नमेंट किस तरफ चलना चाहती है और क्या क्या बातें उससे हासिल होनी हैं। एक शायर ने कहा है --

"राहते नक्श मुसाफिर का पता देते हैं,
कौन किस शान से गुजरा है बता देते हैं ।"

यह बजट बतलायेगा कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट किस शान से १९६४ में गुजरेगी और हमारे सूबे की तस्वीर अगले साल में क्या बनने वाली है । डिप्टी स्पीकर महोदय, अगर एक लफ्ज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में मैं यह बतलाने की कोशिश करूं कि मेरे खयाल के मुताबिक यह बजट किस का बजट है तो मैं बिला किसी खौफ के कह सकता हूं कि यह एक करप्ट मालदार आदमी का बजट है । अब उसकी खसूसियत क्या है । जो आदमी पहले से ही मोटा है, मालदार है, यह उन्हें और ज्यादा मालदार बनाता है । अस्पतालों में उन्हीं को खून की बोतलें भी मिल जाती हैं । जो कमजोर हैं, जिनकी आमदनी कम है, उनको दवा के नाम पर लाल और रंगीन पानी दिया जाता है । जब कि कुछ लोगों को खून दिया जाता है कुछ लोगों को रंगीन पानी दिया जाता है, यह बहुत सी खुसूसियतों में से एक खुसूसियत है । जो मालदार है वह १ के बजाय १०-१० बना सकता है और जो झोपड़ी वाला है उसको इतनी तौफीक नहीं है कि अपने छप्पर को उतार कर अपने मकान पर छत पाट ले । यह भी खुसूसियत है । जहां तक तालीम का ताल्लुक है हमारी स्टेट में अच्छी तालीम एक मालदार आदमी का बच्चा हासिल कर सकता है,, गरीब का नहीं । एक बात जरूर है कि सरकार ने छोटे कर्मचारियों की मुश्किलात को और परेशानियों को समझा है और उनको दूर करने की कोशिश की है । इस कदम के उठाने के लिये गवर्नमेंट मुबारकबाद. की मुस्तहक है । एक बात मुझे जरूर पसंद आयी, बावजूद इन तमाम कमियों के, कि कम से कम एक ही फील्ड में सही मुलाजमीन की तनख्वाहों के सिलसिले में एक कमेटी मुकर्रर करने का खयाल रखती है ताकि गवर्नमेंट नीची और ऊंची तनख्वाहों का जो डिफरेंस है उनमें ऐडजस्टमेंट हो सके। अगर मैं इस नजरिये को ठीक समझा हूं तब तो खुले दिल से मुबारकबाद देता हूं, वरना इतनी कमेटियां बनती हैं, रिपोर्ट होती हैं, उसपर मुझे कोई खुश होने की जरूरत नहीं है । इसमें एक बिजिनेस कमीशन का भी जिक्र किया है । जिसका मुंह जल जाता है गर्म दूध से वह मठा भी फूंक-फूंक कर पीता है । मुझे आशंका है कि गवर्नमेंट ने कभी ऐंटी करप्शन कमेटियां बनायी थीं जिस तरह से वह फेल हुई यही उनका भी न हो जाय । क्योंकि अभी तो वह बनी भी नहीं है, जो मफहूम हमने पहले दिन समझे अब वह वहां से हटे हुए हैं । हमारा जो खयाल था अब वह ताकतें उसके पास नहीं रहेंगी, कम रहेंगी । मुझे इसमें भी कामयाबी नजर नहीं आती है ।

एक अपील मैं अपनी गवर्नमेंट से करना चाहता हूं, वह यह है कि हमारी गवर्नमेंट को वह काम करना है जिससे जो हमारा डेमाक्रैटिक सिस्टम है उसकी बेहुरमती नहीं ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

सोशलिज्म कैसे आयेगा ?

श्री खूबसिंह--

सोशलिज्म डेमाक्रैसी से अलग चीज नहीं है, दोनों में कनफ्लिक्ट नहीं है । एक बात मैं अर्ज करूं कि गवर्नमेन्ट ने अब तक मालदार को इज्जत दी है और वोट गरीब से मांगे हैं । मालदार वोट नहीं देता है । हम नुमाइंदे गरीबों के हैं और इज्जत मालदारों को देते हैं । जब किसी के दरबार में एक मिल का मालिक और गरीबों का नुमाइंदा एक एम० एल० ए० जाता है तो एक्सेस मालदार को ही पहले होता है । उसी की ज्यादा इज्जत है बनिस्बत गरीबों के नुमाइंदे के । इज्जत उसको मिलनी चाहिये जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, चाहे मालदार हो या न हो । मेरी इल्तजा है कि एक काम कर दीजिये कि अमीर गरीब का इम्तियाज गवर्नमेन्ट वाले न करें तो भी बहुत बड़ी बात हो जायगी ।

मुझे कहने में संकोच नहीं है कि कन्ट्रोल को अमल में लाने वाली जो आपकी अथारिटी है, जिन लोगों के हाथ में वह काम है, वह गरीब लोगों और गांव वालों का हिस्सा खुद हजम कर रहे हैं, उनके पास तक जो पहुंचना चाहिये वह नहीं पहुंच पा रहा है । मैं चाहता हूं सरकार इस ओर ध्यान दे, वरना वह दिन बुरा होगा इस प्रदेश में जब गांव वालों और शहर वालों के दिमाग में यह बात पैदा हो जायगी कि वे एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखने लगे और लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाये । आज गांव वालों को न चीनी मिलती है, न सीमेंट मिलता है, न टीन मिलती है । यह तीनों चीजें उनको ब्लैक से मिलती हैं । लाल बत्ती हो

[खूबसिंह]

गयी है, इसलिये ये दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। आज लोगों की ४ मांगें हैं, ४ आवाजें हैं, अगर आपने उनको नहीं सुना है तो उनको फिर सुन लीजिये, उन पर आपको कुछ करना चाहिये, वरना प्रदेश का हित होने वाला नहीं है।

पहली मांग है कि प्रदेश के हर काश्तकार को रेहट का कुंआ मिले। इससे आपको बहुत बड़ी सी मुश्किलें हल हो जायेंगी। जहां इर्रीगेशन फैसिलिटीज नहीं पहुंच सकती वहां, इससे बहुत फायदा होगा। बड़ी-बड़ी स्कीमों की तरफ जाने में देर है, आज हम मरे जा रहे हैं। इस लिये आप इसे तुरन्त कीजिये।

दूसरी मांग यह है कि हर खान्दान को कम से कम एक घरेलू दस्तकारी दी जाय, नहीं देगें तो प्रदेश में यह उद्योग बिछड़ जायेगा और हमारे प्रदेश के लोगों की हालत अच्छी नहीं होगी।

तीसरी मांग यह है कि दौलत वालों से दौलत छीनी जाय और छीन कर गरीबों को दी जाय जिसके पास बड़ी-बड़ी मिलें हैं, बड़े-बड़े साधन हैं, उनको आप नेशनलाइज कीजिये और पब्लिक को दीजिये। यह मांग है, आप इसे माने या ना माने, यह आपकी खुशी है, हो सकता है दूसरे इस सरकार को छीन झपट कर ले जांय।

चौथी मांग यह है कि मंत्रिमंडल के जो मेरे दोस्त हैं, उनसे दस्तबस्ता माफी मांग कर, आज जो लोगों की आवाज है, उसको मैं कहना चाहता हूं, और जो बहुत दिनों से मिनिस्टरी में हैं और जो ऐसे हैं कि जिनको उनके घोड़े जिधर चाहते हैं उधर घुमा कर ले जाते हैं, जिनमें इतनी ताकत नहीं है कि वे जिन घोड़ों पर सवार हैं उन पर काबू पा सकें या अपनी मर्जी के अनुसार उन्हें हांक सकें, उनके हाथ से आप आफिस ले लीजिये और वह ऐसे व्यक्तियों को दीजिये जो अपनी मर्जी के अनुसार चला सकते हैं और उन पर काबू पा सकते हैं। पंजाब में, मध्य प्रदेश में और सेन्टर में भी इस चीज को पहचान लिया गया है और वे इस पर गौर कर रहे हैं। सेन्टर में तो कुछ कार्यवाही हो भी रही है। इन चन्द अलफाज के साथ में भाषण समाप्त करता हूं।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं चलाऊंगा, मुझे आज समय दे दें, कई बार खड़ा हुआ।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, आज समय मिल जायेगा आपको।

श्री अवैद्यनाथ (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मैंने ६४-६५ का बजट और माननीय वित्त मंत्री के भाषण को पढ़ा है। मुझे बड़ी निराशा हुई कि वित्त मंत्री नाना प्रकार की अपूर्णताओं से भरे हुये पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की उपेक्षा अपने भाषण मे की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति दूसरे भागों से बिलकुल भिन्न है। मैं वित्त मंत्री जी से आशा करता था कि उनके हृदय में पूर्वी जिलों के लिये विशेष सहानुभूति होगी लेकिन उन्होंने शायद पूर्वी जिलों का होने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ सहानुभूति रखना उचित नहीं समझा। उनका वित्त मंत्री होना हम लोगों के लिए कुछ मंहगा पड़ा है। जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो मेरे सामने वहां की विकट समस्यायें, जो लाखों जनता के जीवन से संबंधित हैं वे विकराल रूप में खड़ी हैं। एक बार नहीं, कई बार इस सदन में यह कहा गया कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक अवस्था क्यों नहीं उन्नत हो रही है। इसका एकमात्र कारण केवल बाढ़ एरिया होना है और बाढ़ की रोकथाम के लिये पूर्वी उत्तर प्रदेश के विधायकों ने बारबार यहां आवाज उठाई और आश्वासन भी दिया गया कि नैपाल बांध इस वर्ष बन जायगा, लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई कि वित्त मंत्री के भाषण में उस बांध की कोई चर्चा नहीं की गई।

मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, मुख्य रूप से वहां की समस्याओं के बारे में सरकार को बताना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र बाढ़-ग्रस्त है। वहां का दो-तिहाई हिस्सा हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है और आज उस क्षेत्र में न तो सड़कें हैं और न सिंचाई की व्यवस्था है। आप कल्पना कर सकते हैं कि खरीफ की फसल तो बाढ़ से समाप्त हो गई और रबी की फसल, जिस पर उनका जीवन निर्भर करता था, वह पाले से समाप्त हो गई। ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस क्षेत्र के लोगों का लगान तो माफ करें लेकिन साथ-साथ वहां के विद्यार्थियों की फीस भी माफ होनी चाहिये।

जब जब भी हमारे मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश में या गोरखपुर में गये हैं, उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, यहां की जलवायु खराब है, और यहां एक मेडिकल कालेज की आवश्यकता है। लेकिन मुझे दुख हुआ कि इस साल के बजट में भी गोरखपुर में मैडिकल कालेज की स्थापना की योजना नहीं यद्यपि दूसरे जिले में, मेरठ में मेडिकल कालेज दिया गया है। हमें ईर्षा नहीं है। हम चाहते हैं कि सारे उत्तर प्रदेश के जिलों में मेडिकल कालेज बनें लेकिन मैं गोरखपुर की बात इसलिये कहता हूं कि वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। किसी भी सरकारी कर्मचारी का या अधिकारी का जब वहां तबादला हो जाता है तो वह वहां जाना नहीं चाहता है। चूंकि वह समझते हैं कि वह कालापानी है। वहां पर नयी नयी प्रकार की बीमारियां हैं। वहां ९५ पर सेंट लोगों का पेट खराब रहता है। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि उससे उपर्युक्त स्थान मेडिकल कालेज के लिये कोई भी नहीं हो सकता है, लकिन दुर्भाग्य से कोई प्रभावशाली मंत्री उन जिलों का नहीं है। इसलिये अब तक वहां मेडिकल कालेज की स्थापना नहीं हो सकी है।

मैं कुछ गोरखपुर की यूनिवर्सिटी के बारे में मैं निवेदन कर दूं। सरकार ने बड़ी उदारता के साथ गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना की। लेकिन उसकी दुर्दशा आज सारे प्रान्त के सामने है। वहां प्राध्यापक पीटे जा रहे हैं और विद्यार्थियों में अनुशासन नहीं रह गया है। इस अवस्था की जांच के लिये एक कमीशन बैठाया जाय जो यह देखे कि इस अव्यवस्था के मूल में कौन शक्ति काम कर रही है। यह अव्यवस्था विद्यार्थियों में, प्राध्यापकों में और मैनेजमेंट में व्याप्त है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से एक बात की ओर आशा करता था। वह बनारस के रहने वाले हैं, संस्कृत के पंडित हैं और भारतीय संस्कृति के भी उपासक हैं। संस्कृत के लिये उनके हृदय में बहुत बड़ा स्थान भी है। यद्यपि संस्कृत के विद्यार्थियों को नौकरी में लेने की बात कही गई है लेकिन लिये बहुत कम जाते हैं। पूर्व मध्यमा के विद्यार्थी को हाई स्कूल की मान्यता दी गई है, उत्तर मध्यमा को इंटरमीडियेट तक की मान्यता देने की बात कही गई है और इसी तरह से शास्त्री को बी० ए० और आचार्य को एम० ए०, लेकिन कोई भी भाषा तभी जीवित रह सकती है जबकि उसमें जीविका के लिये आश्वासन हो। सैलेक्शन बोर्डों में संस्कृत के ज्ञाता न होने के कारण संस्कृत का विद्यार्थी, चाहे वह शास्त्री हो या आचार्य हो, इधर उधर ठोकरें खाता है और ३०, ४० रुपये माहवार पर देहातों में संस्कृत पाठशालाओं में वह जीवन बसर करता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि नौकरियों में भी उनके लिये सीट रिजर्व होनी चाहिये। सैलेक्शन बोर्डों में और पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एक संस्कृत का ज्ञाता अवश्य रहना चाहिये ताकि वह संस्कृत के छात्रों की योग्यता का मापदंड कर सके और वे सर्विस में लिये जा सकें। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने संस्कृत के ऊपर बड़ा उपकार किया है और इस प्रकार से संस्कृत जीवित रह सकेगी। श्रीमन्, मैंने इस सदन में अन्य बहुत सी बातों के साथ समाजवाद की भी बहुत सी बातें सुनी हैं। हर मर्ज की दवा समाजवाद को बताया गया है लेकिन मैं कहता कि जनता समाजवाद के लिये प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन वह भूख बरदाश्त नहीं कर सकती। यदि इस देश में कोई जन जागरण या आन्दोलन होगा तो वह इसलिये नहीं होगा कि आपने सड़कें नहीं बनायी हैं, इसलिये नहीं होगा कि आपने बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं खड़े किये हैं, इसलिये नहीं होगा कि आपने विकास का कार्य नहीं किया है बल्कि इसलिये होगा कि आप जनता को भोजन नहीं दे सके और इसलिये होगा कि आप अपने १७ वर्षों के शासन में इस बड़ी समस्या

[श्री अवैद्यनाथ]

का समाधान नहीं कर सके हैं । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि समाजवाद की बात छोड़कर, जो सबसे प्राइमरी मांग देश की जनता की है कि इस देश में कृषि उद्योग को बढ़ावें ताकि जनता की भूख मिट सके, उसे पहले पूरा कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अब समाप्त कीजिये ।

श्री जगदीशनारायण सिनहा (जिला सहारनपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उनके बजट भाषण के लिये बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस बजट में उन लोगों के लिये जो, अब तक माजूर थे कुछ उपाय किये गये हैं । जैसे वृद्धावस्था की पेंशन में उन्होंने बढ़ोत्तरी की है । जिनको सौ रुपये से कम पेंशन मिलती थी उसमें बढ़ोतरी की है । उन्होंने एक ऐसी समिति बनाने की घोषणा की है जो लोगों की तनख्वाहें बढ़ाने की बात पर विचार करेगी । किन्तु मुझे यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब कि अध्यापकों के लिये वृद्धि की ५ रुपये की बात कही गयी है, बेसिक जूनियर हाई स्कूलों के, और साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिये भी तब हायर सेकेन्डरी स्कूल्स और इंटरमीडियेट कालेजेज, जिनकी संख्या प्रदेश में १,६०० के करीब है और जिनमें से एक एक में करीब २५-२५ अध्यापक काम करते हैं, इतने लोगों को किसलिये छोड़ दिया गया ? आपको पता है कि २ वर्ष पहले इन हायर सेकेन्डरी स्कूल के अध्यापकों को ५ या १० रुपये माहवार कुल महंगाई भत्ता मिलता था उसे २० रुपये किया गया । वह २० रुपये दूसरे कर्मचारियों को जो भत्ता मिलता है उसके मुकाबले में न के बराबर है फिर भी इस समय उनके २० रुपये के भत्ते में ५ रुपये की भी वृद्धि नहीं की गयी, यह एक अचम्भे की बात है । मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं ।

एक बात यह कही गयी कि विज्ञान की शिक्षा के प्रसार के लिये काफी यत्न किया जा रहा है । श्रीमन्, आज हालत यह है कि सरकारी कालेजों और हायर सेकेन्डरी स्कूलों में भी कई कई महीनों तक कोई विज्ञान पढ़ानेवाला अध्यापक नहीं है । उसका कारण यह है कि जो बी० एस० सी० और एम० एस० सी० होते हैं उनको और क्षेत्रों में काफी अच्छी तनख्वाह मिलती है तो वे अध्यापन का कार्य कम वेतन पर करने को तैयार नहीं होते । इसका फल यह होता है कि पढ़ानेवाले मौजूद नहीं हैं । तो फिर आप किस तरह से विज्ञान की शिक्षा इन स्कूलों और कालेजों में दे पायेंगे । मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इस ओर भी ध्यान दें कि विज्ञान के अध्यापकों को अधिक वेतन दिया जाय ।

भाषण में कृषि के उत्पादन की भी चर्चा की गयी । लेकिन यह तब तक नहीं हो पायेगा जब तक कि फर्टिलाइजर्स के बांटने के तरीके पर उचित ध्यान नहीं दिया जायगा । उसके प्रयोग के काफी डिमोन्स्ट्रेशन तो किये जाते नहीं, बल्कि उसको लोगों पर लाद दिया जाता है जिसका नतीजा यह होता है कि वह दूसरे प्रदेशों को चला जाता है जहां उसकी ज्यादा मांग होती है और खेती में काम नहीं आता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रैक्टिकल डिमान्स्ट्रेशन किये जायं और टारगेट्स फिक्स हों ताकि कृषक लोग देख सकें कि उसका प्रयोग करने में निश्चित रूप से लाभ होता है ।

सहकारिता का भी बहुत ज्यादा संबंध कृषि के उत्पादन से है । कहा गया कि सहकारी बैंकों के द्वारा बहुत सा रुपया लोगों को दिया जा रहा है । लेकिन मेरा १२ साल का तजुर्बा यह बताता है कि अधिकतर रुपया कृषि के कार्यों में व्यय न हो कर दूसरे ही कामों में व्यय होता है और वापसी केवल ट्रान्सफर ऐन्ट्रीज के रूप में ही होती है और किसानों को सही लाभ नहीं मिल पाता । एक तो रुपया मिलने में देर होती है, किसान उसको अपने काम में नहीं ला पाता, फिर देने के कुछ ही दिनों बाद उसकी वापिसी की मांग भी होने लगती है । इसलिये वह धन खेती में जाने के बजाय दूसरे कामों में लगाया जाता है । किसान दिन पर दिन कर्ज से लदता

जा रहा है । मुझे भय है कि कुछ दिनों के बाद सहकारी कर्जे की वापसी की समस्या सरकार के सामने आयेगी ।

इस वर्ष अस्पतालों के लिये ९७ लाख रुपया अधिक रखा गया है । यह खुशी की बात है । लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये कि अस्पतालों की हालत क्या है । किसी भी छोटी डिस्पेंसरी अथवा बड़े अस्पताल में चले जाइये, आम तौर पर बाजार से दवा लाने के लिये वहां से पर्चे दे दिये जाते हैं । मैं समझता हूं कि उनपर खर्च होने वाले धन को ठीक प्रकार से काम में नहीं लाया जाता है, जैसा कि सरकार का उद्देश्य है । बहुत से अस्पताल इस दशा में है कि जिनको अस्पताल ही नहीं कहा जा सकता । रुड़की के अस्पताल में अगर कोई मरीज जाता है तो उसको अहसास ही नहीं होता कि वह इलाज के लिये वहां आया है बल्कि उल्टा ही असर उसके ऊपर पड़ता है ।

सड़कों के बारे में कहा गया कि ४०२ मील सड़क और बढ़ेंगी । निश्चित रूप से किसानों को भी उनसे सुविधा होगी लेकिन अधिकतर रुपया फरवरी और मार्च में खंडजा लगवाने में खर्च किया जाता है और धन का अपव्यय होता है । फलस्वरूप जहां आज कच्ची सड़कें नहीं है वहां सड़क बनाने की ओर ध्यान भी नहीं दिया जाता है । मेरे जिले की दो सड़कें ऐसी हैं जिनको अगर बना दिया जाय तो उस क्षेत्र के रहने वालों का भाग्य ही खुल जाय और वे अपने अपने उत्पादन को शहर तक ले जा सकेंगे। लेकिन न जाने क्यों उस परफ ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे लक्शर से लिढौरा सड़क व पीरान कलियर से बिहारीगढ़ सड़क को बनाने के लिये न जाने कितने प्रार्थना-पत्र दिये गये, इसके अलावा और भी सड़कें हैं जिनके लिये न जाने कितने प्रार्थना-पत्र दिये गये, लेकिन उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब इस प्रकार का हमारा उद्देश्य है कि हर सड़क बने तो जिन सड़कों की बहुत सख्त आवश्यकता है उनकी तरफ सरकार का ध्यान पहले जाना चाहिये।

यह भी बतलाया गया कि हरद्वार, ऋषिकेश व बरेली में बहुत बड़े-बड़े कारखाने खोले गये हैं। इससे निश्चित ही प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा उठेगा लेकिन इसके साथ ही मुझे यह भी अर्ज करना है कि जितने लघु उद्योग हैं उनकी तरफ सरकार का उतना ध्यान नहीं है जितना कि होना चाहिये। इसका कारण यह है कि उससे सम्बन्धित जो नीचे के कर्मचारी हैं वे उस तरफ उतना ध्यान नहीं देते। जो भी प्रार्थना-पत्र छोटे कारखाने लगाने के लिये दिये जाते हैं वे दो-दो वर्ष तक उद्योग कार्यालय या नगर के मुख्य कार्यालय का चक्कर लगाते हुये घूमते रहते हैं लेकिन उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं हो पाती, जब कि मेरा अपना जिला जो पंजाब से लगा हुआ है पंजाब में प्रार्थना-पत्र देने पर १५ दिन के अन्दर इंक्वायरी हो जाती है और दो महीने के अन्दर सारा काम समाप्त कर दिया जाता है। इसलिये यह भी जरूरी है कि कुटीर उद्योग धंधों को, जो मेशीनरी डील करती है, उसके साथ काफी सख्ती बरती जाय ताकि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकें।

विजिलेंस कमीशन की बात भी कही गयी, मैं उसका स्वागत करता हूं और सोचता हूं कि उससे निश्चित ही भला होगा। उसके दो हिस्से हैं और इसके साथ ही साथ उसमें यह भी है कि अपने आप उसमें कोई ऐक्शन लेने की बात नहीं है, मैं समझता हूं कि इससे उसके उद्देश्य में उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी की आशा की गयी है। दूसरी बात यह कि यह कमीशन तब तक ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकेगा जब तक कि वे लोग जिनके हाथ में उसको चलाना है या उसका कुछ लक्ष्य निर्धारित करने की बात है, अपने तरीके में कोई तब्दीली नहीं करेंगे । जिनके हाथ में सत्ता है उनके फैसले करने व और दूसरे उनके मामले भी लोगों के सामने बहुत प्रत्यक्ष रूप में रहे हैं और जिसका जनता के जीवन पर असर पड़ा है। जब तक उनके तरीके में तब्दीली नहीं होगी तब तक कमीशन को उतनी सफलता नहीं प्राप्त हो सकेगी ।

सिंचाई के सम्बन्ध में यह बतलाया गया कि उसके लिये १२१ लाख रुपया रखा गया है और ७,२८० नये ट्यूबवेल्स बनाने की बात भी है। मुझे इस सिलसिले में यह अर्ज करना है कि जिन कर्मचारियों के जरिये यह सब निर्धारित होता है उनको एक प्रकार का डाइरेक्शन होना

[श्री जगदीशनारायण सिनहा]

चाहिये कि ऐसा न हो, जैसा कि मैं अपनी तहसील की एक मिसाल आपको देता हूं कि एक गांव में व्यक्तिगत तौर से दो ट्यूबवेल्स लगे हैं जो चल रहे हैं, वहां पर सरकार ने अपने दो ट्यूबवेल्स और लगा दिये जब कि तहसील के न जाने कितने ऐसे भाग हैं जहा इनकी सख्त जरूरत ह। न जाने कितने प्रार्थना-पत्र इस प्रकार के आ चुके हैं कि उनके यहां ट्यूबवेल्स लगाये जायं परन्तु उनको इसका कोई उत्तर तक नहीं मिला है। आज खेती की तरक्की के लिये इस बात की जरूरत है कि सरकार काफी पानी दे ताकि किसान उसका पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें और अपने उत्पादन को बढ़ा सकें।

श्री दीपनारायणसिंह --

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्री श्री कमलापति त्रिपाठी जी का जो बजट भाषण है उसके पृष्ठ १८ की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसमें उन्होंने कहा है --"समाजवाद स्वयं साधन और साध्य दोनों ह जिसके फलस्वरूप देशवासियों की समृद्धि और कल्याण की आशा और कामना की जाती है। गांधी जी के नेतृत्व में संचालित इस देशकी राजनीतिक सदा इसी लक्ष्य की ओर उन्मुख रही है। अब मैं इसकी विवेचना करना चाहता हूं। जब से माननीय वित्त मन्त्री, श्री कमलापति त्रिपाठी और उनके साथी इस साढ़े सात करोड़ जनता के भाग्य का फैसला करने वाले बने हैं तब से यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा विभिन्न टैक्सों के रूप में लेते हुये यह डेफिसिट बजट समाजवादी लक्ष्य के नाम से पेश करते हुये अपने कारनामे दिखा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इस से हम समाजवादी लक्ष्य की ओर जाने वाले हैं? यह बात मैं माननीय कमलापति जी की कहने के बाद आपका ध्यान सन १९३३ में कहे पंडित जवाहर लाल नेहरू के शब्दों की तरफ ले जा ना चाहता हूं वह कहते थे कि "अगर भारत में आजादी आई और आजादी में खुशहाली न आई और समाजवाद नहीं आया तो मैं उसे आजादी की छाया भी नहीं कहूंगा। यह उनके शब्द हैं और आप साधन और साध्य दोनों समाजवाद को माने बैठे हैं यानी समाजवाद बदनाम हो जाय तो साध्य भी बदनाम हो जाय। वह चीज आप पैदा कर रहे हैं। हिटलर ने भी अपने यहां नेशनल सोशलिज्म का नारा दिया था और उसके अलावा न मालूम कितने प्रकार का सोशलिज्म हम ने पढ़ा था। अब यह लोकतन्त्र का समाजवाद धेबर जी की वाणी से निकला है। इस बिरला और सिंहानिया की सरकार के जमाने में यह बढ़ती हुई महंगाई हर ५ वर्ष के बाद दुगुनी उछाल मारती है। आप जरा आज के नेशनल हेरल्ड को देखें उस में जो कारटून है जिस में दिखाया है कि माननीय खाद्य मन्त्री जी बैठे हैं और किस तरह से यह महंगाई बढ़ रही है और उसको आप किसी तरह से भी कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। खाद्य मन्त्री जी ने कहा कि हम ट्रेड में गलत काम करने वालों को दफना देंगे लेकिन आप ने तो अपने को ही दफना दिया है। आपने बड़ा विजिलेंस कमेटी का तीर निकाला है लेकिन मैं कहूंगा कि न तो वह गांडीव है न वह वृहन्नला का तीर है बल्कि वह तो शिखंडी का तीर है।

मैं आपका ध्यान अपने राष्ट्रीय नेता श्री वल्लभभाई पटेल की कही इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि "It will be folly to ignore realities, facts take their revenge if they are not faced squarely and well." यानी यथार्थ को इगनौर करना उसकी अवहेलना करना बेवकूफी होगी और अगर उनकी अवहेलना की जाती है तो उसका फल बहुत बुरा भुगतना होता है। इसी तरह से अब विवेकानन्द का वाक्य सुन लीजिये वह तो लोह पुरुष के थे। यह विवेकानन्द के हैं कि जिनकी शताब्दि आपने मनायी थी। "There is too much talk, talk, talk. We are great, we are great, we are imbeciles; that is what we are....." बार बार आप कहते हैं कि हम बड़े हैं दुनिया में सबसे ऊंचे हैं हिमालय की चोटी से भी ऊंचे हैं, लेकिन असलियत यह है कि हम नीचे हैं, हम गुलाम हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंडित हिन्दू समाज के ऊपर हैं। किन्तु वह किसकी देन है, पुराने बुजुर्गों की। इसी तरह से दिनों

दिन सूखते जाने वाले कांग्रेस पेड़ की मुझ जैसी कटी हुई शाखाओं को जो अब भी हरी हैं, अपने में जोड़ नहीं पातीं।

पंडितों में आप (पंडित कमलापति जी) विद्वान् पंडित हैं। आज भी पंडितों को जनता पांये लागें कहती है। मैं तो डा० भीमराव अम्बेदकर चमार को भी उनकी योग्यता के कारण हमेशा चरण-स्पर्श कहता था और चौधरी चरणसिंह को भी उनकी ईमानदारी व योग्यता के कारण चरण स्पर्श कहता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि योग्यता को पुरस्कृत करना या तिरस्कृत करना समाजवाद का लक्ष्य है या नहीं इसे आपको सोचना है। सत्तारूढ़ दल के भ्रष्ट कृत्यों से समाजवाद बदनाम हो जायगा तब फासिज्म राष्ट्रीय समाजवाद के नाम पर निकल खड़ा होगा, जैसा कि जर्मनी में हुआ था। अभी हर गोविन्द सिंह जी ने, जो आपके मंत्रिमंडल में हैं, मुरादाबाद में जो भाषण दिया था वह मंत्रिमंडल में जो एकता होनी चाहिये उसके विरुद्ध था उनका उक्त भाषणांश अभी कुछ दिन हुये "भारत" नामक पत्र निदांक १२ फरवरी, ६४ को यह छपा है कि--"जमींदारी उन्मूलन के बाद गांव में नेतृत्व का अभाव हो गया है अर्थात् गांव में जनसेवा के आधार पर किसानों के लड़के प्रधान बनने लगे हैं, पुराने सामन्तों को हटा कर। लोगों का कहना है कि जमींदारी एबोलिशन से भी गांवों में नेतृत्व का स्थान खाली हो गया है। यदि मंत्रिमंडल में फिर वे राजा महाराजा ले आने का शायद ख्वाब देख रहे हैं, तो अगर पुराने सामन्तों को फिर से नेतृत्व में आप लाना चाहते हैं तो यह समाजवाद को बढ़ाना नहीं है, समाजवाद को नष्ट करना है। श्रीमती इंदिरा जी की जगह महरानी गायत्री देवी को बुलाने की व्यवस्था करना है। प्रजातन्त्र की जगह समान्तवाद को बल देना है।

आज किसके पास रुपया है उसी का गुट मजबूत है उसी की पार्टी मजबूत है और उसी के सब काम भी होते हैं। आज तो वास्तव में लक्ष्मी नारायण के हाथ में सत्ता है विषपान करने वाले समाजवादी शंकर के हाथ में नहीं है। बोलें कुछ, और करें कुछ। अगर समाजवाद यही है कि आप यह कहें कि हम से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है, हमसे बढ़ कर देश भक्त कोई नहीं है, तो मेरे विचार में शायद आप भूल कर रहे हैं। आप असलियत से मुकाबला करें तो आपको मालूम हो जायगा कि आप जो कहते हैं वह कहां तक सत्य है।

चूंकि भ्रष्टाचार आपके काबू से बाहर है तभी तो आप विजिलेंस कमीशन की बात सोच रहे हैं। कांग्रेस से हटना यदि किसी का हुआ है तो वह पुराने राष्ट्रीय आन्दोलन में पुराने जेल यात्री लोगों का जैसे मैं और भगवान सहाय। वह समय भी दूर नहीं है जब माननीय वित्त मंत्री जी को भी हटाने में श्री बंशीधर पांडेय सफल हो जायं। जो विजिलेंन्स कमीशन है वह भ्रष्टाचार की चरम सीमा में पैदा हुआ है जैसे हैजा व प्लेग वहीं पैदा होता है जहां गन्दगी होती है। अब प्रश्न यह है कि आपकी जो स्कीमें हैं कागज पर बहुत अच्छी हैं लेकिन उनको कार्यान्वित करने के लिये जो मशीनरी है वह कैसी है? आप जानते हैं कि लार्ड कर्जन ने बंग भंग किया था। उसने कहा था कि प्रशासन तथा शोषण में एक दूसरे से बड़ा सम्बंध है। फिर जब आपका प्रशासन भ्रष्ट है जो आप अच्छी स्कीम्स भी कहां ले जायेंगे? मेरे जिले में गल्ले की दूकान जिला परिषद् के अध्यक्ष के लड़के को मिली। क्योंकि हरी शंकर जी तिवारी नायब तहसीलदार से कलेक्टर हो गये हैं। जाहिर है कि अपने निजी स्वार्थ के लिये भ्रष्टाचार के सामने उनको सरंडर करना पड़ा है। वहां रक्षा समिति बनाई गयीं उसके सदस्य कौन हैं? उसके सदस्य हैं ठाकुर जगन्नाथ जी, एम० एल० ए० जो अंग्रेजी राज्य में कांग्रेसियों को जेल भिजवाते थे और दूसरे हैं जनसंघ के नेता रक्षपाल सिंह। इसी से आप समझ लीजिये कि आप समाजवाद की तरफ जायेंगे? इंदिरा जी जनता के वोटों से, किसान व मजदूर के वोटों से आगे बढ़ी हैं न कि राजा महराजा के वोटों से। उनको चाहिये कि राजा महाराजाओं की ओर न बढ़ कर उसी किसान मजदूर की ओर बढ़ें जिन्होंने उनको इस गद्दी पर आज बैठाया है। आप देखें कि हरगोविन्द सिंह जी एलिमिनेट नहीं हुये। एलिनिमेट हुये फूल सिंह और चरण सिंह जी एलिमिनेट होते होते बच गये। जो आनेस्ट है वह एलिमिनेट किया जाता है और जो बैड है, डिसआनेस्ट है उसे एलिमिनेट नहीं किया जाता है। यह सब चीजें सरकार को देखना चाहिये। मैं हिज मैजिस्टी

[श्री दीपनारायणसिंह]

वायस अथवा हर मैजेस्टी वायस नहीं हूं, मैं अपनी वायस हूं, जनता की वायस हूं चाहे इससे डाक्टर अहमद नाराज हों या कोई और नाराज हों। हमारे सामने तथ्य है। हम किसानों के लड़के हैं। जिन्दगी भर आजादी की लड़ाई लड़े हैं। वित्त मन्त्री जी क्या कभी आजादी की लड़ाई लड़ते वक्त यह सोच पाते थे कि उनकी जिन्दगी में स्वाराज्य आयेगा? आज गांव में श्रम बेकार है। पढ़े लिखे आदमी का श्रम बेकार है। उस श्रम को आप हारनेस करें तभी सम्पत्ति बढ़ेगी। आपके यहां वित्त मन्त्रीजी लक्ष्मी नारायण हैं, लक्ष्मी के अवतार पूंजीपति होते हैं, वही सब आपकी पार्टी में हैं। शंकर जी ने विष पान किया। उनके भक्त राक्षस हैं और लक्ष्मीनारायण के भक्त देवता हैं। बीच में मनुष्य दब कर मर सा गया है। बीच वाला तो कहीं का नहीं रहा। लिहाजा मेरा कहना है यही है कि आपने आजादी की लड़ाई लड़ी तो किसान व मजदूर ने ही आपका साथ दिया, पूंजीपति या सामन्त ने नहीं दिया था। किसान और मजदूर ही कांग्रेस की मुसीबत में वफादार रहे, उन्होंने ही अंग्रेजों से लड़ने में आपका साथ दिया, फौज में लड़के भेजने में और पैदावार बढ़ाने में आपका साथ दिया। क्या समाजवाद का अर्थ पूंजीवाद और लक्ष्मी नारायण का अनुसरण भी है? राजसता एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण करने के लिये होती है। अगर आज आप मजदूर किसानों के हैं, हमारे हैं तो हम आपके लिये मर मिटेंगे, मगर यदि पूंजीपतियों के जितने दलाल हैं तो वे तुमसे उतने ही दूर भी हैं। ४२० को या तो ८४० से हटाइये या ईमानदारी से हटाइये और यदि ८४० से हटाइये तो वह भी १६८० से हटने को तैयार रहे। इस लाइट में अगर आपने भ्रष्टाचारी को हम जैसों ने ऊपर लादा तो फर्स्ट डिवीजन आई० ए० एस० भी थर्ड डिवीजन नायब तहसीलदार के नीचे रह कर कराहता ही रहेगा। जब इतना मुझ में स्वाभिमान है कि मैं भी किसी नालायक के नीचे नहीं रहूंगा तो अच्छे अफसर के भी स्वाभिमान है। श्रम ऊपर है, कैपिटल (पूंजी) नीचे है, क्योंकि पूंजी को पैदा किया श्रम ने और आप कहते हैं कि पूंजी ने श्रम को पैदा किया।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिये।

माननीय शिवसम्पत्ति शर्मा।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)--

अगर उस लिस्ट में मेरा भी नाम हो तो बताइये नहीं तो मैं जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह नहीं बताया जायगा। आप सब से बैठेंगे तो आपको भी मौका मिलेगा।

श्री सोहनलाल धुसिया--

मेरी आपसे नम्र प्रार्थना है कि अगर मेरा नाम उस लिस्ट में है तो बता दीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

यह तो धमकी है, श्रीमन्। कहते हैं कि बताइये, नहीं तो बाहर जा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

कई बार उठने के बाद ऐसा हो जाता है।

*श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कमलापति त्रिपाठी द्वारा जो बजट पेश हुआ है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज की परिस्थिति में जितने अच्छे ढंग से बजट पेश किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा सकता था वह हमारे माननीय त्रिपाठी जी ने सरकार की तरफ से पेश किया है, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। एक सवाल बार-बार आता है कि यह सोशलिस्ट बजट नहीं है। तो कई बार हमारे वक्ताओं ने खुद भी माना है कि सोशलिज्म ऐसा नहीं है कि थोड़े दिनों में ही आ जाय। वह धीरे-धीरे आयेगा और हमारे कर्तव्यों से आयेगा। जब तक हम उसके अनुसार आचरण नहीं करेंगे तब तक समाजवाद नहीं आ सकता। बजटों से समाजवाद को नहीं लाया जा सकता। इतना जरूर है कि जो आज की हमारी कार्य पद्धति है उसमें थोड़ा सा दोष है जिसे हमको दूर करना पड़ेगा। उन चन्द बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आज कल खेती की उपज बढ़ाने के बारे में बार-बार चर्चा आती है और वही एक हल भी है जिससे गल्ले की समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। कोई दूसरा और उपाय नहीं है। अमरीका और दूसरे देशों से चाहे कितना ही गल्ला हम मंगा लें, मुल्क की समस्या हल नहीं की जा सकती। इसके लिये मैं आपके सामने बुन्देलखंड का नाम पेश करता हूं। आप जानते हैं कि वह कितना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कितनी जमीन वहां बेकार पड़ी हुई है और वहां की पैदावार कितनी कम है। ये सारी बातें होते हुये भी वहां गल्ले की उपज नहीं बढ़ी है और उसका कारण यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो माइनर प्रोपोज किये गये थे, तीन साल हो गये आज तक वे स्वीकृत नहीं किये जा सके। जब माइनर्स का प्रपोजल तृतीय योजना में पड़ा हुआ है तो ऐसी सूरत में गल्ले का उत्पादन बढ़ेगा, यह उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसी तरह से बुन्देलखंड में जो परती जमीन पड़ी हुई है उसको उपजाऊ बनाने के लिये कोई उपाय नहीं ढूंढ़ा गया, कोई इन्तजाम नहीं किया गया। इसके लिये आवश्यकता है कि हमारी सिंचाई और कृषि की मशीनरी में तेजी लाई जाय। आज लाल फीतेशाही को रोका जाय। यहां पर बड़े-बड़े इंजीनियर्स बैठे हुये हैं, उनको कड़ा किया जाय और हर एक स्कीम के लिये समय मुकर्रर कर दिया जाय कि इतने दिनों में वह पूरी हो जानी चाहिये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि तीन साल हो गये लेकिन आज तक माइनर्स का काम शुरू नहीं किया गया है।

आज हर एक आदमी चाहता है कि गांवों में लघु उद्योग खोले जायं। हमारे यहां डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज और उनका स्टाफ बहुत बड़े पैमाने पर पड़ा हुआ है, लेकिन जो रुपया दिया जाता है उसका ठीक से उपयोग नहीं किया जाता है। रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन समय पर नहीं किया जाता है। शहर वालों को रुपया मिल जाता है और गांवों तक रुपया नहीं पहुंच पाता। अगर कोई भूला भटका आदमी कभी कोई प्रार्थना-पत्र दे भी देता है तो इतनी फारमैलिटीज करनी पड़ती हैं कि उसको रुपया नहीं मिल पाता है। आपने फाइनेंस कारपोरेशन, इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन और लोन डिपार्टमेंट वगैरह कायम किये, लेकिन कितने परसेंट लोगों को रुपया मिल पाता है। आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शहरों तक ही सीमित होकर रह गया है। इसका कारण यह है कि डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज की मशीनरी निकम्मी हो गई है। पंजाब में अगर कोई इन्डस्ट्रीज में दिक्कत पड़ती है तो वहां के डाइरेक्टर उसका हल निकालते हैं, रास्ता बताते हैं, लेकिन हमारे यहां अड़ंगा लगाते हैं और इस कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह से रुपया न मिले। इस का नतीजा यह है कि साधारण आदमी उद्योग करने की हिम्मत नहीं कर पाता।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां बुंदेलखंड में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। वहां पर गांवों का गल्ला शहर में नहीं पहुंच पाता है और बहुत से गांव नालों वगैरह से घिरे हुये हैं जिससे गल्ला बाजार में नहीं पहुंच पाता है। बैलगाड़ी से गल्ला नहीं के बराबर पहुंच पाता है। हमारे यहां की स्थिति यह है कि रोज एक डकैती पड़ती है और एक बच्चा उठा लिया जाता है। इसका कारण यह है कि यहां पर सड़कों का इन्तजाम बिलकुल नहीं हुआ है। आज पूरब पश्चिम का सवाल उठाया जाता है लेकिन बुन्देलखंड के इलाके को कोई नहीं पूछता है। आज बुन्देलखंड सबसे पीछे है। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

तीसरी बात मैं पुलिस के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे यहां डकैती और बच्चों के उठाने की रोज की घटना हो गई है। हर रोज वहां पर छोटे-छोटे आदमी गिरोह बनाकर डकैती डालते हैं। आये दिन डाका पड़ता है, लेकिन पुलिस इतनी ढीली हो गयी है कि वह कुछ

[श्री शिवसम्पति शर्मा]

परवाह नहीं करती। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि माननीय चतुर्भुज शर्मा के ऊपर हमला करने का इन्तजाम हुआ। हम लोग खुद उस हमले से बचे। पुलिस पहुंची, थानेदार को भेजा गया, लेकिन मुझे सुन कर ताज्जुब हुआ कि पुलिस इन्स्पेक्टर ने उस केस की इन्ट्री भी नहीं की। जिन राजनीतिक लोगों का उसमें हाथ है वह सरे आम, बाजार में घूमते हैं, और गालियां देते हैं। यह पुलिस का निकम्मापन जन-जीवन की रक्षा नहीं कर सकता।

आज पोजीशन यह है कि गवर्नमेंट के जो बड़े-बड़े अफसर बैठे हुये हैं उनकी हालत यह है कि मिनिस्ट्री के झगड़े में लाभ उठाते हैं। मैं रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने जालौन जिले में, हमीरपुर जिले में जिस तरह से काम किया है वह एक नमूना है मिनिस्ट्री की पार्टीबन्दी से फायदा उठाने का। जो कोआपरेटिव अफसर वहां गबन के केसेज में इन्क्वायरी कर रहा था, आपको सुन कर यह ताज्जुब होगा, उसका टेलीफोन पर आर्डर करके ट्रान्सफर कर दिया गया और बेईमानों को और बेईमानी करने का मौका दिया गया। यह हालत है जो गवर्नमेंट को बदनाम करने वाली है। इस पर हमको ध्यान देना चाहिये।

तीसरी बात यह है अगर बुन्देलखंड की कृषि की उन्नति करनी है तो पानी की समस्या को हल करना होगा, नहर और ट्यूबवेल का प्रबन्ध करना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट पर बहस होते हुये तीसरा रोज है। इस विषय पर बहुत कुछ कहा गया है। हमारे आदरणीय वित्त मन्त्री जी एक ऐसे नेता हैं जिनको सदन का हर सदस्य बहुत इज्जत की नजर से देखता है, इसमें कोई शक नहीं। आज भी जो उनका प्रस्तुत किया हुआ बजट इस सदन में पेश है और उस सिलसिले में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं इतना आपसे जरूर पूछना चाहता हूं कि क्या यह बजट प्रदेश के इस महान उदासीनता और निराशा के वातावरण को दूर करने में सफल होगा? क्या यह बजट ऐसा बजट है जिसको एक समाजवादी बजट कहा जाय? मुझे खुशी है कि माननीय वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में इस बात का जरूर ऐतराफ कर लिया कि जब इस बजट पर टीका की जायगी तो इसको समाजवादी बजट नहीं कहा जायगा। यह उन्होंने एक तरह का ऐतराफ किया और सही किया। आज जो प्रदेश की हालत है वह किसी से पोशीदा नहीं है। उसके बारे में भी उन्होंने यह कहा कि इस प्रदेश का पिछड़ापन मिसाली हो गया है। आज किस तरीके से करोड़ों लोग फाका कर रहे हैं, फाका करके भी जिन्दा हैं, किस तरह से आज करोड़ों आदमियों के पास कपड़े नहीं हैं फटे पुराने कपड़ों के अन्दर अपनी सख्त जाड़े की रातें गुजार देते हैं। वह ऐसी जिन्दगी गुजार रहे हैं जो तरक्की-याफ्ता देश में इंसान की जिन्दगी नहीं कही जा सकती। सिर्फ पशु ही ऐसी जिन्दगी गुजार सकता है। आज एक तरफ गुरबत है और दूसरी तरफ हमारी जनसंख्या प्रदेश के अन्दर जिस तेजी से बढ़ रही है वह अपनी जगह पर सही है जिससे तरह तरह की समस्यायें पैदा हो रही हैं। इसके साथ ही इस प्रदेश की जो हालत है, इसका जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिये क्या कोई यत्न किया जा रहा है? मैं समझता हूं उसको दूर करने के लिये, उसको सुधारने के लिये कोई यत्न नहीं किया जा रहा है। आज यह प्रदेश सारे भारत-वर्ष में सबसे बड़ा और सबसे विशाल प्रदेश है। सदियों से तहजीब और तमद्दुन का यह मरकज रहा है, संस्कृति का केंद्र रहा है। जब कि इस प्रदेश पर सारे भारतवर्ष की निगाह रही है और आज इसमें सबसे ज्यादा गरीबी है। आज इस प्रदेश की सबसे ज्यादा समस्यायें हैं। आज इसमें जो तालीम की हालत है वह बहुत ही अबतर है। आज इस प्रदेश के अन्दर माली हालत लोगों की अबतर है। आज इस प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज इस प्रदेश में महंगाई जिस तेजी से तरक्की कर रही है वह मेरे खयाल में अपनी पूरी इन्तहाई पर पहुंच चुकी है। आज जिस तरह से इस प्रदेश में जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं वह अपनी

हद पर हैं। ऐसी स्थिति में जब कि हमारी सीमा पर चीन का संकट है तो हमारे घर में आर्थिक और सामाजिक संकट है। ऐसी हालत में हमारा यह जो बजट रखा गया है इसके अन्दर ११ करोड़ ५९ लाख का घाटा दिखाया गया है। आशा की जाती है कि नये-नये टैक्स और लगेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि जो नये टैक्स होंगे वह किस प्रकार लगाये जायेंगे, किस चीज पर लगायेंगे और किन लोगों पर लगाये जायेंगे। टैक्सों की सीमा पार हो चुकी है और अब कोई गुंजायश बाकी नहीं रह गई है कि टैक्स लगाये जायं। एक तरफ तो करोड़ों रुपया वे लोग दबाये हुये हैं जो पूंजीपति हैं। वे लोग करोड़ों रुपया दबाये बैठे हैं। कहा गया कि उसको वसूल करने के लिये कोशिश की जायगी, लेकिन उम्मीद नहीं है कि वह रुपया वसूल हो सकेगा। यह बात हर दफा कही जाती है कि वसूल किया जायगा, लेकिन उनका वसूल होना सरकार से नामुमकिन है।

इसी प्रकार से जो हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह भी निकम्मा हो चुका है। जनता की नजरों में गिर गया है और डिमोरेलाइज्ड हो गया है। उसके अन्दर कहीं भी यह नजर नहीं आता कि हमारी सरकार का काम ठीक ढंग से चल रहा है। जितने हमारे अधिकारी हैं वह इतने निकम्मे हो चुके या गिर गये हैं कि जिनको हर एक आदमी महसूस करता है। उनको निकम्मा बनाना और उनको डिमोरेलाइज्ड करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्या यह बात सरकार बता सकती है? मैं तो इतना कह सकता हूं कि हमारी सरकार ही इसकी जिम्मेदार है। आज जिस तरीके से उनके काम में मदाखलत की जाती है, आज जिस तरीके से उनकी खुशामद से खुश होकर उनको तरक्की दी जाती है, आज जिस तरीके से उनकी हर बात को इस बात से जांचा जाता है कि कौन कितनी खुशामद करता है उसका नतीजा इस कदर हो गया है कि उनमें काम करने का सलीका खत्म हो गया है। मैं यह समझता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं नहीं है। आज जो हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन की हालत है, आप किसी भी विभाग में जाकर देख लीजिए आपको यही सूरत नजर आयेगी। हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन कितना गिर गया है इसका आप खुद अन्दाजा कर सकते हैं। हम किस तरह से यह उम्मीद करें कि हमारा राज काज सही तरीके से चलेगा। हरगिज नहीं चल सकता है।

यह तो ऐडमिनिस्ट्रेशन की हालत है। इसके साथ-साथ आज अगर आप गौर करें तो कृषि की क्या हालत है इसका भी आपको पता लग जायगा। आज जो संकट है वह घर में भी है और बाहर भी। और इस संकट में कृषि उत्पादन बढ़ाना सबसे जरूरी चीज है, लेकिन १६ साल आजादी को हो गये, तरह तरह की योजनायें बनीं, प्रयत्न किये गये, लेकिन उत्पादन बढ़ा नहीं। कहा जाता है कि कुदरती हालात ऐसे थे। कभी बाढ़ आ गयी, कभी ओला पड़ गया, कभी पाला पड़ गया। बात सही है, मैं मानता हूं, लेकिन हमारा कृषि उत्पादन इन तमाम चीजों के बावजूद भी बढ़ना चाहिये था, लेकिन वह नहीं बढ़ा। आज देश और प्रदेश के सामने एक बड़ा संकट है और वह तभी दूर हो सकता है कि जब हमारा कृषि उत्पादन बढ़े। आज देखें कि किसान की हालत कितनी गिरी हुई है। उसकी बहबूदी के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है वह मुनासिब नहीं है, बहुत कम है। कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में आज कितने ऐसे हैं कि जो फील्ड वर्क करते हैं? मैं जानता हूं कि आपने कुछ सहायक विकास अधिकारी ब्लाक्स के अन्दर रख छोड़े हैं, लेकिन वह भी निकम्मे हैं। किसान ने जो कुछ किया या सीखा है वह अपने इनीशियेटिव पर ही सीखा है जिसके लिये उसकी जरूरत ने उसे मजबूर किया है। आप देखिए कि मेरे क्षेत्र में ही गन्ने के खेत के खेत बिना किसी वजह के बारिश के बाद सूख गये। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ, कई जगह तो उनका सारा प्रोग्राम ही चौपट हो गया, लेकिन कृषि विभाग का कोई अधिकारी यह मालूम करने के लिये वहां गया कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों गन्ने अपने आप सूख गये? कोई नहीं गया। इसलिये आज किसान कृषि विभाग की ओर विश्वास की नजर से नहीं देखता। उनमें उसको विश्वास नहीं है और वह इसीलिये उनकी बात भी नहीं मानता। हकीकत यह है कि वह विश्वास के लायक है भी नहीं। उन्हें पूरी तरह कृषि की मालमात ही नहीं है, वह किसानों को क्या बतलायेंगे।

[श्री मुमताज महम्मद खां]

सिंचाई के जो साधन हैं उनके लिये कहा जाता है कि पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन जो सिंचाई के प्राप्त साधन हैं उनकी आज हालत क्या है ? अगर कहीं ट्यूब वेल्स हैं तो वह सही प्रकार काम नहीं करते । अगर सरकारी ट्यूब वेल खराब हो जाता है तो मुद्दतों तक वह ठीक नहीं होता । उसमें भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, निकम्मापन है । इसी तरह से नहरों का पानी किसान को उसकी जरूरत के वक्त नहीं मिलता । जब उसे जरूरत नहीं होती, नहर में पानी उस वक्त दिया जाता है । जब यह स्थिति है तो कृषि उत्पादन कैसे बढ़ेगा ?

इसके साथ-साथ पुलिस की जो हालत है वह भी आपकी नजर में है । आप उससे वाकिफ हैं । पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से अपराधियों को रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाता है और बेगुनाहों पर मुकदमे चलाये जाते हैं यह सब को पता है । वह आज लोगों की रक्षा नहीं कर सक रही है । इसके साथ-साथ मैं आपसे यह जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि करप्शन हर मोहकमें में फैला हुआ है । वह दफ्तरों में, कचहरियों में, फैला हुआ है । किसी भी विभाग के अधिकारी के पास जाइये वहां करप्शन आप पायेंगे । आप कहेंगे कि विजिलेंस कमीशन बनाया जा रहा है तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि वह बिलकुल निकम्मा साबित होगा, ना अहल साबित होगा जिस ढंग से उसको बनाया जा रहा है । मैंने एक सवाल किया था कि एंटी-करप्शन कमेटीज को क्यों नहीं अधिकार दिया जाता कि करप्शन की जिले के स्तर पर जांच कर सकें तो इसका जवाब बड़ा गोल-माल दिया गया । कहा गया कि उन्हें अधिकार इस वजह से नहीं दे सकते क्योंकि वह तो एक ऐडवाइजरी समितियां हैं, हो सकता है कि कुछ कांफिडेंशियल पेपर्स भी कभी उनको देने पड़ें । लेकिन जो उसके सदस्य हैं उनकी जिले में एक मान्यता होती है । (लाल बत्ती होने पर) कम से कम ५ मिनट और दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, एक मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

तो विजिलेंस कमीशन स्थापित करने के पहले जो जिले में ऐंटी-करप्शन कमेटी हैं उनको भी मजबूत बनाना चाहिए, अधिकार देने चाहिये ।

इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि मेरे क्षेत्र में सड़कों की कमी है । वहां सिथाना-बुगरासी सड़क का पुख्तह बनाया जाना इन्तहाई आवश्यक है, लेकिन आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)---

उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट के ऊपर बहस का तीसरा दिन है और मेरा ऐसा अनुभव है कि इस साल का बजट डिबेट और सालों के मुकाबले में किन्हीं कारणों से कुछ फीका रहा है । ज्यादा सर्दी का पड़ना, पाले से नुकसान, बढ़ते हुए दाम, खाद्य समस्या का विकट होना--- ये सभी ऐसी बातें हैं जिनका सभी सदस्यों के ऊपर असर पड़ा है । बजट पर कई दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किये गये हैं । कुछ क्षेत्रीय और कुछ जिले के ढंग से और कुछ व्यावहारिक ढंग से । नेता विरोधीदल ने जो केस पेश किया है वह इस तरीके से है कि निरंतर १४-१५ साल के उपरांत हमारा प्रदेश पिछड़ा रहा है । वह खाद्य में पिछड़ा है, शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, आमदनी में पिछड़ा हुआ है, इसलिए कहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया है कि इसका मुख्य कारण हमारी नीतियां हैं। मैं बड़े अदब से कहूंगा कि इस दलील में परस्पर दो विरोधी बातें कही गयी हैं। एक तरफ उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा है, लेकिन और प्रदेशों के मुकाबले में। यानी दूसरे प्रदेश तरक्की कर रहे हैं और यह पिछड़ रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसका कारण नीतियां नहीं हो सकतीं, क्योंकि यह सरकार किसी एक प्रदेश से ही संबंध नहीं रखती है। यह ऐसी पार्टी की सरकार है जिसकी नीतियां सारे देश में एक मौलिक तरीके से एक सी हैं। इसलिए अगर यहां पर कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिससे हमारी उतनी तरक्की नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी तो संजीदगी से गौर करने की वजह जरूर है। मेरा अपना खयाल है कि जहां तक नीतियां के इंप्लीमेंटेशन का सवाल है, नीतियों में कोई कमी है ऐसा मैं नहीं मानता, बल्कि उनको चालू करने के लिए जिस किस्म के दिमाग, प्रशासन और तहैया चाहिए उसमें कमी जरूर हो सकती है। यह कहना कि कुछ नहीं हुआ है, यह वस्तुस्थिति से आंख बन्द कर लेना है। मैं, अध्यक्ष महोदय, दो चार चीजों पर रोशनी डालना चाहता हूं। देखना यह है कि आखिर किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा अपनी नीतियों का इंप्लीमेंटेशन करें। मेरा विश्वास है और मेरा खयाल है कि हम अब उस मंजिल पर पहुंच गये हैं कि हमको उन व्यवस्थाओं में, जिनके जरिये हम काम कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन करना होगा। जिस तरह से कुछ काम करने के लिये कुछ औजारों की जरूरत होती है और उन औजारों से काम लेने के बाद एक समय ऐसा आता है जब कि उसमें धार रखने की जरूरत होती है, उनको पैना करना होता है, इसी तरह जो औजार हमें काम करने के लिये मिले हैं, अब हम उस जगह पहुंच गये हैं कि उनमें अब एक नयी जान डालने की जरूरत है, एक नयी व्यवस्था पैदा करने की जरूरत है ताकि हम उनसे ज्यादा काम ले सकें।

नौकरशाही की बड़ी चर्चा हुई। आज हमें देखना यह है कि हमारे यहां काम करने की जो मशीनरी है उसको हमने ठीक ढंग से लगा रखा है या नहीं, हमने उससे ठीक ढंग से काम लेने की व्यवस्था पैदा की है या नहीं? मैं समझता हूं कि इस तरफ हमारी तरफ से कुछ ढील रही है। उसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हमारे पोलिटिकल स्ट्रक्चर की है। यह बात जब मैं कहता हूं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन से काम लेने के लिये पहली चीज यह है कि हमारे विभागों का जो संगठन हो उसमें एक दूसरे का आपस में सजीव संबंध हो। आज यह ताज्जुब की बात है कि १४–१५ साल के अनुभव के बाद भी, विभागों का रेशनल एलोकेशन कैसे हो, यह करने में हम असफल हुये हैं। मिसाल के तौर पर आज एग्रीकल्चर विभाग का इर्रीगेशन विभाग से कोई संबंध नहीं है। गन्ना विभाग ४ जगह बटा हुआ है। आज इन विभागों का एक दूसरे से अच्छा संबंध न होने के कारण, पोलिटिकल बेसिस पर चूंकि उनका एलोकेशन होता है, राजनीतिक बेसिस पर उनका विभागीकरण होता है, आज बहुत से नुकसान हुये हैं और जितना काम होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। इसलिये पहली आवश्यक चीज है---रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन आफ डिपार्टमेंट्स।

पुलिस स्टेट की जो मशीनरी होती है और जो मशीनरी हमें मिली थी उसमें खूबी यह थी कि उसमें एफीशिएन्सी थी, उसका एक मैथड था। हमने उस मशीन से जब काम अपने ढंग से लेना चाहा तो पुलिस स्टेट की एफीशिएन्सी तो कम हो गयी, मगर वेलफेयर स्टेट की जो खूबियां उसमें आनी चाहिये थी, वह हम पैदा नहीं कर पाये। मैं आशा करता था कि हमारे नये वित्त मंत्री इस दिशा में कोई कदम उठायेंगे, क्योंकि एक तब्दीली के बाद जब दूसरी तब्दीली कोई होती है तो उससे कुछ आशायें होती हैं। एक कलेक्टर भी बदल कर जब दूसरा आता है तो १०–१५ दिन तक वह कुछ तब्दीलियां करता है और उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी जब गये, नये मुख्य मंत्री हुये, तो कुछ चीजों में तब्दीली करके उन्होंने दिखाई, और यह आशा थी कि अब नयी माननीया मुख्य मंत्री जब आयेंगी तो अवश्य कुछ नये कदम उठायेंगी। मैं यह नहीं मानता कि ४–५ महीनों में कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया जा सकता था। इस सरकार को बने पांच पौने पांच महीने हुये, वह बहुत काम कर सकती थीं। इससे लोगों को गवर्नमेंट के रुझान का पता चल जाता है, उसकी लीडरशिप का पता चलता है। उसका एप्रोच क्या है और उस एप्रोच में अगर एक खास तरफ झुकना है तो सारी मशीनरी उस तरफ

[श्री गोविन्दसहाय]

झुकने लगती है। अगर उसका कोई पाजिटिव ऐप्रोच नहीं है तो फिर उलझाव बढ़ने लगता है। इसलिये मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि जब विभागों के वितरण में हम यह पोलिटिकल अन्दाज खत्म करके उनको जिस विभाग से जिनका सजीव संबंध है उनको जोड़ने में अपना कदम उठावें।

दूसरी चीज जो मैं पेश करना चाहता हूं वह यह है कि आज बहुत जनतंत्र और लोकतंत्र की बात की जाती है। मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक तरफ तो लोकतंत्र का नारा है और दूसरी तरफ जो लोकतंत्र विरोधी शक्तियां हैं वह समूचे समाज के अन्दर आज प्रबल होती चली जा रही हैं। यह सवाल गौरतलब है। डिमोक्रेसी महज एलेक्शन नहीं है, हालांकि बगैर एलेक्शन के डिमोक्रेसी होती नहीं मगर सिर्फ एलेक्शन की डिमोक्रेसी समझना डिमोक्रेसी के सही स्वरूप को समझना नहीं है। इस दृष्टिकोण से मैं यह मिसाल पेश करना चाहता हूं कि अंग्रेजी सरकार ने एक पुलिस स्टेट जो दी थी उसमें उसने गांवों में २ चीजों को जमाया था। एक गांव का मुखिया था और दूसरा गांव का चौकीदार। और इन दोनों मोहरों पर बहुत जोर उसने दिया, उनको इज्जत दी और यहां तक इज्जत दी कि बड़े से बड़ा लीडर भी अगर उस मुखिया के खिलाफ कहे या चौकीदार के खिलाफ कहे तो उसकी बात नहीं सुनी जाती थी। यह पुलिस स्टेट का मतलब था। आज जब हम डिमोक्रेटिक स्टेट की तरफ जा रहे हैं तो जो हमारा एलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है आज उनकी इज्जत नहीं हो रही है और न ऐसी आबोहवा हमने पैदा की है कि जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके प्रति समाज में आस्था हो। आज एक नई बात और दिखाई दे रही है कि आहिस्ता आहिस्ता जो चुने हुये लोग हैं इस समाज से उनकी इज्जत कम होती जाती है और शासन की पूरी ताकत उनकी इज्जत छीनने में लगी हुई है। आज यह संघर्ष बड़े पैमाने पर है। जैसे गांव के अन्दर आप देखिये कि जो गांव का प्रधान है अगर कोई एक बात कहता है तो उसको एक सब-इन्सपेक्टर पकड़ता है; या गांव का प्रधान कोई बात कहता है तो उसकी बात की कोई वकत नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता यही बात एम०एल०एज० और एम० पीज० के लिये भी होती चली जा रही है। तो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा अगर आप पुलिस स्टेट को डिमोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते हैं तो डिमोक्रेसी में जो एलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिवस हैं उनको जो सम्मान समाज में मिलना चाहिये। वह सम्मान अभी तक हम नहीं दे पाये हैं। डिमोक्रेसी से हमारा नजरिया एलेक्शनबाजी है और केवल एलेक्शनबाजी का परिणाम यह हुआ था कि अभी ब्लाक्स का एलेक्शन हुआ। उसमें रातोरात ७० से ७५ फीसदी तक वोटरों को वोट के लिये लाकर बन्द किया गया तो डिमोक्रेसी में अगर जनता को, अगर वोटर को आजादी से वोट देने में दिक्कत होती है तो वह डिमोक्रेसी के नाम पर फासिस्ट आलिगार्की है और आहिस्ता आहिस्ता डिमोक्रेसी के नाम पर फासिस्ट फोर्सेज जोर पकड़ती जा रही है और यह सवाल काबिले गौर है और मैं समझता हूं कि सरकार इस पर सोचेगी कि किस तरीके से हमें डिमोक्रेटिक फोर्सेज को बल देना चाहिये, उनकी बात को सम्मान देना चाहिये जैसा कि पुराने जमाने की मैंने मिसाल देकर बतायी।

एक बात जो डिमोक्रेसी से संबंधित है वह यह है कि आखिर डिमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है? क्या वह गवर्नमेंट होती है जो ५ साल में एक बार चुनी जाय? डिमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब है उस गवर्नमेंट से जो लोगों की रोजाना की जिन्दगी के ऐसपिरेशंस की तर्जुमानी करती है और जिसके फन्कशन्स लोगों के अर्जेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमने देखा कि आज डिमोक्रेसी में क्या हो रहा है। जो बातें चाहे इधर के बैठने वाले कहते हैं चाहे उधर के कहते हैं, क्या उनकी बातों का असर सरकार पर पड़ता है। अभी अध्यक्षों का सेमिनार हुआ था। जो जिला परिषदें हमने बनाईं उनके अध्यक्षों का सेमिनार था। कांग्रेस लीडरशिप की जो सबसे बड़ी देन है वह यह जिला परिषदें ही हैं बाकी तो हमें सब ढांचा ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिला है, जुडिशियरी का ढांचा उनसे मिला, प्रशासन का ढांचा उनसे मिला, शिक्षा का ढांचा उनसे मिला, लेकिन जो ढांचा हमने बनाया वह जिला परिषद् का और उसको बनाने में हमें १२, १५ साल लगे और जब हमने उसको व्यावहारिक रूप दिया तब उसके अध्यक्षों का

जो सेमिनार हुआ उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हैं सरकार उन बातों को महज कोरी बकवास, महज लेक्चरबाजी न समझ कर गौर से विचारे; क्योंकि जो मुल्क लेक्चरबाजी से तरक्की करते हैं एक जमाने में वे ही लेक्चरबाजी को बुरा समझने लगते हैं। कहते हैं लेक्चरबाजी होती है। तो जो डेमोक्रेटिक अध्यक्षों की स्पीचेज हुईं उनसे मालूम होता है कि अभी इस ढांचे में हमें बहुत कुछ करना बाकी है। उसको नजरअन्दाज करने की कोई बात नहीं है। इस बारे में हमारा जो ऐक्ट है उसमें किसी किस्म के परिवर्तन की अवश्य ही आवश्यकता है।

समाजवाद की भी यहां बहुत सी चर्चा हुई। और अब इतनी अधिक उसकी चर्चा होती है कि समाजवाद एक मजाक सा बन गया है। मेरे लिये समाजवाद कोरा नारा नहीं है, मैं उसे जीवन का एक दृष्टिकोण समझता हूं। जिस प्रकार से धर्म जीवन का एक दृष्टिकोण पैदा करता है उसी प्रकार से समाजवाद भी चीजों को देखने का एक दृष्टिकोण है। उससे एक व्यवस्था की स्थापना होती है। उसके द्वारा हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम गरीबी के सवाल को, बेकारी के सवाल को, निजी मिल्कियत के आधार पर हल नहीं कर सकते। उसके लिये सोशल ओनरशिप होना आवश्यक है। लेकिन जिन लोगों का यह खयाल है कि पब्लिक सैक्टर का फैलाव ही शोसलिज्म है, वह ठीक नहीं है। एक पुलिस स्टेट भी पब्लिक सेक्टर को पैदा कर सकती जैसे अंग्रेजों के जमाने में रेलवेज सरकारी नियंत्रण में थीं। इसलिये महज पब्लिक सेक्टर के फैलाव से सोशलिज्म नहीं आता, लेकिन यह बात अपनी जगह ठीक है कि उसमें पब्लिक सेक्टर का फैलाव होगा।

एक बात और है। हम देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में हमारे देश में पब्लिक सेक्टर का फैलाव हो रहा है उनमें घाटा है इसलिये यह हमें देखना होगा कि पब्लिक सेक्टर का फैलाव हम उन्हीं क्षेत्रों में करें जिनमें उसके अधिक लाभ होने की आशा हो। अगर पब्लिक सेक्टर घाटे वाले क्षेत्रों में खोला जायगा तो उससे पब्लिक की आस्था समाप्त हो जायगी। अभी तक हमारे यहां पब्लिक सेक्टर ट्यूबवैल्स, कैनाल्स और ट्रान्सपोर्ट में है। ट्यूबवेल्स में तो कान्सटेंट घाटा है, कैनाल्स में भी १९२ करोड़ रुपया लगा हुआ है लेकिन उससे इतना रिटर्न सरकार को नहीं होता। रोडवेज में जरूर मुनाफा है, लेकिन उसकी वजह यह है कि उसमें उनकी मोनोपाली है, कम्पीटीशन नहीं है। व्यावहारिक रूप से देखा जाय तो इस सूबे की ऐसी हालत है कि यहां पर शुगर इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर में ले लेना चाहिये। मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था, लेकिन सरकार की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी और एक और मंत्री जी की ओर से उसको टालने की कोशिश की गयी। मुझे उसकी बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कौन बात सच है यह सरकार की अदलाबदली के बाद ही मालूम पड़ता है। जो चेयर में होता है वह अपनी बात सही समझता है और दूसरे की बात गलत समझता है, लेकिन मेरा अटूट विश्वास है बगैर शुगर इन्डस्ट्री को नेशनलाइज किये हमारे यहां एग्रीकल्चर की भी तरक्की नहीं हो सकती। यहां की शुगर इन्डस्ट्री की ७५ प्रतिशत मशीनें आउट आफ डेट हो रही हैं। एक एक मिल मालिक ने जितना रुपया मिल में लगाया था उससे दुगना और तिगुना कमा लिया है और मिल को कमजोर किया है और अपने को बनाया है। इसलिये जिस इन्डस्ट्री का करोड़ों लोगों से संबंध है उसकी ओर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिये। उसमें भ्रष्टाचार भी बहुत होता है। गन्ने की तुलाई में बहुत बड़ा घपला होता है और कम तौल कर लाखों रुपया लाभ कमाया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि पब्लिक सेक्टर में वाइसेज नहीं होतीं। होती हैं, लेकिन उनका इमकान उसमें कम होता है क्योंकि किसी एक का उसमें इन्टरेस्ट नहीं होता। यह बात भी जरूर है कि प्राइवेट सेक्टर में आरम्भ में बहुत ज्यादा फायदा दिखा दिया जाता है। लेकिन वहां करप्शन के चान्सेज बहुत रहते हैं। इसलिये यह जानते हुये भी कि श्री बनारसीदास जी एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनकी राय है कि यह चीज लगी है और इस बात को भी जानते हुये कि माननीय मुख्य मंत्री जी की राय भी है कि इस समय इस इंडस्ट्री के नेशनेलाइजेशन का अभी समय नहीं आया है, मैं समझता हूं कि यही एक मौका है जब कि सरकार इस दिशा की ओर अपने विभाग को तैयार कर सकती है। क्योंकि हमें यह भी देखने का मौका है

[श्री गोविन्दसहाय]

कि पब्लिक सेक्टर के अन्दर इस शुगर इंडस्ट्री के जाने से नेशनलाइजेशन का भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा और इस से किसानों की भलाई भी की जा सकेगी ।

सदन में यह सुझाव भी दिया गया कि प्लानिंग कमीशन का निर्माण होना चाहिये । मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या वाकई प्लानिंग कमीशन के बन जाने से प्लान ठीक हो जायगा ? मैं तो इस बात को नहीं मानता । प्लानिंग कमीशन बने या न बने, लेकिन हमारे लिये यह देखने की बात है कि जितने हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वे ग्रिप में आते हैं या नहीं । मेरी निश्चित राय है कि इसके लिये एक कमेटी बनाने की जरूरत है और वह कमेटी इसलिये बने कि हमारी जो सारी शासन व्यवस्था है उसके इंस्ट्रूमेंट्स में आमूल परिवर्तन हो सके ।

श्री उग्रसेन—

माननीय गोविन्दसहाय जी वैल्यूएशन कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने एक रिकमेंडेशन किया था कि मालगुजारी का एक चौथाई हिस्सा गांव सभाओं को दे दिया जाय, लेकिन उनका वह छोटा-सा सुझाव भी इस सरकार ने नहीं माना है ।

श्री गोविन्दसहाय—

बहरहाल, उग्रसेन साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो मेरी बात के प्रतिकूल हो, लेकिन इस राय का मैं जरूर हूं कि जो भी कमेटी सरकार बनावे उसकी सिफारिशों पर गौर होना चाहिये । मिसाल के तौर पर आज एक बड़ी पेचीदगी हमारे गांव के स्तर पर पैदा हो गयी है कि वहां कई एजेन्सीज हो गई हैं । अंग्रेजी जमाने में एक दो एजेन्सी ही थीं, लेकिन आज ५-६ एजेन्सीज हैं और वे आपस में लड़ती हैं तथा एक दूसरे को रन-डाउन करने की कोशिश करती हैं । जैसे कोआपरेटिव सोसाइटीज भी खाद देती हैं और एग्रीकल्चर विभाग वाले भी खाद देते हैं और दोनों सेल्समैन की तरह से एक दूसरे से टकराते हैं और रन डाउन करने की कोशिश करते हैं । इन्फारमेंशन डिपार्टमेंट का काम है कि वह जनता को सारे इन्फारमेंशन से अवगत रखे । छोटे-छोटे बच्चे हर डिपार्टमेंट के इन्फारमेंशन डिपार्टमेंट हैं, लेकिन आज मैं बड़े कांफिडेंस से इस बात को कहने के लिये तैयार हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के पास एक भी पेम्फलेट ऐसा नहीं है जिसमें साधारण आदमी को पता लग सके कि पिछले १०-१२ वर्षों में इस प्रदेश ने क्या-क्या प्रगति की है । इन्फारमेंशन डिपार्टमेंट का काम है कि वह लोगों को इन्फार्म करे ।

इसी तरीके से शिक्षा का जिक्र कुछ मित्रों ने किया । इसके लिये यह लाजिमी नहीं है कि हमारे यहां तमाम स्कूल और कालेज ही खोले जायं, बल्कि यह लाजिम है कि उनको पढ़ाया क्या जाय । अगर आप स्कूल, कालेज खोलते चले जायं तो इस से समस्या का कोई हल नहीं निकलने वाला है यदि उनसे समाज के लिये बिलकुल अनुपयुक्त व्यक्ति निकलें । हर मिनिस्टर चाहता है कि उसका मुहकमा फैले । जैसे हमारे यहां नये ऐजूकेशन मिनिस्टर हुये तो उन्होंने ऐलान किया कि "थ्री मोर यूनिवर्सिटीज इन उत्तर प्रदेश", एक कानपुर में, एक मेरठ में और एक कहीं और । यूनिवर्सिटीज चाहें जितनी हों उस से ज्यादा ऐफीशिएंसी नहीं आ सकती । यूनिवर्सिटी एक्सपेंशन का कोई प्राब्लम नहीं है, प्राब्लम यह है कि ऐजूकेशन को किस नये सिद्धान्त से जोड़ा जाय । यह सवाल हमारे समाज के सामने आता है और मैं समझता हूं कि आपको सोचने का एक ढंग निकालना पड़ेगा क्योंकि आज जनता के सामने अन्न की समस्या है, भूख व बेकारी की समस्या है । इसके लिये आपको देखना पड़ेगा कि प्रशासकीय शासन में किस तरह से सुधार हो, टेक्निकल डेवलपमेंट कैसे हो ।

इसका नतीजा यह है कि फूड पर इतनी बहस हो रही है । बंगाल फेमिन में ३५ लाख आदमी मर जाते हैं, लेकिन कहीं मांग नहीं होती है कि सरकार बदलना चाहिये क्योंकि लोग समझते थे कि यह काम सरकार का नहीं है । आज लोगों के सोचने के ढंग में फर्क आ गया है । आज वह सरकार की तरफ देखते हैं कि अन्न की जिम्मेदारी सरकार की है । जनसंघ के नेता ने यहां तक कह डाला कि यह जो लहर चली और पाला पड़ा इसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार

की है। तो मैं अदब से कह सकता हूं कि फिर सरकार के लिये लाजिमी है कि वह सोशलिज्म के प्रोग्राम को अपनाये और उसके मातहत उत्पादन के सारे साधनों का संचय करे और उनका ठीक से उपयोग करे। जो दौलत पैदा करने वाले हैं उनको समाज में उचित स्थान दिया जाय। सोशलिज्म कोई नारा नहीं है। एक बात जरूर है कि सोशलिज्म का नारा चले, आवाज चले, लेकिन प्रगति के लिये आबोहवा पैदा न हो, व्यवस्थायें पैदा न हों तो दुनिया का इतिहास यह बतलाता है कि सोशलिज्म के नाम पर फासिज्म आया है। वही हालत हिन्दुस्तान में है जो जर्मनी के अन्दर हिटलर के आने के पहले थी। एक तरफ आज यह सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी दुश्वारियों में उलझी हुई है और दूसरी ओर जो आजादी के खिलाफ ताकतें हैं वे गांव के स्तर से ले कर हर स्तर तक फैलती चली जाती हैं। इसलिये लाजिमी है कि वस्तुस्थिति का मुकाबिला करने के लिये डिटरमिनेशन के साथ उन तमाम साधनों को जुटायें जिन साधनों को जुटाकर समाजवाद समाज का लाना संभव है। इसके लिये सरकार यह कदम उठायेगी कि वह विभागों का रेशनल कोआर्डिनेशन करेगी। कुछ जिलों के अन्दर तीन साल के अन्दर कितना काम हुआ है उनका इंटेन्सिव इवेलुएशन करेगी। इसलिये इवेलुएशन करने की जरूरत है कि लाखों करोड़ों रुपया जिलों में पहुंच गया है वह रुपया उस काम में यूज हुआ है या नहीं, उसका क्या असर पड़ा है? अगर इवेलुएशन करें तो पता चल जायगा कि किस वजह से वह इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसा करने के लिये ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये लिखकर सीधे उसूल नहीं दिये जा सकते। पुलिस स्टेट को सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक स्टेट में ढालने के लिये बड़ा लम्बा काम है। हमारी सर्विसेज और पोलिटिकल लीडरशिप जो हैं उन दोनों का समाजवाद के उसूल में अटूट विश्वास होना चाहिये। डायरेक्टर आफ कोआपरेशन अगर कोआपरेशन में विश्वास नहीं करते तो वह कोआपरेशन की स्प्रिट में अपने काम को चालू नहीं कर सकते। एजूकेशन के डायरेक्टर जो हैं अगर किस प्रकार की हमारी एजूकेशन की नीति हो उसके बारे में उनका पूरा विश्वास नहीं है, तो वह महज एडमिनिस्ट्रेशन बन कर रह जायगी। इसलिये लाजमी है कि हम अपनी सेवाओं के अन्दर मेंटल ओरियेंटेशन करें।

जितने बैकवर्ड कंट्रीज हैं, जिन्होंने आजादी हासिल की है और वे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लाना चाहते हैं वहां ट्रेजेडी यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिये एक पोलिटिशियन है और दूसरा आई० ए० एस० या आई० सी० एस० आफीसर। ये दोनों नान-टेक्निकल लोग हैं। सोशलिज्म लाया जाता है हर चीज को टेक्निकली डेवलप करके। इसके लिये मेंटल ओरियंटेशन होने की आवश्यकता है। दोनों को अपने विश्वासों में रखने की जरूरत है। गवर्नमेंट मेम्बरान एक आवाज से बोलें जहां तक कि नीतियों का ताल्लुक है। यह बात उनके मारेल को बढ़ाती है। अगर एक ही विषय पर दो आवाजें सुनाई देती हैं तो इस से डिमारेलाइजेशन होता है। इसलिये आवश्यक है कि नीतियों के सम्बन्ध में, इनके इम्प्लिमेंटेशन के सम्बन्ध में, पार्टी और गवर्नमेंट के सम्बन्ध में मारेल पैदा किया जाय ताकि जो वस्तु स्थिति है उस पर हावी होने में सहायक हो सकें। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे कोई शक नहीं कि इतिहास लिखने वाले जहां यह बात लिखेंगे कि दुनिया की तवारीख में किसी मुल्क को इतनी जल्दी और इतनी कम कुर्बानी करके आजादी नहीं मिली जितनी हिन्दुस्तान को मिली, वहां एक लाइन यह भी लिखेंगे कि इस सबके बावजूद उसका जिस तरह से उपयोग होना चाहिये था, सुख और समृद्धि जैसी बढ़नी चाहिये थी और साधनों का जैसा प्रयोग होना चाहिये था वह यहां की लीडरशिप नहीं कर सकी और इतिहास इसके लिये उन्हें माफ नहीं करेगा।

दूसरी चिन्ता एक और हमारे सामने है। मैं अपने तमाम दोस्तों से यह आशा करता हूं कि अगर वे सही माने में इस मुल्क में समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं तो इस नाजुक दौर में कोई ऐसी बात न करें जिस से लोगों का विश्वास समाजवाद से हटे और उसकी व्यवहारिकता से हटे, उसकी उपयोगिता से हटे और साथ ही मैं यह भी समझता हूं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जो सोशल डेमोक्रेट्स की हालत हुई वही हमारी होगी। जैसा कि हिटलर ने भी कहा था—

"The Social Democrats were democrats to such an extent that they permitted their enemies to march triumphantly to Germany."

[श्री गोविन्दसहाय]

अतः मैं आशा करता हूं सदन के सभी सदस्यों से कि जो आज दैवी आपत्ति हमारे सामने है उसको देखते हुये एक रचनात्मक दृष्टिकोण से इस विषय पर कार्य करेंगे ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के अन्त में समाजवाद की चर्चा थोड़े में पर बड़े विश्वस्त ढंग से की है । उसी की चर्चा से मैं अपनी बात आरम्भ करता हूं । माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि समाजवाद स्वयं साधन और साध्य दोनों है जिसके फलस्वरूप देशवासियों की समृद्धि और कल्याण की आशा और कामना की जाती है । गांधी जी के नेतृत्व में संचालित इस देश की राजनीति सदा इसी लक्ष्य की ओर उन्मुख रही है । समाजवाद की स्थापना करने का हमारा संकल्प उसी का संगत और तर्क-युक्त प्रतिफल है । इस कथन में स्वयं मुझे बड़ा विरोधाभास दिखायी पड़ा और अगर यह विरोधाभास है तो यह निश्चय ही विचारों की अस्थिरता का द्योतक है । कहा गया है कि गांधी जी के नेतृत्व में संचालित, आज गांधी जी के नेतृत्व को प्राप्त हुये ४३-४४ वर्ष बीत रहे हैं

(इस समय ४ बजकर ३५ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, पीठासीन हुये ।)

पता नहीं उस नेतृत्व की देखरेख में समाजवाद के लक्ष्य की ओर किस गति से चलते रहे हैं कि आज ४३-४४ वर्षों के बाद भी आप समाजवाद की स्थापना का संकल्प ही कर रहे हैं । ४४ वर्ष तक वह राजनीति उसी लक्ष्य की ओर चली, लेकिन अब तक आप बस वहां पहुंचे जहां समाजवाद की स्थापना का समारोह मना रहे हैं । अब यह समारोह चलता रहेगा । फिर न जाने कब आप समाजवाद लाने का कार्यक्रम बनायेंगे और समाजवाद लायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

जरा शान्ति बनाये रखें आप लोग । बहुत शोर हो रहा है ।

श्री रघुनाथसिंह--

माननीय वित्त मंत्री एक जाने-माने चिन्तक और लेखक हैं । उनके इस कथन में ऐसा विरोधाभास क्यों आया और क्यों उन्हें गांधी जी का नाम बिना याद किये चर्चा न करने की विवशता दिखायी पड़ी । असल बात यह है कि समाजवाद दुनिया के बहुत देशों में कायम हो चुका है, उसका लाभ उठाया जा रहा है । समाजवाद पर अच्छे-अच्छे विद्वानों की पुस्तकें निकल चुकी हैं, वह एक चर्चा का विषय बन चुका है और राजनीति का साधारण विद्यार्थी भी समाजवाद के क, ख, की कुछ जानकारी रखने लगा है । फिर भी आप समाजवाद की केवल चर्चा ही करते हैं । ऐसा क्यों है ? हम ऐसा तो नहीं मान सकते कि समाजवाद के सिद्धान्तों की जानकारी आपको नहीं है, जानकारी आपको है, पर जिस संस्कार में आप लोग पले हैं, उसके कारण हमारे बड़े-बड़े नेता उसे ग्रहण नहीं करना चाहते हैं और दिल और दिमाग की दुविधा में हमारे देश के राजनीतिक इतिहास को हमारे शासन के कर्णधार बिगाड़ रहे हैं । हमारे भारतीय समाज की गाड़ी घोर अशिक्षा, गरीबी, जातीयता और साम्प्रदायिकता के दलदल में फंसी है, इस गाड़ी को ठेल कर समाजवाद की भूमि पर लाने के लिये जिस प्रकार के त्याग, तपस्या और सुलझे हुये दिमाग की एकरूपता की आवश्यकता है, उसका अंशमात्र रूप भी शासन के कर्णधारों में दिखाई नहीं पड़ता है । इस प्रकार समझिये कि कोई गाड़ी दलदल में फंसी है और आप उसको ठेल कर ठोस भूमि पर लाना चाहते हैं और अपने दुपट्टा, टोपी और सिल्क के कुर्ते को भी बचाने की चिन्ता कर रहे हैं और इस बात की भी चिन्ता है कि श्रम न करना पड़े और कीचड़ न लगे और ललकार मचा रहे हैं कि गाड़ी दलदल से निकल जाय तो क्या वह गाड़ी कभी दलदल से बाहर निकल सकती है । इसी प्रकार शासन के कर्णधार भारतीय समाज की इस गाड़ी को निकालने के लिये केवल नारा मात्र दे रहे हैं । यह हमारी राजनीति की बड़ी विडम्बना हो रही है ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधे से ज्यादा समय समाप्त हो चुका है और देश में गरीब और ज्यादा गरीब हुआ है और अमीर और ज्यादा अमीर हुआ है। यह हमारे देश के वामपक्ष के राजनीतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं का ही कहना नहीं है बल्कि शासन के कर्णधार जो बड़े जिम्मेदार हैं वे भी मान चुके हैं।

देश में शिक्षा के बारे में क्या कहूं ? केवल कागज पर स्कूलों के आंकड़े बनाये गये हैं खास तौर से देहात में। मान्यवर, आप गाजीपुर जिले से सम्बन्ध रखते हैं, आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूलों में एक ही अध्यापक से ५, ५ कक्षायें चलाई जा रही हैं और एक ही कमरे में लड़के भेड़ियाधसान की तरह बैठते हैं। लड़के स्कूल में गाली-गलौज शिक्षा के नाम पर सीख रहे हैं। माननीय सदस्य जब अपने लड़कों से पढ़ने के बारे में पूछताछ करते होंगे तो उनको आज की पढ़ाई लिखाई का अनुभव होगा। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।

जातीयता और साम्प्रदायिकता को ले लीजिये। हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो दुनिया में जनतंत्र था। उसकी देखादेखी आपने भी जनतंत्र चला दिया। लेकिन आपने ध्यान नहीं रखा कि इस देश में हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वगैरह मौजूद हैं। इसलिये पहले आपको साम्प्रदायिकता और जातीयता को मिटाना चाहिये था और ऐसी भावना लोगों में पैदा करना चाहिये था जिस से वे इज्म के नाम पर चुनाव लड़ते और वोट दे सकते। आज क्या स्थिति है ? गांव सभा के चुनाव से लेकर असेम्बली और पार्लियामेंट तक के चुनाव में जातीयता का रिहर्सल हो रहा है। क्या आप इस से इन्कार कर सकते हैं ? हमारे समाज की गाड़ी अशिक्षा और गरीबी के दलदल में फंसी हुई है, इसको निकालने के लिये कुछ नहीं किया। आप ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रखें तो आपका कांशश गवाही देगा। आप कहेंगे कि हम कैसे इसको मिटायें ? मानता हूं कि यह सब का कर्तव्य है, हम सबको अपने आचरण से, बचन से, मुहब्बत से इस वातावरण को पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिये। पर शासन में होने के नाते आपका बड़ा कर्तव्य है, आपके कर्तव्य की याद में टर्की के कमालपाशा के ऐतिहासिक कार्यों की ओर इशारा करके दिलाता हूं। आप समाजवाद लायेंगे, इसमें कम से कम मुझे निश्चित रूप से बहुत बड़ा शुबहा है। गांधी जी जैसे युग पुरुष, जिसके बारे में यहां तक कहा जाता है कि राम, कृष्ण को छोड़कर, क्योंकि उनको अलौकिक पुरुष कहा जाता था, ऐसा महान् पुरुष मानव परम्परा में नहीं पैदा हुआ, उसके नेतृत्व में जन सेवा की भावना आप में पैदा हुई, और देश को आजादी भी दिलाने में जिन बहुत से लोगों ने हाथ बटाया उनमें अधिकांश लोग कांग्रेस में भी हैं, पर उस नेतृत्व के समाप्त होने पर आप अपनी कुर्सियों को बचाने में, कांग्रेस में भी गुटबन्दी करके दुलत्तियां चला रहे हैं। वित्त मंत्री जी, मैं आपका आदर करता हूं, विद्यार्थी जीवन से, आपके त्याग-तपस्या की बात अभी भूली नहीं है, इसलिए श्रद्धा भी है। लेकिन आप से निवेदन करता हूं कि समाजवाद को लाने में आपको और आपके लोगों को अपनी कुर्सी, टोपी, दुपट्टा, कुर्ता सम्हालना छोड़ना पड़ेगा। समाजवाद खिलवाड़ नहीं है। उसके लाने में आपको नंगा हो जाना पड़ेगा, लेकिन आप कुर्सी बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इन चन्द शब्दों के साथ अब मैं बजट के सम्बन्ध में कुछ बातें रखना चाहता हूं।

प्रस्तुत १९६४–६५ का बजट ११ करोड़ ५९ लाख के घाटे का बजट है। जैसा आप जानते हैं पिछले कई वर्षों से हमारा बजट घाटे का बनता रहता है और साल के अन्त में राजस्व की बचत होती रही है। क्यों ऐसा है कि एक रूप से लगातार कई वर्षों से ऐसा हो रहा है ? एक तो इसका कारण यह है कि घाटे का बहाना बना कर आप जनता पर नये और अतिरिक्त टैक्स लगाते हैं और इस प्रकार अपनी आमदनी की वृद्धि करते हैं, लेकिन उसका दूसरा बहुत दुखजनक पहलू यह भी है कि टैक्स लगा कर जहां पर आप आमदनी को बढ़ाते हैं वहीं आप अपनी अकर्मण्यता के कारण उस धन का उपयोग नहीं कर पाते हैं, बहुत सी योजनाएं आप चालू नहीं कर पाते, कुछ काम आप के धरे रह जाते हैं। नतीजा यह होता है कि साल के अन्त में व्यय का अंश बच जाता है और मुनाफे का बजट निकल आता है। हर साल की यही व्यवस्था है। इसमें

[श्री रघुनाथसिंह]

कुछ अन्तर पड़ना चाहिए। यह बड़ी कष्टकर बात है और एक ओर जहां आय पक्ष से जनता को टैक्स देने का दबाव सहना पड़ता है वही दूसरी ओर व्यय पक्ष से जनकल्याणकारी कार्य न होने के कारण उन्नति विकास का घाटा सहना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि जनता को इस प्रकार की स्थिति से सरकार को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह ऐसी हालत है जैसे कोई भरपूर खेवा देकर भी नदी के बीच में डूब जाय।

अब जैसा कि आपने घाटे का बजट बनाया है, तो इस वर्ष भी इस आय व्यय के अन्तर को मिटाने के लिये भले ही बड़ी भारी तबाही आई है जैसा कि आपने बजट भाषण में भी कहा है, मुझे आशंका है कि आप अतिरिक्त कर और नये कर लगाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन मैं मान्यवर, आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि नये और अतिरिक्त कर यों ही बहुत लाचारी की स्थिति में जब कोई साधन सरकार के पास उसकी आमदनी बढ़ाने का न हो तभी लगाना चाहिये और लाचारी का यह अन्तिम उपाय भी इस वर्ष अगर आप अपनाना चाहेंगे तो यह इस साल विशेषरूप से और भी अमानवीय होगा क्योंकि जैसा कि आपने अपने भाषण में कहा है उसके अनुसार ही मैं कह रहा हूं। मैं २, ३ बात फिर याद दिलाना चाहता हूं। दो वर्ष लगातार मौसम अनुकूल नहीं रहा है। धान के उत्पादन में २ लाख टन की कमी हुई है। रबी की फसल में सूखा पड़ने से ७ लाखएकड़ भूमि में रबी बोई नहीं जा सकी। जाड़े के मौसम में पाले के कारण और वर्षा के अभाव के कारण रबी की फसल को गहरी क्षति पहुंचने की आशंका की बात भाषण में भी कही गई है। सरकार ने अपने बड़े घर का बजट जो अनुमान पर घाटे का बनाया है, अन्त में निश्चय है हर साल की तरह वह घाटा राजस्व में वृद्धि के रूप में आ जायगा। मेरा निवेदन है कि आपने अपने बड़े घर का बजट तो अनुमान से घाटे का बनाया है लेकिन दैवी प्रकोप ने हमारे प्रदेश में लाखों छोटे घरों का बजट घोर विवशता में घाटे का बना दिया है। आपको इन छोटे-छोटे लाखों घरों के बजट का भी ध्यान रखना चाहिये। इस बड़े बजट को उन सारे छोटे-छोटे बजटों का ध्यान रखना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे मुंह सारे शरीर के साथ समान व्यवहार करता है, मुंह विवेक के साथ शरीर के सारे अंगों का पालन-पोषण करता है, अगर मुख सारे शरीर के साथ समान व्यवहार न करे तो शरीर के अंग फिर काम नहीं कर सकते, वैसा ही विवेक आप का यह सरकारी मुखिया घर भी अपनावे। एक बात अन्त में यह और निवेदन करूंगा कि मंत्री जी लेखा परीक्षण का प्रतिवेदन १९६२ का देखे होंगे। इसमें अनुदान के भ्रष्टाचारों के सम्बन्ध में अनेक बातें कही गई हैं जिनको आपके अधिकारी अपने इस प्रस्तुत बजट वर्ष में नहीं दोहरायेंगे ऐसी ठोस व्यवस्था आपको करनी चाहिये। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री सोहनलाल धुसिया---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है इसमें कोई शक नहीं है कि समाज के पढ़े-लिखे लोग इसका वेलकम करेंगे, लेकिन कुछ हद तक तो यह बात सही है कि इन्होंने कुछ कम तनख्वाह पाने वाले लोगों की तनख्वाह बढ़ा दी है। उनके कुछ आंसू पुछ गये हैं। एक तरफ तो उनकी ५ रुपये तनख्वाह बढ़ाई गई है और दूसरी तरफ ४० फीसदी कास्ट आफ लिविंग बढ़ गयी है। ऐसी हालत में अगर यह कहा जाता है कि इस बजट में कम तनख्वाह पाने वाले लोगों के लिये कुछ प्राविजन किया गया है तो मैं यह कहूंगा कि यह भूल है। भुवनेश्वर सेशन के बाद यह बजट सेशन आया था। लोग उम्मीद करते थे कि इसमें कुछ ऐसी मौलिक बातें आयेंगी कि जिसमें दरअसल गरीबों का कुछ भला होगा। उम्मीद करते रहे और उम्मीद है भी मगर जिन लोगों ने बजट पेश किया है ये सब गान्धी जी के चेले कहे जाते हैं। मुझे यकीन है कि इधर के बैठने वाले लोग ज्यादातर अपने को गान्धी जी का चेला मानते हैं, लेकिन काम जो उनका हो रहा है, अब यह भगवान जाने या वे जाने, लेकिन जो साफ तरीके पर हो रहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है यह उनकी आंखों के सामने पड़ता है या नहीं, इसको पब्लिक बुरा बता रही है । अगर उनकी आंखों के सामने नहीं पड़ता तो मैं प्रार्थना करूंगा कि उस पर वह गौर करें । जो कुछ मैं कह रहा हूं, यह मैं अपनी तरफ से पहले अर्ज कर दूं और खास कर ट्रेजरी बेंचेज के लोगों से, कि मैं एक सच्चे कांग्रेसी की हैसियत से ही अर्ज कर रहा हूं और किसी के ऊपर छींटा उछालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं । अगर आज यह कांग्रेस सरकार में न होती और ऐसी दशा होती तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितने ट्रेजरी बेंचेज के लोग हैं उनको यह कांग्रेस यह आदेश देती कि चल कर पिकेटिंग करो और ऐसी बातें करो कि जिससे आम जनता की तकलीफ दूर की जा सके । लेकिन मुझे अफसोस है कि आज यहां जो हो रहा है उसके लिये पता नहीं कि उनकी आंखों में पट्टी बंधी है या उनकी जबान बंद है । अगर वह लोग देखते हैं तो देख कर भी अनदेखी कर देते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन इस सच्चाई को कब तक छिपाया जा सकता है ? गांधी जी ने कहा था कि हमेशा सच्चाई का मुकाबला करो चाहे उसके लिये मर भी जाना पड़े । आज गांधी जी की बातें केवल कहावत के रूप में ही रह गयी हैं, प्रेक्टिकली कुछ नहीं हो रहा है ।

मैं खास तौर पर सब से पहले फूड मिनिस्टरी की तरफ आऊंगा । मैंने पहले ही प्रार्थना कर दी है कि मैं किसी पर पर्सनल आक्षेप नहीं कर रहा हूं । आज १४, १५ साल हो गये कांग्रेस गवर्नमेंट को बने हुये, लेकिन आज तक एक सेर ५ छंटांक का गेहूं और एक सेर की अरहर की दाल कभी नहीं बिकी । यह भुवनेश्वर सेशन के बाद ही बिक रही है जब कि हम सोशलिज्म का प्रचार कर रहे हैं । उस दिशा में जाने में यह शायद पहला कदम है । अगर कहीं भगवान की कृपा से कांग्रेस हाई कमांड यह प्रस्ताव कर दे कि हम रामराज्य लाने जा रहे हैं तो शायद यहां एटम बम ही गिर पड़ेगा । मुझे अच्छी तरह याद है कि नेगी साहब को जब कोई बात बतलायी जाती है तो उसको करने की वह कोशिश करते हैं, लेकिन हर आदमी की कुछ लिमिटेशन्स होती हैं । उनके अंदर ही वह काम करता है । मालूम नहीं यहां पर गवर्नमेंट की क्या पालिसी है । कहने के लिये तो डिस्ट्रिक्ट में गजेटेड अफसरों का ट्रान्सफर हर तीसरे साल हो जाता है, लेकिन यहां का जो सेक्रेटेरियेट है वह बिलकुल उसी तरह से फंक्शन कर रहा है जैसे कोई एडेड एजूकेशनल इंस्टीट्यूट करता है । यहां लोग दस, बारह साल से पड़े हुये हैं और उनके ट्रान्सफर का कोई जिक्र नहीं है । मैं खास कर जितने मिनिस्टर्स हैं उन से प्रार्थना करूंगा कि यहां जितने चार साल से ज्यादा के अफसर हों उनका ट्रान्सफर पब्लिक इंटरेस्ट में फौरन कर दिया जाय । मैं इसके दो, एक उदाहरण भी दूंगा । संभव है कि आप लोगों को खबर न मिलती हो अथवा काफी हाउस में जाने का मौका न मिलता हो, लेकिन आप लोग भी जन प्रतिनिधि हैं, आप को खबरें अवश्य मिलती होंगी । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या फूड मिनिस्टरी में ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने एक तरह से वहां अपना आधिपत्य जमा रखा है और वह इस तरह से तोड़ मरोड़ कर बात को रखते हैं कि अगर हटाये गये तो मिनिस्ट्री फेल हो जायगी । मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी आज नहीं हैं तब भी हम आजाद हैं, पटेल साहब नहीं हैं, फिर भी हम आजाद हैं । फूड में जो क्राइसेस आये हैं उसके लिये उनका सेक्रेटेरियेट ही जिम्मेदार है । पूरे सेक्रेटेरियेट का कसूर है । मुझे परसों खबर मिली है कि ४ बोतल शराब एक सेक्रेटेरियेट के बहुत ऊंचे अफसर के लिये दिल्ली से लायी गयी है जो यहां लखनऊ में अवेलेबिल नहीं थी (शेम शेम की आवाजें) और यह व्यापारियों की ओर से अफसरों को खुश रखने के लिये किया जा रहा है, क्योंकि उनका पर्सनल फायदा हो रहा है, पब्लिक भले ही जहन्नुम में जाय । मैं ठाकुर साहब से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि जितने लोग ४ साल से ज्यादा के हैं उनका फौरन ट्रांन्सफर कर दें तो मुझे यकीन है कि यह जो क्राइसिस मची हुई है वह जल्दी ही खत्म हो जायगी । लोग आज अपने आफिस का नाजायज व्यापार सा करने लगे हैं । अगर कहा जाय तो भी मुश्किल, न कहा जाय तो भी मुश्किल । जनता की धारणा हो गयी है कि कहकर होगा भी क्या ? अगर कहते हैं तो वह अपना लूपहोल बचने के लिये निकाल लेते हैं, इसलिये लोग कहने की हिम्मत नहीं करते हैं । इसलिये चाहे ऐग्रिकल्चर के हों, ट्रांन्सपोर्ट के हों, फूड के हों सब को हटा दिया जाय । मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके जरिये से चीफ सेक्रेटरी से रेक्वेस्ट करूंगा कि अपनी रेस्पांसिबिलिटी समझ कर इस काम को करें ।

[श्री सोहनलाल धुसिया]

एक आध केस मेरे सामने ऐसे मिले हैं जिनको सुनकर ताज्जुब होता है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता है कहने की और मेरी भी हिम्मत नहीं है । कहकर जिम्मेदारी मैं अपने सर पर नहीं लूंगा । यहां पर एक आध ऐसे मेम्बर हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन पाकिस्तान से है । मुझको खबर मिली है और वह आदमी लिखकर देने को तैयार था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की, क्योंकि ऐसे आदमी का केस है कि मैं इस बबाल में नहीं पड़ना चाहता । उनके नाम पर पाकिस्तान में राशन कार्ड बना है, हाउस अलाटमेंट हुआ है फिर भी वह यहां के मेम्बर हैं । ऐसी हालत में करप्शन कैसे दूर होगा ?

कुछ सदस्य---

नाम बता दीजिये, कौन हैं ?

श्री अधिष्ठाता---

जरा शान्त रहें ।

श्री सोहनलाल धुसिया---

यह तो हर गोविन्द सिंह जी का काम है, सी० आई० डी० का काम है, मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन इनएफिशियेन्सी बहुत ज्यादा हो गयी है ।

अधिष्ठाता महोदय, एक मेरी खास सलाह फूड क्राइसिस के संबंध में यह है कि गवर्नमेंन्ट मुनासिब समझे तो मिलिटरी से मदद ले । हो सकता है कि यह बहुत जल्द खत्म हो जाय । अगर आपने मदद नहीं ली, देर में कदम उठाया तो न मालूम कितने मर जायेंगे और लूट पाट होगी। इसलिये इनफीरियारिटी काम्पलेक्स छोड़कर सेंन्ट्रल गवर्नमेन्ट से जल्दी से जल्दी यह सरकार मदद ले कि इस प्राबलम को कैसे साल्व किया जाय ।

(व्यवधान)

डी० आई० आर० की बात करते हैं, यह तो पोलिटिकल पार्टीज के लिये है, यह अनैतिक व्यापार के लिये थोड़े ही है । वह इन अनैतिक व्यापारियों पर लागू नहीं होगा। अगर उन पर लागू भी होगा तो उनको पहले से खबर हो जायेगी ।

अब रहा सवाल यह कि सरकार उसके लिये किसको दोषी बनाती है । मैं इसको नहीं जानता, मगर जनता सरकार को दोषी बताती है । अब जब जनता सरकार को दोषी बताती है तो मैं कांग्रेस के नायकों से कहूंगा, गांधी जी के सच्चे चेलों से कहूंगा कि वे बतायें कि ऐसी हालत में सरकार कितने दिन और कैसे चल पायेगी ? मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस पर गौर करे ।

अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक सुझाव और है । मैं सरकार से कहूंगा कि वह बंगाल पंजाब, आसाम, मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र आदि को देखें और थोड़ी सी सुपीरियारिटी काम्पलेक्स को छोड़ कर वह यू० पी० की तरक्की के लिये, यू० पी० को दो हिस्सों में बांट दे । जब तक यह नहीं होगा, तब तक यू० पी० की उन्नति नहीं होगी । मैं उसकी रीजनिंग दूंगा । एक तरफ पश्चिमी यू० पी० है, दूसरी तरफ पूर्वी यू० पी० है । पश्चिम वालों का मसला दूसरा है, पूर्व वालों का मसला दूसरा है। जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है तब यह देखा जाय कि यहां पर कितने मिनिस्टर पश्चिम वाले बने हैं और कितने पूर्व वाले । मैं समझता हूं कि ३/४ पश्चिम वाले होंगे और १/४ पूर्व वाले होंगे । यही कारण है कि पूर्वी यू० पी० की तरक्की नहीं होती । इसलिये मैं सरकार के इन्टरेस्ट में यह चाहूंगा कि वह यू० पी० का डिवीजन करे ।

अखिर में, मैं यह कहूंगा कि हमारे पूर्वी क्षेत्र में जो घाघरा, राप्ती, गंगा, जमुना ऐसी नदियां हैं कि इन पर अगर डाम बनाया जाय तो वहां भाखड़ा नंगल से भी अच्छा

बांध बनाया जा सकता है। अगर यह डाम बनाया जाय तो लाखों आदमियों को रोजगार दे सकेंगे और उस क्षेत्र की उन्नति कर सकेंगे। लेकिन यह तब तक नहीं हो सकेगा जब तक कि आप यू० पी० का डिवीजन नहीं करेंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप यू० पी० का डिवीजन जल्दी से जल्दी करायें, अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रदेश का बड़ा अहित होगा।

आखिर में एक बात और कहूंगा। जितने आफिस होल्डर्स हैं खास तौर से मैं उनसे कहूंगा कि वे जहां भी काम करने के लिये लोगों को भेजें वहां अच्छे आदमियों को भेजें। गलत आदमी चले जाते हैं, यह तो मैं नहीं कहूंगा, मगर कभी-कभी ऐसे आदमी चले जाते हैं जिससे यू० पी० की सरकार की बदनामी होती है। यह पार्टी पालिटिक्स में होता है। उदाहरण के लिये यूनिवर्सिटी कोर्ट के मेम्बर्स को ले लीजिये। यूनिवर्सिटी कोर्ट में ऐसे मेम्बर्स पहुंच जाते हैं जिन्होंने कभी यूनिवर्सिटी का दरवाजा तक नहीं देखा। इन मोटी-मोटी बातों को सरकार आसानी से ठीक कर सकती है। मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों को दूर किया जाय जिससे यू० पी० की तरक्की हो।

श्री काशीनाथबहादुर पाल (जिला बस्ती)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्रीमन्, मेरे विचार से इस बजट में बहुत त्रुटियां हैं। यह नौकरशाही का बजट है। जैसा नौकरों ने, सेक्रेटरियों ने, बजट बनाकर दे दिया वैसा ही सरकार ने पेश कर दिया। यह बजट घोर निराशावादी है। जो समाज की रीढ़ कहलाता है, यानी कृषक वर्ग, जो आज नंगे बदन और खाली पेट ठिठुर रहा है, जिसके नौनिहाल बेटे सीमा की रक्षा के लिये दुर्गम स्थानों पर डटे हुये हैं और गोली खाने के लिये तैयार हैं, उनकी राहत के लिये इस बजट में कुछ भी नहीं है। यह मेरे बोलने का पहला अवसर है। मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत सी बातें कही हैं। मुझे तो आज मेरे नेता का हुकुम हुआ कि अब की तुम खड़े हो जाना बजट पर बोलने के लिये। इसके लिये बहुत कुछ अध्ययन और समय की आवश्यकता पड़ती है। मगर जो मेरे क्षेत्र की जनता के विचार हैं उन्हीं में से थोड़ी सी बानगी मैं आपके सामने रखता हूं। कोई भी विषय आप ले लें, चाहे वह खाद्य का हो या स्वास्थ्य का या यातायात का या और कोई हो, सबमें त्रुटियां हैं। एक बजट के बाद अगले साल के बजट में वे त्रुटियां और ज्यादा उभर आती हैं।

सभी सदस्यों ने, चाहे वे कांग्रेस के हों या नान-कांग्रेस हों, यह आवाज उठाई है कि तुषार-पात हुआ है और फसल बिलकुल चौपट हो गई है। मेरे बस्ती जिले के विधायकों ने दौरा करके खुद मुआयना किया है इस बात का और सरकार में यह बात रखी है। उससे अगर आप सरकारी अफसरों की रिपोर्ट को मिलावें तो बहुत अन्तर मिलता है। जमीन-आसमान का अन्तर है। ड्यौढ़े-सवाये का अन्तर है। सरकारी रिपोर्ट में कहीं २ आना, कहीं ४ आना और बहुत ज्यादा तो ८ आना क्षति दिखाई गई है। आज कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं कि हाहाकार मच रहा है। इससे किसान बिलकुल लापरवाह है। क्योंकि उसके ऊपर कोई असर नहीं है। जब किसान के घर में गल्ला होता है तो सरकार उसके दाम कुछ नहीं दिलाती है और जब वह गल्ला साहूकारों के घर चला जाता है तो दाम बढ़ जाते हैं। जब गन्ने की फसल होती है तो सरकार नाना प्रकार के बन्धन गुड़ और खान्डसारी पर लगाती है। जब वह चीज किसानों के घरों से निकल जाती है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि किसान अपनी फसल की अधिक से अधिक पैदावार नहीं उठा पाता।

जहां तक मालगुजारी वसूली का सवाल है किसान के घर कुर्कअमीन और लेखपाल उसी समय जाते हैं जब वह अपना आनाज खा पीकर बराबर कर देता है यानी सावन भादों में या माघ पूस में। और जब खेती खलिहान में होती है उस वक्त कहा जाता है कि कागजात बनाये जा रहे हैं। जब उसके पास पैसा नहीं रहता तब उस पर डंडा चलता है।

सरकार की तरफ से बाग लगाओ का बड़ा भारी प्रचार किया गया। हमारे जिले में बहुत से उत्साही किसानों ने बाग लगाये भी। बाग लगाना कोई हंसी खेल नहीं है। काफी

[श्री काशीनाथ बहादुर पाल]

रुपया उसमें लगता है, ५–६ साल तक बच्चों की तरह उसको पाला जाता है। गरमी के दिनों में उन पर साया करनी पड़ती है। मगर सरकार की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि कब किस समय सरकार की उनके बागों पर कुदृष्टि न हो जायगी। नतीजा यह है कि किसान को यह अंदेशा है कि जब बाग लग कर तैयार हो जाय तो सरकार उसको हड़प न लें।

आज पुलिस का डंडा पहले से भी ज्यादा तेजी से चल रहा है। मैं आंकड़े बाजी में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन इतना ही देख लिया जाय कि क्या पहले से कत्ल, डकैती, जुआ अथवा चोरी किसी में कमी हुई है। मेरा अपना खयाल है कि यह पहले से ड्योढ़ी दुगनी हो गयी है।

इस बजट में पी० डब्ल्यू० डी० के लिये काफी धनराशि दी गयी है। लेकिन इसके कर्मचारियों, इन्जीनियरों और ओवरसियरों की दुहरी नीति होती है। वे सोचते हैं कहीं ऐसा न हो कि इमारत बना कर खड़ी कर दी फिर उससे हमें लाभ न हो। इसलिये एक तो इमारत जब बनती है तब कमीशन लेते हैं फिर जब वह डेढ़, दो साल में चूने लगती है या उसमें क्रेक्स आ जाते हैं, तब उसकी मरम्मत में कमाते हैं।

यही हालत सड़कों की है। यह ठीक है कि सड़कों में बढ़ोतरी हुई है और उन पर ट्रैफिक भी बहुत है लेकिन आप किसी भी सड़क को ले लीजिये चाहे वह कंकड़ की हो या सीमेंट की हो, उसके बनते देर नहीं होती कि उसमें गड्ढे हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहां एक महसो-महोली सड़क है। यह महसो-महोली सड़क ६ मील थी। उसमें हमारे यहां से रुपया दिया गया और मेनटेन रखने के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इस शर्त के साथ दे दी गयी कि उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उसको मेन्टेन रखेगा। हमारे यहां से वह बनवायी गयी। कुछ दिनों पहले वह सड़क जिले की फर्स्ट क्लास सड़क थी। बस्ती जिले के विधायक इस बात को जानते हैं। सबलोग उस पर सैर सपाटे के लिये जाते थे। सरकार ने उसको पक्की रखने की बात अपने हाथ में ले ली। बस्ती से महसों होती हुई महोली तक २० मील पक्की सड़क पी० डब्ल्यू० डी० बनाने जा रही है। ३ साल पहले उसकी नाप जोख हुई। (लालबत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे ज्यादा समय दिया जाय क्योंकि पहली बार मैं बोल रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता––

आपको आगे फिर कभी समय मिलेगा। इस वक्त बहुत लोग बोलने के लिये हैं।

श्री काशीनाथ बहादुर पाल––

तो वह नाप जोख इतनी तेजी से हुआ कि हम समझे बहुत जल्दी बन जायगी। जो कच्ची सड़क थी उसके किनारे-किनारे इसको बनाने की बात हुई। वह खोद दी गई और किनारे के कितने ही फलदार वृक्ष काटे गये, कितने ही बढ़िया खेत उसमें निकल गये, किसान रोये चिल्लाये, लेकिन उनसे कहा गया कि वह तुम्हारे फायदे के लिये बनाई जा रही है। जो गड्ढे थे उनमें मिट्टी भी आज तक नहीं पाटी गयी और जो कच्ची नालियां थीं वह भी पट गयीं। मतलब यह हुआ कि जो पक्की सड़क थी वह तो बनी नहीं और जो पहले वाली सड़क थी वह भी खराब हो गयी। मैंने इंजीनियर से कहा कि जो पहले वाली सड़क है वह तो ठीक हो जाय तो उन्होंने कहा कि हमें हुक्म है कि गो स्लो और इसलिये सड़क धीरे-धीरे बनायी जा रही है। तो पक्की सड़क भी नहीं बनी और कच्ची सड़क भी जो थी वह भी बेकार हो गयी।

पी० डब्लू० डी० के विषय में एक बात और कहता हूं। ६ जून को मैं गोरखपुर जा रहा था अपनी पत्नी को लेकर दवा कराने के लिये। उस वक्त बर्डघाट के पुल पर जब मैं पहुंचा तो वहां के ठेकेदार ने बताया कि आप फ्री नहीं उतर सकते। मैंने कहा कि शायद कोई कानून है कि विधायक लोग फ्री उतर सकते हैं और मैं विधायक हूं। तो उसने बताया कि ऐसा कानून नहीं है। उस वक्त अष्ठभुजा प्रसाद जी के संस्कार के सिलसिले में बहुत से विधायक गोरखपुर के वहां

थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि विधायक फ्री उतर सकते हैं। मैंने ठेकेदार से कहा कि मुझे जल्दी है मेरी पत्नी बीमार है। मैं २ घंटे तक वहां रुका रहा लेकिन वह नहीं माना। और वह टिकट मेरे पास अब भी है। १० तारीख को जब मैं फिर वापस आया तो फिर ठेकेदार ने बतलाया कि नहीं साहब। चाहे आप विधायक हों या एम० पी०, आप फ्री नहीं जा सकते। मैंने उसके कम्प्लेंट रजिस्टर पर अपनी कम्प्लेंट लिख दी। सबूत में मेरे पास टिकट मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे अफसरान जिन्होंने ठेकेदार को सूचना न दी हो उसको तदारूक हो और अगर ठेकेदार को सूचना थी और उसने यह किया हो तो उस ठेकेदार का तदारुक हो क्योंकि यह विधायक का मामला है। कानून बनते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जब विधायक के साथ यह हाल है तो जनता के साथ क्या होगा।

मैंने यहां आकर तारांकित प्रश्न भेजा १७ अक्तूबर को और उस प्रश्न का जवाब मुझे आज अतारांकित हो कर मिला। श्रीमन्, अगर यह हो कि टिकट लगना चाहिये तब तो कोई बात नहीं है और उस त्रुटि के लिये मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मुझे यह उत्तर सरकार से मिला है कि ऐसा सुविधा प्राप्त है लेकिन दूसरे प्रश्न का प्रश्न नहीं उठता यानी सुविधा न प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता। इस तरह की सुविधा जो माननीय सदस्यों को प्राप्त है उसके बावजूद भी मुझे डेढ़ घंटे इधर से और दो घंटे उधर से रुकना पड़ा। इस संबंध में मैंने कम्पलेंट बुक में रिपोर्ट दर्ज कर दी है। मैं सरकार से तथा पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर से निवेदन करता हूं कि वह इसकी जांच करें और जिन लोगों के कारण से यह गलती हुई है उनको सख्त से सख्त दंड दिया जाय क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों के लिये जब आपका एक कानून बना हुआ है तो उस पर आपको आमादा रहना चाहिये।

(श्री बैजनाथसिंह वैद्य का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या आपके द्वारा जो लिस्ट सिस्टम द्वारा लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है, मैं समझता हूं कि यह इस सदन के गौरव के मुताबिक नहीं है। मैं बराबर तीन दिन से खड़ा हो रहा हूं, लेकिन किसी की भी निगाह मेरे ऊपर नहीं जाती। लिस्ट के आधार पर लोगों से बोलवाया जाता है और जो लोग हाउस में नये हैं उनको बोलने का मौका दे दिया जाता है, किसी को ज्यादा समय दे दिया जाता है, किसी को कम समय ही दिया जाता है, इस तरह की पक्षपातपूर्ण नीति के खिलाफ मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रामचन्द्र विकल सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने हमारे सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। इसमें उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया है कि प्रदेश की जितनी भी आवश्यक बातें हैं जो उनके इमकान के अन्दर हैं--प्रशासन को देखते हुए और उसके कर्मचारियों को देखते हुए, उनकी कार्य पटुता व उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि यह सरकार ज्यादा से ज्यादा जनप्रिय बन सके। इसमें उन्होंने कई जगह ऐसी नयी-नयी बातें दी हैं जो कि सूत्रवत हैं, जिनका अर्थ अगर ठीक से समझें तो हमको काफी सन्तोष हो। यह बात सही है कि हमारे कुछ मित्रों ने जिन्होंने एक रस्मी तौर पर पहले ही से अपना खयाल बना लिया है विरोध करने का, इस बजट के अन्दर उन्होंने उन खूबियों की तलाश नहीं की है। उनकी तो पहले ही से बनी हुई है कि बजट सेशन में सरकार का विरोध करना है। इस बजट के अन्दर उन्होंने अच्छी-अच्छी बातों की तलाश नहीं की है और न उन्होंने उन पर गौर करने की जहमत ही फरमायी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

बजट भाषण के सबसे पहले पृष्ठ पर ही माननीय वित्त मंत्री जी ने आर्थिक व्यवस्था की ओर संकेत किया है जो किसी राज्य और सरकार का मेरूदंड कहा जाता है। अगर किसी सरकार की आर्थिक व्यवस्था सही है, साउन्ड है, मजबूत है तो उस सरकार के लिये जनप्रिय होना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। उस सरकार के लिये ऐसी बात नहीं होती कि वह जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा न कर सके। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़े अदब के साथ आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बजट को उन्होंने सुन्दर से सुन्दर बनाया है और जहां आर्थिक व्यवस्था का प्रश्न उन्होंने छेड़ा है वहां मेरे मस्तिष्क में एक और भी मौलिक प्रश्न पैदा होता है कि अगर इन चीजों को भी वे यदि जोड़ दिये होते तो यह किताब और भी सुन्दर बन सकती थी और जो सूत्र के तरीके पर उन्होंने कहा है, हम उन सारी बातों को भी आसानी से समझ सकते थे।

हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित व्यवस्था है और जहां मिश्रित व्यवस्था है वहां वह बुराइयां जिनको दूर करने की कोशिश की जाती है वे दूर नहीं हो पाती हैं। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों हमारे यहां मौजूद हैं। हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर को भी अपनी छत्रछाया में रखना चाहती है और पब्लिक सेक्टर को भी पूरा पूरा मजबूत करना चाहती है। ये दोनों विरोधी बातें हैं और यह संभव नहीं हो सकता। जिस देश में क्रांतियां हुई हैं वहां पहले आर्थिक क्रान्तियां हुई है और आर्थिक क्रांतियों के द्वारा ही जनजागरण हुआ है। वहां जनता उठी है, जनता ने अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों को समझा है। उनकी मिसालें दुनिया के सामने है। रूस और फ्रांस की राज क्रान्तियों का यहां इस बजट के अवसर पर जिक्र करना ठीक नहीं मालूम होता है। एक तरफ हम आर्थिक क्रांतियां चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी व्यवस्था के जो दुश्मन हैं उनको जिन्दा भी हम रखना चाहते हैं। शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाना चाहते हैं। सदियों से हम गुलाम थे और अंग्रेज हम पर शासन करता था, यहां की जनता मूक रहती थी और उस समय अंग्रेज शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिला सकता था। लेकिन अब १५, १६ वर्ष की आजादी के बाद हमारे देश का बच्चा-बच्चा इसकी कीमत को समझने लगा है, अपने अधिकारों को समझने लगा है, अपने कर्त्तव्यों को समझने लगा है, इस वक्त ऐसी बातों को कहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। समाजवादी व्यवस्था का जिक्र इसमें किया गया और सिफारिश की गयी है कि समाजवाद साधन और साध्य दोनों है। यह बात सही है। समाजवाद कोई लाने की चीज नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

बैजनाथसिंह जी आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२१ फरवरी, १९६४।

नत्थी 'क'

[देखिये ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर]

No. 3697-EBR/XXIII-PWB—54-EBR-1958

FROM

UP SACHEV,
UTTAR PRADESH SHASAN,

TO

MUKHYA ABHIYANTA,
SARVAJANIK NIRMAN VIBHAG,
UTTAR PRADESH,
LUCKNOW.

Dated Lucknow, February 28, 1959.

Subject—**Application of Sri Shamim Ahmad, Temporary Junior Assistant Chemist, for outside employment**

Sarvajanik Nirman (Kha) Vibhag

SIR,

With reference to your letter no. 26409-EA/222-EA—57, dated November 19, 1958, I am directed to say that it has since been decided by Government that persons holding the posts of Assistant Chemist and Junior Assistant Chemist etc. in the Sarvajanik Nirman Vibhag will not be allowed to go out on deputation or foreign service on their own initiative. The application of Sri Shamim Ahmad for the post of Senior Chemical Assistant (Soil) in the Institute of Cane Sugar Research, Lucknow, has, therefore, been withheld.

2. He may please be informed accordingly.

Yours faithfully,
BHAGWAN SINGH,
For *Up Sachiv*.

No. A-2911/II-A-1957

FROM

A. N. JHA, I.C.S.,
MUKHYA SACHIV,
UTTAR PRADESH,

TO

ALL HEADS OF DEPARTMENTS AND
PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, December 2, 1957.

Appointment (A) Department

SIR,

I AM directed to say that a large number of your officers go on deputation to posts under other Governments, but no uniform policy is followed in permitting such deputation. Some departments allow it, others do not. Some departments insist on the resignation of the officer concerned. Selections are made in different principles, and this gives rise to complaints. Government consider, therefore, that all departments should have a uniform policy in this matter.

2. Government have given careful consideration to this question and are of the view that no request for a deputation or for permission to apply for another Government or quasi-Government post, whether temporary or permanent, should be turned down merely on the ground of shortage of officers. The following conditions are, however, laid down as they are administratively essential:

(*a*) Permission to apply for another Government or quasi-Government post, for which there will be some kind of selection on merit, should invariably be granted.

(*b*) Where the deputation of a few officers, or one particular officer, is asked for this should not be turned down without reference to the Appointment Department although the following conditions should be insisted on:

(i) An officer on deputation must return to the State in four years to be replaced, if required by another equally qualified officer. In case of officers of the Indian Civil Administrative Service Cadre, however, the period of deputation may be five years if the initial appointment is to a post equivalent in status to that of Joint Secretary or Secretary to Government of India.

(ii) Except in the case of Indian Civil Service/Indian Administrative Service officers going out to Government of India on deputation as Deputy Secretaries or Under Secretaries, the selection of officers for deputation should be on the basis that would be adopted for promotion to the next higher rank in the department concerned. A request for an officer by name should not be acceded to unless he fulfils this requirement or unless he is exceptionally well qualified for the post he is asked for.

(iii) Where, as in the Forest Department, officers are bound to serve the State Government for a certain number of years after appointment, no deputation should be allowed till this period is over, unless the officer concerned pays a proportionate amount of his bond.

(iv) An officer going to a permanent post should be required to resign only after his period of probation is over, and not before.

3. In view of the above orders, which will come into force with immediate effect, departments are requested to examine their cadres to see whether a deputation reserve should be provided or increased where it already exists.

Yours faithfully,
A. N. JHA,
Mukhya Sachiv.

No. A-2911(i)/II-A-1957

COPY forwarded to all Departments of the Secretariat for information and necessary action.

By order,
A. N. JHA,
Mukhya Sachiv,
Uttar Pradesh.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर।)

क--नगरपालिकाओं व नगर महापालिकाओं के स्कूलों में--

अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत चलने वाले स्कूलों में चपरासियों व नौकरानियों के लिए जिलों के मुख्यालयों (Distt. Head Quarters) में २५-१/२-३० रु० तथा अन्य स्थानों पर २०-१/२-२५ रु० प्रतिमास का वेतन-क्रम दिया जाता है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बालिकाओं के स्कूलों में नौकरानियों का वेतन-क्रम २५-१/२-३० रु० प्रतिमास निर्धारित है।

ख--राजकीय प्रारम्भिक स्कूलों में--

जिलों के मुख्यालयों में (Distt. Head Quarters) पर चपरासियों व नौकरानियों को २७-१/२-३२ रु० प्रतिमास तथा अन्य स्थानों पर २२-१/२-२७ रु० प्रतिमास का वेतन-क्रम दिया जाता है।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर।)

प्रश्न संख्या ५० के उत्तर में उल्लिखित सूचना।

क--नगरपालिकाओं व नगर महापालिकाओं के स्कूलों में--

अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत चलने वाले स्कूलों में चपरासियों व नौकरानियों के लिए जिलों के मुख्यालयों (Distt. Head Quarters) में २५-१/२-३० रु० तथा अन्य स्थानों पर २०-१/२-२५ रु० प्रतिमास का वेतन-क्रम दिया जाता है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बालिकाओं के स्कूलों में नौकरानियों का वेतन-क्रम २५-१/२-३० रु० प्रतिमास निर्धारित है।

ख--राजकीय प्रारम्भिक स्कूलों में--

जिलों के मुख्यालयों में (Distt. Head Quarters) पर चपरासियों व नौकरानियों को २७-१/२-३२ रु० प्रतिमास तथा अन्य स्थानों पर २२-१/२-२७ रु० प्रतिमास का वेतन-क्रम दिया जाता है।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० २३८ एल० ए०--१९६४--(प्रो०)--८६०।